C O N T E N T S

Sixteenth Series, Vol. XXV, Twelfth Session, 2017/1939 (Saka)
No. 8, Wednesday, July 26, 2017/Shravana 4, 1939 (Saka)

S U B J E C T	P A G E S
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos. 141 to 146	11-88
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 147 to 160	89-145
Unstarred Question Nos. 1611 to 1710, 1712 to 1751, 1753 to 1757, 1759 to 1776, 1778 to 1781, 1783 to 1838 and 1840	146-634

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE 636-640

MESSAGES FROM RAJYA SABHA 641

DEPARTMENTALLY RELATED STANDING COMMITTEES
Summary of Work 642

PARLIAMENTARY COMMITTEES (OTHER THAN FINANCIAL AND DRSCs)
Summary of Work 642

AMENDMENT TO DIRECTIONS BY THE SPEAKER, LOK SABHA UNDER RULES OF PROCEDURE AND CONDUCT OF BUSINESS IN LOK SABHA 642

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS
35th Report 643

RULES COMMITTEE
3rd Report 643

COMMITTEE ON PETITIONS
34th to 39th Reports 643-644

COMMITTEE ON WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES
Statement 645

STANDING COMMITTEE ON LABOUR
27th Report 645

STATEMENTS BY MINISTERS

(i) Status of implementation of the recommendations contained in the 128th Report of the Standing Committee on Commerce on Demands for Grants (2016-17), pertaining to the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry

Shrimati Nirmala Sitharaman 646

(ii) Status of implementation of the recommendations contained in the 48th Report of the Standing Committee on Finance on Demands for Grants (2017-18), pertaining to the Ministry of Planning

Rao Inderjit Singh 646

(iii) Status of Indians held captive in Iraq

Shrimati Sushma Swaraj 660-672

MOTION RE: JOINT COMMITTEE ON OFFICES OF PROFIT 647

DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS - (GENERAL), 2017-18 654

DEMANDS FOR EXCESS GRANTS –(GENERAL), 2014-15 654

OBSERVATION BY THE SPEAKER

Certain remarks made about Shri Jyotiraditya M. Scindia by Dr. Virendra Kumar and Shri Manohar Utawal On 24th July 2017 655-656

RULING BY THE SPEAKER

Matter pertaining to Shri Anurag Thakur 656-658

MATTERS UNDER RULE 377

(i) Need to reopen the closed Jarangdih coal mine and Bermo Seam Incline coal mine (Bokaro and Kargali) in Jharkhand

Shri Ravindra Kumar Pandey 675

(ii) Need to release funds for construction of new building for Kendriya Vidyalaya No. 1, Ahmednagar, Maharashtra

Shri Dilipkumar Mansukhlal Gandhi 676

(iii) Need to include cultivation of betel leaves under Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana

Shrimati Anju Bala 677

(iv) Need to preserve the rich bio-diversity of Munnar in Kerala

Prof. Richard Hay 678

(v) Need to build a new building for Kendriya Vidyalaya Sector 22, Rohini, Delhi and open new Kendriya Vidyalayas in Kirari and Sector 30, Rohini

Dr. Udit Raj 679

(vi) Need for disbursement of funds under Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana in Dharwad Parliamentary Constituency of Karnataka

Shri Pralhad Joshi 680

(vii) Need to extend Chitrakutdham Karwi - Kanpur Intercity express train upto Lucknow

Shri Bhairon Prasad Mishra 681

(viii) Need to set up sugar, timber and foodprocessing industries in Shrawasti and Balrampur districts of Uttar Pradesh

Shri Daddan Mishra 682

(ix) Need to take adequate measures for protection of agriculture crops from stray animals

Shri Rahul Kaswan 683

(x) Need to streamline the traffic flow at level crossing no. 119C/E-2 on Sitapur - Mailani Section in Lakhimpur Kheri district Uttar Pradesh

Shri Ajay Misra Teni 684

(xi) Need to bring transparency in utilization of Corporate Social Responsibility Funds

Shri Devusinh Chauhan 685

(xii) Need to make services of adhoc teachers working in Eklavya Schools permanent

Shri Mansukhbhai Dhanjibhai Vasava 686

(xiii) Need to provide stoppage of Maurya Express, Jansewa Express and Intercity Express at Daudpur Railway station and stoppage of Amrapali Express, Gwalior Mail and Lucknow - Pataliputra Mail at Ekma railway station in Bihar

Shri Janardan Singh Sigriwal 687

(xiv) Need to run Shatabdi Express or a highspeed train between Indore and Delhi

Shrimati Savitri Thakur 688

(xv) Need to address the problems of rubber growers in the country

Shri Anto Antony 689

(xvi) Need to provide financial package to Salem Steel Plant in Tamil Nadu

Shri V. Panneerselvam 690

(xvii) Need to remove the discrepancy in the Employees' Pension Scheme, 1995

Shri P. Nagarajan 691

(xviii) Regarding discovery of a large super cluster of galaxies by Indian scientists

Dr. Tapas Mandal 692

(xix) Need to review the decision of Air India to discontinue serving non-vegetarian meals on-board for economy class travellers

Shri Sultan Ahmed 693

(xx) Need to deploy two additional battalions of Central Armed Police Forces in Odisha

Shri Bhartruhari Mahtab 694

(xxi) Need to protect the interests of small catering vendors in the Railways catering policy 2017

Shri Anandrao Adsul 695

(xxii) Need to expedite the amalgamation process of Andhra Pradesh Grameen Vikas Bank and Telangana Grameen Bank

Shri B. Vinod Kumar 696

(xxiii) Regarding resumption of train services on Palakkad Pollachi railway line

Shri M. B. Rajesh 697

(xxiv) Regarding poor road-connectivity in Araku Parliamentary Constituency of Andhra Pradesh

Shrimati Kothapalli Geetha 698

(xxv) Need to establish a Railway University at Jamalpur in Bihar

Shri Jai Prakash Narayan Yadav 699

(xxvi) Need to overhaul the existing mechanism of procurement of farm produce

Shri Jose K. Mani 700

INDIAN INSTITUTES OF INFORMATION TECHNOLOGY (AMENDMENT) BILL, 2017 702-751

Motion to Consider 704

Shri Prakash Javadekar 702-703, 748-750

Shri Pralhad Joshi 705-711

Prof. Saugata Roy 712-714

Shri Ladu Kishore Swain 715-718

Shri Rahul Shewale 719-721

Shri Konda Vishweshwar Reddy 722-725

Shri P.K. Biju 726-729

Shrimati Butta Renuka 730-732

Shri Muthamsetti Srinivasa Rao (Avanthi) 733-736

Dr. Sanjay Jaiswal 737-738

Shri Kaushalendra Kumar	739-740
Shri K. Ashok Kumar	741-743
Shri Gopal Shetty	744-745
Dr. Ratna De (Nag)	746
Shri Nihal Chand	747
Clauses 2 to 4 and 1	751
Motion to Pass	751
COMPANIES (AMENDMENT) BILL, 2016	752-753
Motion to Consider	752
Shri Arjun Ram Meghwal	752
ANNEXURE – I	
Member-wise Index to Starred Questions	754
Member-wise Index to Unstarred Questions	755-760
ANNEXURE – II	
Ministry-wise Index to Starred Questions	761
Ministry-wise Index to Unstarred Questions	762

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Sumitra Mahajan

THE DEPUTY SPEAKER

Dr. M. Thambidurai

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri Arjun Charan Sethi

Shri Hukmdeo Narayan Yadav

Shri Anandrao Adsul

Shri Pralhad Joshi

Dr. Ratna De (Nag)

Shri Ramen Deka

Shri Konakalla Narayana Rao

Shri Hukum Singh

Shri K.H. Muniyappa

Dr. P. Venugopal

SECRETARY GENERAL

Shri Anoop Mishra

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Wednesday, July 26, 2017/Shravana 4, 1939 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

HON. SPEAKER: Question No.141. Shri Jose K. Mani

… (*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): Madam, I have given a notice… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: All notices will be taken up after Question Hour.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, आप बैठिये, ऐसा बाई रूल नहीं होता है।

11.01 hours

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

HON. SPEAKER: Q. No. 141, Shri Jose K. Mani.

(Q.141)

SHRI JOSE K. MANI : Madam, the Central Cabinet and the Ministry of Railways have approved nation-wide redevelopment of railway stations, especially the A-I and A grade railway stations, under PPP mode and the Swiss Challenge method. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Only Shri Jose K. Mani's statement will go on record.

…(Interruptions)…[*]

SHRI JOSE K. MANI : Madam, the Central Travancore almost caters to the heart of Kerala covering five districts and Kottayam railway station comes under that. As you know, the Kottayam railway station, which is the heart of Kerala, caters to more than a crore passengers especially during the pilgrim season when devotees go to Sabarimala.… (*Interruptions*)

11.02 hours

(*At this stage, Shri D.K. Suresh, Shri K.C. Venugopal and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.*)

SHRI JOSE K. MANI : It also caters to the tourists who come to Kerala to visit Kumarakom backwaters. It is such an important place but has been left out because of lack of land. I have actually met the Minister personally also regarding this case. There is a goods shed over there which is causing a lot of congestion throughout the municipality. If you shift that goods shed to Chingavanam, about five kilometers away, there is a possibility of utilization of that land.

I would like to know whether in the near future the heart of the Central Travancore, Kottayam railway station, which earns about Rs.30 crore to Rs.40 crore of the revenue, will be taken up for redevelopment.

---

[*] Not recorded.

SHRI SURESH PRABHU: Madam, I am very happy that the hon. Member has asked a very important question about redevelopment of stations. I am happy to say that already tenders have been invited for 12 stations through IRSDC. Tenders have been invited for 23 more stations and two have been opened. Another lot will be opened in the months of August and September. There are 12 stations which have been handed over to NBCC and we are thinking of handing over 40 more stations to them. RLDA and IRCON are developing one station in Delhi. RLDA and MRVC are developing 18 stations. The State Government of Odisha is developing one station. We are talking to nine other States to develop nine more stations.… (*Interruptions*)

My friend wants to know about Kerala. Kozhikode and Ernakulam are the first two stations which have been taken up. We have already taken up 19 more stations. I will definitely make sure that we look into the development of these stations as well. As a matter of fact we have already entered into a joint venture with the State Government. I am talking to the State Government to decide about the number of stations that can be developed together. I will be very happy to include this also during our discussion and depending on the feedback from the State Government, we can definitely take it up.… (*Interruptions*)

11.05 hours

(*At this stage, Prof. Saugata Roy and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.*)

SHRI JOSE K. MANI : Madam, the development of the railway stations is done through the public-private participation and also through what is known as the Swiss Challenge method. The Vijay Kelkar Committee on 'Revisiting and Revitalising the Public-Private Partnership Model of Infrastructure' has suggested against using the Swiss Challenge Method. It said that such a proposal results in lack of transparency and fair and equal treatment of potential bidders in the selection process. I would like to know whether the Government is going for a

Swiss Challenge Method. When the Vijay Kelkar Committee responded negatively, why did the Government opt for the Swiss Challenge method? What are the corrections made by the Government?

SHRI SURESH PRABHU: Madam, I will tell you exactly what we are doing in this regard. Firstly, we are soliciting conceptual plans for re-development. Secondly, the evaluation of the concepts will be done by taking into consideration the independent techno-economics. It will be done with inputs by an independent committee of eminent experts with the domain knowledge of architecture, real-estate and finance, etc. After choosing the best concepts, the detailed project report is prepared and the person who prepares it, is called Project Proponent. Then, in the second stage, the commercial bids for the prepared DPRs are invited and anyone can participate. At that stage also, if there is anybody who tries to increase the bid, the Project Proponent has a right of just refusal. This is the most transparent and innovative way of engaging all possible and the best conceptual ideas, besides help in getting not only national but also international bidders. So, the whole idea is to make it completely transparent and participatory involving all the stakeholders and getting the best technical designs.

डॉ. किरिट पी. सोलंकी : महोदया, मैं रेल मंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ कि उनके नेतृत्व में रेल मंत्रालय ने पिछले बजट में बहुत सारी घोषणाएं की हैं और वे मूर्तिमान हो रही हैं। मैं अहमदाबाद पश्चिम संसदीय क्षेत्र से सांसद हूँ और मेरा क्षेत्र आज मेगा सिटी बना है। हर दिशा में अहमदाबाद का बहुत तेज़ी से विकास हो रहा है। मेरे संसदीय क्षेत्र में मणिनगर का रेलवे स्टेशन है, जहां से बहुत भारी आवाजाही होती है। मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि क्या वे मणिनगर रेलवे स्टेशन का पीपीपी मोड पर विकास करेंगे?

श्री सुरेश प्रभु : महोदया, मैं माननीय सदस्य को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि गुजरात में दो स्टेशनों का विकास हो रहा है। एक तो गांधीनगर स्टेशन है, जिसका शिलान्यास खुद हमारे प्रधान मंत्री जी ने 9 जनवरी को किया था। उसके ऊपर 300 कमरों का एक फाइव स्टार होटल भी बन रहा है, इसका काम काफी तेज़ी से चल रहा है। हमें उम्मीद है कि हम दो साल से पहले उसको पूरा कर लेंगे। यह कहते हुए भी मुझे खुशी है कि साथ ही सूरत में ढाई लाख स्क्वेयर मीटर एरिया पर हम लोग डेवल्प कर रहे हैं। उसमें बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, रिक्शा स्टैण्ड, मैट्रो सभी एक साथ रहेंगे। उसमें तीन हज़ार

करोड़ रूपये की लागत का काम होगा। आर.एफ.क्यू. 05 जून, 2017 को ओपन किया गया है। सात पार्टीज़ उसमें आई थीं। अहमदाबाद उसमें सैकेण्ड फेज़ में आ रहा है और अहमदाबाद में भी हम उसको जरूर डेवलप करेंगे।

श्रीमती सुप्रिया सुले : महोदया, माननीय मंत्री जी ने डिटेल रिप्लाई दिया है। मैं उनसे दो छोटे प्रश्न ही पूछना चाहती हूँ कि इसी स्कीम में आदर्श स्टेशन जो बनवाए हैं, क्या वे इसी से रीकनेक्टिड हैं? क्योंकि महाराष्ट्र में काम धीमी गति से चल रहा है। उन्होंने शेगांव और शिरडी के दो मंदिरों को अच्छे से कनेक्ट किया है। जेज़ुरी के मंदिर का बहुत बड़ा स्थान महाराष्ट्र की जनता के मन में है तो क्या इसी रीडेवल्पमेंट में जेजुरी का स्टेशन भी वे शामिल करेंगे?

श्री सुरेश प्रभु : महोदया, यह सही है कि हम लोग अलग-अलग तरीके से रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास कर रहे हैं। यह हमारा एक बहुत ही अल्टीमेट गोल है, लेकिन फिलहाल जब तक पुनर्वास नहीं होता है, तब तक उसका ज्यादा सौंदर्यकरण करना, उसको और ज्यादा सुविधाएं देना आदि उसके ऊपर काम हो रहा है। माननीय सदस्या ने जो सुझाव दिया है, हम उसके ऊपर भी जरूर विचार करेंगे।

DR. SHRIKANT EKNATH SHINDE : Madam, I would like to thank honorable Railway Minister for the launch of redevelopment of A-1 and A class stations. Redevelopment of 23 stations have been launched in the first phase. Stations, such as, Thane, Lokmanya Tilak Terminus, Mumbai Central, Bandra Terminus and Borivali from Mumbai suburban section have been selected in the first phase… (*Interruptions*)

While the honorable Railway Minister has announced that 400 A-l and A category stations will be redeveloped, I am curious to know what criteria were adopted for according priority to the stations selected in the first phase, because two of the busiest stations on the Central Railway, *i.e.* Dombivali and Kalyan Junction are missing from this list.

Madam Speaker, Kalyan Junction caters to more than 3.60 lakh commuters daily. More than two lakh tickets are sold per day. More than 500 long distance and suburban trains either halt or originate and terminate at the station. Dombivali station sees the movement of more than three lakh passengers daily. It sells more

than 2.5 lakh tickets daily. It has been topping the chart of the busiest stations for the last three years… (*Interruptions*).

HON. SPEAKER: He has got your question. You are asking about two stations.

DR. SHRIKANT EKNATH SHINDE : Regarding cleanliness, not a single station from Mumbai Suburban Section has made it to the list of ten cleanest stations in the country. So, if the stations get selected for redevelopment, this cleanliness issue will also be sorted out. Therefore, I want to know from the hon. Railway Minister whether the Ministry has fixed any time frame within which the process of redevelopment of Kalyan station will be started, *i.e.*, when the actual bids will be invited. I would also like to know whether the Railways is planning to include Dombivali station in the redevelopment scheme… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आपका प्रश्न हो गया है। प्रश्नकाल में भाषण नहीं देते हैं।

…(व्यवधान)

श्री सुरेश प्रभु : महोदया, जैसा मैंने कहा कि अलग-अलग फेज़ में उम्मीद तो यह रहेगी कि सभी स्टेशनों का पुनःर्विकास किया जाये, लेकिन आप भी जानते हैं that this is the first time ever we have launched a massive programme like this. It has never been done anywhere in the past. Therefore, it is a massive task… (*Interruptions*)

I am very happy to say that Kalyan is already included. It is already there in the list in this scheme. Of course, we are also considering other stations. There are almost 18 suburban stations which we are giving to the Mumbai Rail Vikas Nigam Limited. As you know, we are also trying to develop a new green field terminal in Kalyan… (*Interruptions*) कल्याण का कल्याण होने के लिए जो भी काम करने की जरूरत है, वह हम जरूर करेंगे।…(व्यवधान) कल्याण करने की कोशिश करेंगे।…(व्यवधान)

SHRI THOTA NARASIMHAM : I want to know from the hon. Minister of Railways how many A1 and A category stations are selected for redevelopment in the State of Andhra Pradesh. I also want to know the budgetary provisions for the same… (*Interruptions*)

I want to know from the Minister whether there is any plan to utilize the land lying vacant with the Railways for redevelopment purposes. Will the Zonal Railways be authorized to approve the proposals including commercial development on Railway land? How many of the existing new railway stations have been upgraded for better passenger amenities as part of redevelopment of Railway stations? … (*Interruptions*)

SHRI SURESH PRABHU: Madam, I am very happy to say that Andhra Pradesh is obviously one of the top priority States. We are taking up Visakhapatinam, Secunderabad, Vijayawada, Tirupati and Nellore already. Apart from this, 23 more stations are proposed to be redeveloped in the subsequent stage… (*Interruptions*)

As regards authorizing General Managers, in fact, the General Managers are fully authorized. The entire process of PPP is handled by the General Managers themselves. This will be done in a very transparent manner and the potential is Rs.1 lakh crore of investment that can be generated as a result of development of these stations. So, this is a non-fare revenue for the Railways… (*Interruptions*). This will provide good amenities for the passengers because entry will be different and exit will be different. People will get food stalls. People will get waiting rooms. People will have other facilities like what you get at the airports. This will be a completely new model of development. Therefore, this is already under implementation. We are trying to develop it… (*Interruptions*).

So, I am very happy to say that already in Tirupati and other places, NBCC has decided to work on it. We will try to expedite it.

SHRI M.B. RAJESH : Madam, a coach factory was announced in 2008 Railway Budget at Palakkad and a foundation stone was also laid for the same in 2012. Now five years have passed but nothing has happened. Now the Government is going ahead with a new coach factory project including one in Haryana. I do not have any objection to it. I would like the hon. Minister to tell this House whether

he has abandoned the Palakkad coach factory project or not. The hon. Minister may please assure the House if he is going to implement the project or not.

HON. SPEAKER: The supplementary is not related to the main Question.

SHRI SURESH PRABHU: The supplementary question does not relate to station re-development… (*Interruptions*)

SHRI P.R. SUNDARAM : Madam Speaker, thank you for this opportunity. There are excess lands belonging to the Indian Railways across the country. The land area is higher in major railway stations. The Government previously planned to construct commercial complexes in the lands available in major railway stations across the country. This would fetch considerable income to the Railways besides developing the passenger facilities in major stations. Therefore, I would like to request the hon. Minister to inform the august about the steps and actions that have been taken for proper utilization of those lands for constructing commercial complexes in major railway stations.

SHRI SURESH PRABHU: Madam Speaker, the land of railways, unfortunately, over a period of time, has been encroached. Therefore, we are first taking steps to ensure that no more encroachment takes place and that is why we are using one geo-spatial technology.

Secondly, whatever area has been encroached upon, documentation is made and the responsibility is fixed. But at the same time, there is the land which can be developed so that we can make some commercial use of it, the Railways can earn money and cities can be developed. Therefore, an area of 2700 acres has been identified which can be re-developed as a part of Station Re-development programme. We already have tied up with the Ministry of Urban Development so that wherever there is development of smart cities, or AMRUT cities, all of that is covered by this. The idea is, not only the railway land, but also the land belonging to the city, belonging to the State can also be used together to bring about a holistic real estate development to provide a good experience for all the passengers. So, we are already working with the Ministry of Urban Development

and also with the State Governments. In hundred cities which have been identified as Smart Cities, where there is already a structure of governance created, the State Government, the municipalities as well as the Central Government are working together. So, we are trying to work together.

HON. SPEAKER: Shri Prasun Banerjee - Not present.

(Q.142)

श्री हरीशचन्द्र उर्फ हरीश द्विवेदी : माननीय अध्यक्ष जी, बहुत अच्छा प्रश्न यहूदियों के बारे में पूछा गया है। मुझे माननीय मंत्री जी से जानना है कि वर्तमान में भारत में यहूदियों की जनसंख्या कितनी है और क्या कोई यहूदी शिक्षण संस्थान भारत में है? यदि नहीं है तो क्या आने वाले समय में बनाने की कोई योजना है?

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी, आपका स्वागत है। बहुत दिनों में आप आए हैं।

श्री मुख़्तार अब्बास नक़वी : मैडम स्पीकर, छः माइनॉरिटीज़ हैं जिनको कि नोटिफाइ किया गया है। इसमें मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, बुद्धिस्ट हैं और जैन हैं। इसके साथ ही साथ जो संख्या के बारे में माननीय सदस्य ने जानकारी दी है, 2011 की जनगणना के हिसाब से मुस्लिम समाज की जनसंख्या 40.2 करोड़ है, क्रिश्चियन समाज की जनसंख्या 2.3 करोड़ है, सिख समाज की जनसंख्या 1.7 करोड़ है, बुद्धिस्ट समाज की जनसंख्या लगभग 0.7 करोड़ है और जैन समाज की जनसंख्या 0.4 करोड़ है। जहाँ तक यहूदी समाज की बात है, 2001 में उनकी जनगणना की गई थी। अभी 2011 में जनगणना नहीं हुई। उसके अनुसार 4650 यहूदी समाज के लोग भारत में रहते हैं।

SHRI DINESH TRIVEDI : Madam Speaker, our hon. Prime Minister had a historical visit recently to Israel, which not only India but the world at large has seen on television, the warmth with which the Israeli people had received him. I also had the honour of leading a delegation of MPs to Israel and I can tell you that people to people, they love the Indians very much.

Madam, having said that, the statement of the hon. Minister has said that they have received a request from various Jewish Federations for a special status. My question is this. What is the progress in this regard? It is because this is a great opportunity for the dwindling population of Jewish to give them something to show them that India also equally love them which our hon. Prime Minister also definitely has shown.

श्री मुख़्तार अब्बास नक़वी : स्पीकर मैडम, ज्यूस समाज के जो लोग भारत में रह रहे हैं, उनमें से अधिकांश लोग महाराष्ट्र या मुम्बई में रहते हैं।...(व्यवधान) मुझे यह बताने में खुशी है कि महाराष्ट्र की सरकार ने ज्यूस समाज को अल्पसंख्यक का दर्ज़ा दिया हुआ है।...(व्यवधान) इसके अतिरिक्त, किसी समाज को अल्पसंख्यक का दर्ज़ा देने की जो प्रक्रिया है, उसमें अभी कुछ दिनों पहले ही हमने जैन समाज को अल्पसंख्यक समाज

का दर्ज़ा दिया है।...(व्यवधान) लेकिन, जब हमने नोटिफाई किया, केन्द्र सरकार ने इसे नोटिफाई किया है, उससे पहले ही मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, हरियाणा, और पंजाब की राज्य सरकारों ने जैन समाज को अल्पसंख्यक समाज का दर्ज़ा दिया है।...(व्यवधान)

जहां तक ज्यूस समाज या यहूदी समाज की बात है, वे यहां पर बहुत शांति के साथ रह रहे हैं और उनकी सुरक्षा, उनकी संपन्नता को लेकर हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं।...(व्यवधान)

SHRI ASADUDDIN OWAISI : Madam Speaker, thank you for this opportunity. Let me at the outset correct the hon. Minister. The Minorities living in India are Indians. We have nothing to do whatsoever with any other country. My pertinent question to the hon. Minister is this. Now, the Government has nominated the Members of the National Minority Commission. Will this Government give constitutional status to the National Minority Commission as this Government has brought a Bill to provide constitutional status to OBC Commission and also to the SC/ST Commission? It is because when this Government talks about appeasement of none and justice to all, so, will this Government give constitutional status to the National Minority Commission because a total of 20 per cent of India's population is minorities, so that the NCM would have more teeth and they can do their work properly?

श्री मुख़्तार अब्बास नक़वी : स्पीकर मैडम, जहां तक 'नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़' के संवैधानिक दर्ज़े की बात है, जो माननीय सदस्य ने की है, अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक दर्ज़े की दृष्टि से पूरे अधिकार हैं, स्वतंत्र अधिकार हैं और पूरे ऑटोनोमस तरीके से वह अल्पसंख्यकों की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक हितों के लिए काम करता है।...(व्यवधान) अभी जो अल्पसंख्यक आयोग है, उसमें हमने काफी सदस्यों की नियुक्ति की है और हमें इस बात को बताते हुए खुशी है कि जैन समाज, जिसे हमने अभी अल्पसंख्यक समाज में नोटिफाई किया है, उस समाज से भी एक सदस्य अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है।...(व्यवधान)

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : मैडम।...(व्यवधान)

(Q.143)

श्री भरत सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे प्रश्न पूछने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।...(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वैज्ञानिक और सी.एस.आई.आर. की प्रयोगशालाओं में अनुसंधान हेतु जो राशि स्वीकृत की जाती है, क्या उनको अन्य कार्यों, जैसे वेतन, गाड़ियों या बिजली बिल के भुगतान हेतु खर्च किया जाता है?...(व्यवधान) यदि यह सही है तो अनुसंधान हेतु जो राशि स्वीकृत की जाती है, उसका उपयोग सिर्फ अनुसंधान कार्यों के लिए करने के लिए सरकार ने क्या निर्देश दिए हैं?...(व्यवधान)

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : मैडम।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : उनके नाम दे देंगे, आप बैठिए। क्या आपकी बात क्वैश्चन के संदर्भ में है? आप बैठिए।

...(व्यवधान)

डॉ. हर्ष वर्धन : माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, मुझे उसका प्रसंग समझ में नहीं आया।...(व्यवधान) वास्तव में, जो भी राशि हमारे साइंस के डिपार्टमेंट को अनुसंधान के लिए दी जाती है, वह अनुसंधान पर खर्च की जाती है और किसी भी इंस्टीच्यूशन के अंदर हर चीज़ का एक प्लान हेड होता है और एक नॉन-प्लान हेड होता है।...(व्यवधान) हमारे माननीय सदस्य क्या जानना चाहते हैं, अगर वे इसे थोड़ा-सा स्पष्ट करेंगे तो शायद यह हो सकता है कि हम उन्हें इसके बारे में और बेहतर तरीके से बता सकें।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सप्लीमेंटरी क्वैश्चन पूछिए।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Please go to your seats.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : यह ठीक नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री भरत सिंह: अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि सी.एस.आई.आर. रिसर्च के लिए जो धन स्वीकृत किया जाता है, वह पैसा गाड़ी, तेल तथा बिजली पर खर्च हो जाता है।...(व्यवधान) वह पैसा केवल रिसर्च पर ही खर्च हो, सरकार ने उसके लिए क्या व्यवस्था की है? ...(व्यवधान)

डॉ. हर्ष वर्धन: आज देश में सी.एस.आई.आर. रिसर्च का काम कर रहा है। पूरी दुनिया के अंदर सी.एस.आई.आर. जैसी बारह सौ संस्थाएं हैं, जो गवर्नमेंट की फंड से रिसर्च करती हैं और टेक्नोलॉजी डेवलप करती हैं।...(व्यवधान) दुनिया की इन 12 सौ संस्थाओं में सी.एस.आई.आर. का स्थान इस समय 12वां है।...(व्यवधान) अगर सारे संसार के अंदर रिसर्च के पेपर का पब्लिकेशन का ग्रोथ रेट 4 पर्सेंट है, तो हमारे साइंस के इंस्टीट्यूशन में सी.एस.आई.आर. में 13 प्रतिशत है।...(व्यवधान) इसलिए, माननीय सदस्य को सी.एस.आई.आर. की जो कार्यक्षमता व कार्य योग्यता है, उसके बारे में किसी भी प्रकार का संशय मन के अंदर नहीं होना चाहिए।...(व्यवधान)

श्री मानशंकर निनामा : अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे प्रश्न पूछने का मौका दिया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।...(व्यवधान)

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि देश में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी.एस.आई.आर.) की 38 प्रयोगशालाएं हैं। क्या यह सही है कि वर्ष 2015 से इन प्रयोगशालाओं को कम धनराशि उपलब्ध कराई गई है? यदि यह सही है तो इन प्रयोगशालाओं को समुचित धनराशि उपलब्ध कराने की दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं? क्या विज्ञान प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन, कृषि, डेयरी एंव उद्योग मंत्रालय के साथ व्यवसायकरण के लिए समन्वय स्थापित कर पाया है और क्या मंत्रालय द्वारा विभिन्न शोध संस्थाओं के सम्मुख समान लक्ष्य रखा गया है?...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप इतने सारे प्रश्न न पूछिए, अब हो गया।

...(व्यवधान)

श्री मानशंकर निनामा : उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए शोध संस्थाएं क्या कदम उठा रही हैं?...(व्यवधान) पिछले तीन सालों में उत्पादकों के व्यवसायकरण से कितना राजस्व अर्जित हुआ है?...(व्यवधान)

डॉ. हर्ष वर्धन : अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, सी.एस.आई.आर. में, हमारी सरकार आने के बाद माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में बराबर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर बजट बेहतर ढंग से खर्च हो रहा है।...(व्यवधान) अभी पिछले वर्ष से इस वर्ष की तुलना में लगभग 7 प्रतिशत बजट के अंदर ओवरऑल वृद्धि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर हुई है।...(व्यवधान) पिछले साल हमारा किसी प्रकार का कट रिवाइज्ड में नहीं हुआ है।

जहां तक टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट का प्रश्न है, अगर माननीय सदस्य ने मेरे उत्तर को पढ़ा है तो हमने उत्तर के अंदर इतने विस्तार से एक-एक टेक्नोलॉजी के बारे में बताया है, जिसको पिछले तीन साल में ट्रांसफर किया गया है।...(व्यवधान) हमारे सी.एस.आई.आर. के माध्यम से, डी.एस.टी. के माध्यम से, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन्स के माध्यम से, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से और बायरेक के माध्यम

से तथा इसके साथ-साथ विज्ञान के माध्यम से देश भर के अंदर जो आईआईटीज़ हैं, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है और जो हमारे साइंस के दूसरे इंस्टीट्यूशन हैं, हम उनको भी सपोर्ट करते हैं। ...(व्यवधान) इसके अलावा, बहुत बड़ा इनोवेशन इको सिस्टम डेवलप करने के लिए अनेक कार्यक्रम हैं, जिनके माध्यम से हम उच्चतम आविष्कार योजना में एमएचआरडी के साथ काम करते हैं।...(व्यवधान) निधि योजना के तहत क्रॉसरूट इनोवेशंस के साथ और आज केवल इंस्टीट्यूशन्लाइज्ड मैकनिज्म से नहीं, बल्कि दूसरे मैकनिज्म से भी स्टार्ट अप तथा स्टैंड अप मूवमेंट, हमारे प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने प्रारंभ किया है।...(व्यवधान) उसमें देश के कोई भी नौजवान जिसके मन में एक ब्राइट आइडिया है, उस आइडिया को कंपनी तक परिवर्तित करने में, एंटरप्रिन्योरशिप तक परिवर्तित करने के लिए हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट उस नौजवान के पीछे पूरी ताकत से काम कर रहा है।...(व्यवधान) अगर वह नौजवान पूरी तरह से शिक्षित नहीं भी है, फॉमर्ली एजुकेटेड भी नहीं है, तो हमारा नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन है, जो कि अहमदाबाद है।...(व्यवधान) उसने दो लाख से ज्यादा ऐसे लोगों की मदद की है और वहां पर इतने सारे इनोवेशंस डेवलप हुए हैं।...(व्यवधान) इन इनोवेशंस को हम राष्ट्रपति भवन तक ले जाकर देश के सामने सम्मानित करते हैं। ...(व्यवधान) इसलिए, मैं समझता हूं कि पिछले तीन वर्ष के अंदर जिन वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है, उसको टेक्नोलॉजी में परिवर्तित करने के लिए काम हो रहा है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से इस अवसर का प्रयोग करके अपने सभी माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि...(व्यवधान) कल से लेकर 11 अगस्त तक हम पार्लियामेंट एनेक्सी में, जितने भी हमारे प्रमुख साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हैं, उसके अंदर जो हमने नये-नये इनोवेशंस और नई-नई टेक्नोलाजियां विकसित की हैं, उनकी एक बड़ी एग्जीबिशन लगा रहे हैं। इसका उद्घाटन कल हमारे उपराष्ट्रपति जी और आपके माध्यम से होगा। ...(व्यवधान)

मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वह अपना थोड़ा सा समय 11 अगस्त से पहले-पहले कभी भी जाकर पार्लियामेंट एनेक्सी में लगायें, तो उनको खुद इस बात का विश्वास होगा कि हमारे देश के अंदर वैज्ञानिक किस दिशा के अंदर कितनी ज्यादा प्रगति कर पा रहे हैं। ...(व्यवधान)

SHRI NAGENDRA KUMAR PRADHAN : Hon. Speaker, I am thankful to the hon. Minister because during the last three years 129 technological products have been introduced in the market. As you know, I am a Member of the Standing Committee on Science and Technology. I have a little knowledge about this.

May I know from the hon. Minister as to how many products have already been invented? Around 129 products are in the market. So, what is the total number of products so far they have invented in the last three years?

DR. HARSH VARDHAN: I think the figures that I have given in the answer pertain to the last three years itself. There is a mention about the number of technologies that have been transferred to the industry either by this Department or by the DST or by the Department of Biotechnology or by the Technology Development Board as well as what we have developed through international collaborations, like the Indo-US, Indo-German, Indo-French, etc.

So, the figure that I have mentioned in the answer pertains to the last three years itself. In fact, I have given the detailed list of all these products that have been transferred to the industry in the last three years.

(Q.144)

श्री जुगल किशोर : आदरणीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर मुझे बोलने का मौका दिया। देश के युवा आज नरेन्द्र भाई मोदी जी का आभार प्रकट करना चाहते हैं। नरेन्द्र भाई मोदी जी की सरकार ने पहली बार युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए एक अलग से स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बनाया है। इसके माध्यम से गांव-गांव के और पंचायत लेवल तक के युवा प्रशिक्षित होंगे और अपने पैरों पर खड़े होंगे और किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के माध्यम से कौशल केन्द्र डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर खोलने की योजना बनाई है। जम्मू-कश्मीर राज्य में भी काफी कौशल केन्द्र बनाने की योजना है और चल भी रहे हैं और हम इससे संतुष्ट भी हैं। वहां युवा प्रशिक्षित हो रहे हैं। ...(व्यवधान)

राजीव प्रताप रूडी जी, जो इस मंत्रालय का कार्य-भार देख रहे हैं, दिन-रात मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, युवाओं की चिंता भी कर रहे हैं। मेरा प्रश्न यह है कि जम्मू-कश्मीर राज्य में आईटीआई केन्द्र बहुत कम, केवल 38 हैं। मैं जानना चाहता हूं कि मंत्री जी क्या हमारे राज्य में ब्लॉक लेवल पर आईटीआई खोलने की कोई योजना बना रहे हैं, क्योंकि जो कौशल विकास केन्द्र हैं, ये जिला लेवल पर हैं, ब्लॉक लेवल पर अभी तक नहीं हैं, तो क्या कोई ऐसी योजना है? ...(व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी: स्पीकर महोदया, देश में पारम्परिक तौर पर अगर ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है, तो 1956 से आईटीआईज के माध्यम से की गई है। जम्मू और कश्मीर के विषय में माननीय सदस्य ने सवाल उठाया। यह सच है कि आज जम्मू-कश्मीर प्रदेश में मात्र 38 आईटीआईज हैं। उस अनुपात में देखा जाए तो 37 आईटीआईज सरकारी क्षेत्र में हैं और मात्र एक निजी क्षेत्र में है। हम लोगों ने यह सोचा है कि जो आईटीआईज की कल्पना है और पूरे जम्मू-कश्मीर में 65 ब्लॉक जम्मू क्षेत्र में हैं, कश्मीर क्षेत्र में 60 ब्लॉक हैं और लेह और लद्दाख में 18 ब्लॉक हैं। कुल मिलाकर 22 जिले जम्मू-कश्मीर में हैं।

वर्तमान की स्थिति में निश्चित रूप से विस्तार करने की आवश्यकता है। भारत सरकार ने तय किया है, एक प्रस्ताव कैबिनेट के विचाराधीन है, देश के 2500 ऐसे ब्लॉक जहां आईटीआई नहीं हैं, वहां आईटीआई स्थापित किए जाएं, उसी क्रम में अभी जो हमारे पास सूचना जम्मू-कश्मीर के बारे में है, हम एक नई योजना लॉंच करने वाले हैं जिसका आरएफटी पहले लाया गया था, उसमें लगभग 80 स्थानों पर सभी ब्लॉक में मल्टी स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है। जैसे ही यह प्रस्ताव कैबिनेट से स्वीकृत होगा, प्रथम चरण में 1500 स्थानों पर ब्लॉक लेबल पर मल्टी स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आईटीआई और शार्ट टर्म स्किलिंग के लिए होगा। अगर उसकी स्वीकृति प्राप्त होती है तो निश्चित रूप से माननीय सदस्य का जो आग्रह है कि जम्मू-कश्मीर के एक-एक प्रखंड में मल्टी स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाए, सरकार उस पर निश्चित रूप से विचार करेगी।

श्री जुगल किशोर : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के निरीक्षण के कारण देश में आईटीआई की गुणवत्ता कम हुई है, क्या यह सच है? यदि कम हुई है तो इसके क्या कारण हैं? आईटीआई की गुणवत्ता बनी रहे और उसमें अच्छी गुणवत्ता हो उसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदया, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वर्ष 2012 में आईटीआई खोलने के लिए आवेदन एक निर्णय के आधार पर पिछली सरकार ने लिया कि इसे यूसीआई के माध्यम से क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया से इन्सपेक्शन कराकर एक्रिडिशन कराया जाएगा। एक छोटी सी सूचना सदन को देना चाहूंगा कि वर्ष 1956 से लेकर वर्ष 2000 तक देश में आईटीआई की संख्या 4000 के आसपास थी, वर्ष 1956 से लेकर 2004 तक 46 वर्षों में मात्र 4300 आईटीआई देश में खुले वर्ष 2003 से लेकर वर्ष 2014 तक लगभग 5000 आईटीआई खुले। जब से क्यूसीआई आई है तब से लगभग साढ़े चार हजार के आसपास आईटीआई खुले हैं। यह हमारे लिए बहुत ही चिंता का विषय है, जिस प्रकार पूरे भारतवर्ष में गुणवत्ता के अभाव में आईटीआई खुले हैं। आज लगभग साढ़े तीन लाख बच्चे प्राइवेट क्षेत्र के आईटीआई में केवल उत्तर प्रदेश में पढ़ते हैं। अगर उनकी फीस निकाली जाए तो लगभग 1100 करोड़ रुपये फीस के रूप में बच्चे देते हैं, अगर पूरे देश का निकाला जाए, यह बहुत ही चिंता का विषय है। सरकार द्वारा क्यूसीआई के नए अध्यक्ष लाए गए हैं, क्यूसीआई इंटरनेशनल स्तर पर क्वालिटी मेंटेन करने का दायित्व रखती है, कहीं न कहीं इस में चूक गई। हम लोगों ने इसे टेकअप किया है, गुणवत्ता के सुधार के लिए अब से देश में जो भी आईटीआई खुलेंगे वे वर्ष 2017 के नए नार्म्स के तहत खुलेंगे जो सीबीएसई और आईसीएसई के स्कूल की तरह चलेंगे, इसे हम लोगों ने तय कर दिया है, उसके नार्म्स को 15 जुलाई को नोटिफाई कर चुके हैं। इस देश में खुलने वाले तमाम आईटीआई की गुणवत्ता आईसीएसई और सीबीएसई और केन्द्रीय विद्यालय की तरह होगी, आने वाले समय में देश में जो भी आईटीआई खुलेंगे उसके लिए गुणवत्ता के नए मानक तैयार करके दे दिए गए हैं, हमें इस विषय को लेकर चलना है, राज्य सरकारों को वर्ष 2012 से उनकी अनुशंसा प्राप्त करने के लिए अलग कर दिया गया था। The State Governments were not allowed or they were not made participative to the decision making of opening of ITIs. हम लोगों ने नए आईटीआई खोलने में राज्य सरकारों को भी अधिकार दिया है जब तक उनकी अनुमति और स्वीकृति पर उनका मंतव्य नहीं आ जाता तब तक हम नए आईटीआई की स्वीकृति नहीं देंगे। यह बहुत ही चिंता का विषय है और सरकार ने देश के प्रधानमंत्री के निर्देश पर आईटीआई की गुणवत्ता सुधारने के लिए पूरे कदम उठा लिए हैं।

SHRI C.K. SANGMA : Thank you, Madam, for giving me this opportunity to ask a very important question. We all are aware that this is probably one of the most important ministries when it comes to the future of our country keeping in mind the large number of youngsters and youth that we have. With that challenge in mind, I am very happy that the Government is taking initiative to open many new ITIs.

My question to the hon. Minister is this. Many ITIs are already there. In my constituency, our late leader, and our former MP there, the late Shri P.A Sangma *ji* had opened up ITIs as well as a Regional Vocational Training Institute. It is very sad to say that today in most of those ITIs and the RVTI, there are no Principal. In fact the Principal in RVTI is having a dual responsibility. One comes all the way from Kolkata and there is another faculty that comes all the way from Guwahati. So, my question to the hon. Minister is this. Could we take steps to ensure that the ITIs and the RVTIs that have already been set up should have the required manpower and the faculty so that proper skills can be imparted to the youth? The infrastructure that is there is also not up to the mark in most of these ITIs and the RVTIs. I am especially talking about the RVTI which is in Tura. There is no Principal right now; there is not enough faculty and the building is in a very very bad condition. Could I get some kind of an assurance from the hon. Minister that this issue would be taken up so that children could get good skills in the future? Thank you very much, Madam. … (*Interruptions*)

SHRI RAJIV PRATAP RUDY: Madam, this is a very important question. RVTIs were established across the country by the Central Government and one exists in Tura. There is a shortage of officials and Principals in these institutions. We have already moved to see that these vacancies are filled up. At the same time, RVTIs or ATIs which were set up across the country have played a very significant role. I am aware that Shri Sangma, who was the former Speaker, took a very active initiative because he had headed this Department earlier as a Minister of Labour. But I can assure the House that we have already moved in the direction of filling

up the vacancies. In a very short while, we will try to see that the vacancies are filled up, as far as RVTIs are concerned. … (*Interruptions*)

श्री गणेश सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रधानमंत्री जी की स्किल इंडिया की कल्पना के तहत पूरे देश में कौशल विकास केंद्र खोलकर बड़ा अभियान शुरु किया गया है, जिसमें करोड़ों युवाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। इसी के तहत पीपीपी मॉडल में नई टेक्नोलाजी के साथ सरकारी आईटीआई 1396 को चिह्नित किया गया है। …(व्यवधान) मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में ऐसे कितने आईटीआईज़ को शामिल किया गया है? क्या इसमें मेरे संसदीय क्षेत्र की आईटीआई को भी शामिल किया गया है? पीपीपी मॉडल में आईटीआई चिह्नित किए गए हैं, इनमें कौन से ट्रेड चिह्नित किए गए हैं और कितने छात्रों को नई ट्रेनिंग देने में सफल हो पाएंगे? …(व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी: माननीय अध्यक्ष जी, वर्ल्ड बैंक की योजना में पीपीपी मॉडल के तहत उस समय कल्पना की गई थी कि सैंटर आफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी, लगभग 1396 आईटीआई को पूरे भारत वर्ष में ढाई करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इसे इन्टरस्ट फ्री दस साल का मोरेटोरियम के साथ दिया गया था ताकि उसकी गुणवत्ता में सुधार हो सके, सामान और इक्विपमेंट्स को खरीदा जा सके। …(व्यवधान) आईएमसीज़, जो इंडस्ट्री बॉडी के साथ मिलकर सोसाइटी आईटीआई ने बनानी थी, कई स्थानों पर काम बहुत अच्छा रहा है और कई स्थानों पर काम नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश में किन स्थानों पर आईएमसीज़ पीपीपी मॉडल में स्थापित किए गए हैं, मैं उसकी सूची उपलब्ध करा दूंगा। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, मैं इसमें एक विषय जोड़ना चाहूंगा कि गुणवत्ता के सुधार के लिए जयपुर शहर में 316, सीकर में 139, अलवर में 132, इलाहाबाद में 177, मथुरा में 155, पटना जैसे शहर में 221, मध्य प्रदेश ग्वालियर में 59 आईटीआई हैं। इस प्रकार शहरों में ही आकर व्यापार के तौर पर इंस्टीट्यूशन्स खुले हैं। …(व्यवधान) यह हमारे लिए चुनौती का विषय है कि भारत में 2500 ऐसे ब्लॉक्स हैं, जहां आईटीआई नहीं हैं। एक-एक शहर में बड़ी संख्या में खुल गए हैं, हम इसका विश्लेषण कर रहे हैं ताकि पूरे भारत में आईटीआई को गुणवत्ता के साथ स्थापित किया जाए, हम इसका प्रयास कर रहे हैं। माननीय सांसद ने जो सूची मांगी है, वह उपलब्ध करा दी जाएगी। …(व्यवधान)

श्री कौशलेन्द्र कुमार : माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे प्रश्न पूछने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आपने कौशल विकास पर लगातार प्रयास किया है। अभी पीपीपी मॉडल के तहत 1396 सरकारी आईटीआई हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बिहार में कितने आईटीआई हैं? माननीय मंत्री जी बिहार से आते हैं, मेरा अनुरोध है कि बिहार के बारे में विशेष जानकारी दीजिए।…(व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी : अध्यक्ष महोदया, माननीय सांसद ने बिहार के बारे में पूछा है। बिहार में अभी लगभग 1100 प्राइवेट आईटीआईज़ और 67 के आसपास सरकारी आईटीआईज़ हैं। बिहार की स्थिति सचमुच बहुत खराब है। हमने बड़े पैमाने पर आईटीआई की गुणवत्ता को बरकरार करने के लिए उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार में निरीक्षण का काम शुरू करवाया है। इसमें राज्य सरकारों का भी समर्थन मिल रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने आलरेडी सवा सौ आईटीआईज़ की मान्यता समाप्त करने के लिए अपनी रिकमेंडेशन दी है। मेरा बिहार सरकार से भी आग्रह होगा कि जो आईटीआईज़ गुणवत्ता के साथ नहीं चल रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने और ऐसी संस्थाएं जो गुणवत्ता के अभाव में बच्चों से फीस लेकर सर्टिफिकेट जारी करती हैं, उनका निरीक्षण करके उनमें गुणवत्ता लाने का प्रयास करें। मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि राज्य सरकार के साथ मिलकर ऐसी आईटीआईज़ पर कार्रवाई करने का काम करें। हम छानबीन की प्रक्रिया प्रारंभ कर चुके हैं और कई लोगों को नोटिस भी गया है। इस देश में अच्छे आईटीआईज़ चलेंगे, गुणवत्ता और मानक के साथ चलेंगे, अन्यथा सरकार के लिए यह संभव नहीं है कि गुणवत्ता के अभाव में आईटीआई को पूरे भारतवर्ष में चलाया जाये।

HON. SPEAKER: Shri P.V. Midhun Reddy – not present

(Q.145)

DR. MAMTAZ SANGHAMITA : We know the dwellers of the urban slums are in very wretched conditions and in very unhygienic living conditions. They do not have proper toilets, drinking water supply or proper shelter. During the Budget Session, it was said that there would be projects for urban slum development in the form of residential houses. So, I want to know from the hon. Minister the actual situation. How many projects are there in purview? Is the PIP being made? And if it has been made, how many of them are active now and how many of them are in the process, especially in major cities like Kolkata, Mumbai, Chennai and, of course, Delhi?

RAO INDERJIT SINGH: Madam, land and colonization are State subjects. Even housing is primarily a State subject but to implement the Prime Minister's Vision of 2022 where housing will be provided to everybody, the Government of India has taken certain steps by virtue of which they will provide housing to everybody, including those who are residing in slums. By virtue of this Mission which is a seven-year Mission, slums are one area, which are to be addressed in conjunction with the States. The State's primary responsibility and the Mission's responsibility in the Government of India ensure that *in situ* slum development should take place in all the metropolitan cities, and the Government of India provides Rs. 1 lakh per unit under the *in situ* Slum Redevelopment Mission to all States which want to redevelop their slums.

(Q.146)

श्री धनंजय महाडीक : अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी ने दलालों के बारे में बहुत विस्तार से जवाब दिया है, जिसमें इन्होंने कहा है कि जो लोग टिकटों की दलाली करते हैं, उनके लिए कई नियम-कानून हैं, जिनमें शिक्षा और दण्ड का प्रावधान किया गया है। ...(व्यवधान) मैं माननीय मंत्री जी को समस्या के मूल कारणों पर ले जाना चाहता हूं, जैसे छोटे शहरों में आज भी संसाधनों की कमी है।...(व्यवधान) जो गरीब लोग हैं, उन्हें टिकट की लाइन में खड़े रहना पड़ता है, उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और बहुत सीमित जानकारी उनके पास होती है। ...(व्यवधान) इसी वजह से दलाली या दलालों का काम चलता है। साधारण लोगों को टिकट लेने के लिए दलालों की मदद लेनी पड़ती है। ...(व्यवधान)

इसमें दूसरा विषय यह है कि रेलवे स्टेशन्स पर इललीगल वेंडर्स होते हैं। कई रेलवे स्टेशन्स पर बहुत ही लिमिटेड संख्या में दुकानें दी जाती हैं।...(व्यवधान) ऐसे रेलवे स्टेशन्स पर, जहां कोई भी व्यवस्था नहीं है, वहां सेल्फ हेल्प ग्रुप या बचत गटों की महिलाओं को वहां दुकानें खोलने की इजाजत दी जाए और इललीगल दलालों को रोकने के लिए टिकट की प्रणाली साधारण या सरल की जाए, जिससे लोगों को आसानी हो।...(व्यवधान) अगर आसानी होगी तो वहां दलालों के लिए कोई काम नहीं बचेगा। यह बहुत मुश्किल काम कैसे आसान बन सकता है और महिला बचत गट की महिलाओं को वहां शॉप्स कैसे दिए जाएं, इसके बारे में माननीय मंत्री जी क्या विचार रखते हैं, यह मैं उनसे जानना चाहता हूं। ...(व्यवधान)

श्री सुरेश प्रभु: मैडम, मैं सम्मानित सदस्य की बात से सहमत हूं कि हमें इस बारे में अच्छी तरह से सोचकर काम करना चाहिए।...(व्यवधान) मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने दो अलग-अलग बातें पूछी हैं। एक, हमारी जो रिजर्वेशन प्रणाली है, उसमें परिवर्तन करने के लिए कुछ दिन पहले ही, हम लोगों ने एक नया एप लॉंच किया है। ...(व्यवधान) आप रेल के साथ जो भी व्यवहार करना चाहें, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस एक एप से मिलती है। ...(व्यवधान) सिर्फ स्मार्ट फोन ही नहीं, नॉन स्मार्ट फोन से भी आप रेल के साथ किस तरह से काम कर पाते हैं, किस तरह से बुकिंग कर पाते हैं, इसको भी हम देख रहे हैं। ...(व्यवधान) इसी तरह से, पहले 30 मिनट में एडवांस रिजर्वेशन पीरियड, जिसमें दलाल लोग आकर पहले टिकट ब्लॉक करते थे, हमने उसके ऊपर भी रोक लगाई है।...(व्यवधान) चूंकि अब दलाल लोग अलग-अलग नामों से टिकट बुक करते हैं, टिकट एक आदमी के नाम से बुक करेंगे और उस टिकट से दूसरा आदमी ट्रैवल करेगा, इसको टालने के लिए हमने आइडेंटिटी प्रूफ लेने की शुरूआत की है।...(व्यवधान)

हमने एक नई शुरूआत की है कि चार्ट बनने के बाद, लेकिन ट्रेन छूटने से पहले यदि कोई खाली सीट मिलती है तो उसे भी आप इमिडिएटली इंटरनेट द्वारा बुक कर सकते हैं। पहले दलाल इसका लाभ उठाते थे।...(व्यवधान) इसी तरह से पीआरएस सिस्टम में सीट ट्रांसफर करने की जो व्यवस्था है, अगर इस स्टेशन पर कोई सीट वैकेंट रही तो उसे अगले स्टेशन की चार्टिंग में ऑटोमेटिकली ट्रांसफर करने के लिए प्रावधान किया गया है।...(व्यवधान) इसी तरह से एक अल्टरनेट ट्रेन एक्मोडेशन (विकल्प) स्कीम भी लांच की गयी है। सभी स्टेशन्स पर, जहां टिकट बुक किए जाते हैं, वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की भी हमने शुरूआत की है, ताकि कोई भी अगर चोरी करेगा तो उसके बारे में पता चलेगा। ...(व्यवधान) वन टाइम पासवर्ड भी दिए जा रहे हैं। आपको यह सुनकर खुशी होगी कि हम लोगों ने कुछ दिन पहले एक ड्राइव चलाई थी, उसमें हमने 307 टाउट्स को पकड़ा, 59,115 अनअथराइज्ड वेंडर्स को पकड़ा और सात इललीगल टिकटिंग एजेंसीज को प्रॉसिक्यूट करने की शुरूआत की है। ...(व्यवधान)

जो आपका दूसरा सवाल है, खान-पान में जो अलग से, गलत लोग आकर सामान देते हैं, उनके बारे में मैंने आपको बताया है कि इललीगल वेंडर्स के ऊपर क्या एक्शन्स लिए गए हैं। ...(व्यवधान) आपकी बात बिल्कुल सही है और हम लोगों ने एक नीति बनाई है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को भी वहां स्थान देना चाहिए। जो पुराने स्टॉल दिए गए थे, उनकी वजह से हमारी कैटरिंग व्यवस्था में एक समस्या आई है।...(व्यवधान) ये स्टॉल्स वर्ष 2014 से पहले दिए गए हैं। ...(व्यवधान) जब मुझे मौका मिलेगा तो आपको इस बारे में विस्तार से बताऊंगा कि पिछली सरकार के समय में जो स्टॉल्स दिए गए थे, उससे क्या हुआ। ...(व्यवधान) आज मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि हमने एक कैटरिंग पॉलिसी बनाई है, उसमें हम लोग यह व्यवस्था कर रहे हैं कि कोई भी स्टॉल लोकल आदमी को मिलना चाहिए, वहां के लोगों का डोमिसाइल होना चाहिए। ...(व्यवधान) उसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए प्रावधान करने के लिए सुप्रिया सुले जी भी काफी काम कर रही हैं, इसलिए हम लोग यह कोशिश भी कर रहे हैं कि ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो चीज बनाएंगे, उनको रेल खरीदेगी। हमने उसकी शुरूआत भी की है।...(व्यवधान) सावंतवाड़ी में महिलाएं जो सामान बनाती हैं, वहां से खान-पान लेने की हमने शुरूआत भी कर दी है। ...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Do you have a second supplementary?

SHRI DHANANJAY MAHADIK : No, Madam.

HON. SPEAKER: You don’t have a supplementary. Thank you.

Now Shri Uday Pratap Singh.

श्री उदय प्रताप सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। माननीय मंत्री जी ने बहुत विस्तार से अवैध वेंडर्स और अनधिकृत

रुप से टिकटिंग का जो व्यवसाय होता था, उस पर जवाब दिया है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि लगातार 40-40 साल पहले जो स्टॉल्स बहुत कम पैसों में अलॉट हुए, जिन्हें लोग चला रहे हैं, उनको वे भाड़े पर देकर काम करते हैं।

मेरे संसदीय क्षेत्र में इटारसी देश का एक बड़ा जंक्शन है। मैंने पहले भी मंत्रालय को इस बात से अवगत कराया है कि वहां पर अनधिकृत वेंडर्स और टिकट्स का एक बड़ा व्यवसाय है। यहां तक कि वहां पर ट्रेन के प्लेटफॉर्म चेंज कराने के लिए भी अवैध तरीके से प्रयास होता है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इटारसी जैसा महत्वपूर्ण जंक्शन, 300 से अधिक सवारी गाड़ियां वहां से रोज निकलती हैं, क्या वहां पर बेहतर वेंडिंग व्यवस्था हो सकती है जिससे अवैध वेंडर्स खत्म हों और हमारे जो अधिकारी और कर्मचारी इस पूरे सिस्टम में इंवाल्व हैं, क्या उनके खिलाफ कोई कार्यवाही मंत्री जी करेंगे?

श्री सुरेश प्रभु : माननीय अध्यक्ष जी, यह हमारे लिए प्राथमिकता का सवाल है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार आने के बाद हम लोगों ने खानपान सेवा में पूरी तरह से बदलाव लाने के लिए अनेक कदम उठाये हैं। उनमें से पहला कदम यह था कि आप जो खाना अपनी सीट पर खाना चाहेंगे, उसके लिए ई-कैटरिंग जैसी व्यवस्था की शुरुआत भी हमने की। आज मुझे इस बात का गर्व है कि ई-कैटरिग जैसी सेवा बहुत सारे देशों में आज भी शुरु नहीं है। लेकिन अब की जा रही है। साथ ही जो नयी खानपान नीति बनायी गई है, उसमें प्रमुख बिन्दु यही है कि आज जो कांट्रैक्टर्स हैं, जिनको कांट्रैक्ट पहले से ही दिया जा चुका है, जो ठेकेदार हैं, वे ही खाना बनाते हैं और वे ही खाना लोगों को देते हैं। इसमें किस तरह से खाना बनाया जाता है ताकि उनके ऊपर सही मायने में कार्रवाई की जा सके, इसके लिए हमने तय किया कि खाना बनाने के लिए एक अलग व्यवस्था बने। पूरी तरह से एक मैकेनाइज्ड किचन बनाई जाए। वह मैकेनाइज्ड किचन पूरी तरह से अच्छी क्वॉलिटी की बनाई जाए और साथ ही में उसका जो वितरण है, वह वितरण अच्छी मात्रा में लोगों को दिया जाए। जो पुराने कांट्रैक्टर्स हैं, उनको टर्मिनेट करके इस तरह की व्यवस्था में हम परिवर्तन कर रहे हैं। इसमें जो समय लगेगा, उसके साथ-साथ हम पूरी तरह से कोशिश करें कि जहां पर भी हमें ऐसी शिकायत मिलती है कि कोई भी ठेका जो महीने या दो महीने पहले तय किया गया है, तुरंत सबसे पहले उसका कांट्रैक्ट रद्द किया जाए। उसके ऊपर कार्यवाही की जाए। इसी तरह से पिछले दो सालों में ज्यादा से ज्यादा सख्त कार्यवाही हमने ऐसे कांट्रैक्टर के खिलाफ भी की है और यह बिल्कुल सही है कि जहां जहां पर भी यदि ऐसे सबूत होंगे कि हमारे अधिकारी भी इसमें इंवाल्व्ड हैं, तो आप मुझे दे दीजिए। हम उसके ऊपर जितनी सख्त कार्रवाई हो सकेगी, उतनी कार्रवाई जरूर करेंगे।

श्री भगवंत मान : माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय रेल मंत्री जी से पूछना चाहता हूं और बताना भी चाहता हूं कि कई बार ऐसा होता है कि ट्रेन्स में आईआरटीसी की इंटरनैट साइट के जरिये यदि बुकिंग करने की

कोशिश करते हैं तो बुक्ड आता है कि इस ट्रेन की कोई टिकट उपलब्ध नहीं है। अगर स्टेशन पर जाकर तत्काल में कोशिश की जाए तो लाइन में जो पैसेंजर्स लगे होते हैं, तब वहां पर कुछ इललीगल वेंडर्स जो होते हैं, जो अनऑथोराइज्ड एजेंट्स होते हैं, वे उनको लालच देते हैं कि यहां नहीं मिलेगी। आपको हम यह टिकट थोड़े ज्यादा पैसे पर उपलब्ध करा देंगे। क्या इस बारे में माननीय रेल मंत्री जी के पास शिकायतें पहले भी आई हैं और यदि हां तो क्या इसके बारे में कुछ कदम उठाये जा रहे हैं?

श्री सुरेश प्रभु : मैडम, जैसे मैंने पहले कहा कि इसका मूल कारण यह है कि लोग जितना सफर करना चाहते हैं, उतनी पर्याप्त मात्रा में सीट्स न होने के कारण यह हो रहा है। मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले डेढ़ साल में हम यही नैटवर्क फुल कैपेसिटी में करने के लिए इसकी कैपेसिटी ऑगमेंट कर रहे हैं। इसकी डबलिंग 16500 कि.मी. दी जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा ट्रेन भी चले क्योंकि जितनी ट्रेन्स चलेंगी, कैपेसिटी बढ़ेगी तो स्पष्ट है कि जितने लोग सफर करना चाहेंगे, उनको टिकट मिलेगी तो दलाली का काम खत्म हो जाएगा।

आज यह व्यवस्था इसीलिए चल रही है कि जितनी मात्रा में लोग सफर करना चाहते हैं, उतनी टिकट नहीं मिलती। लेकिन यह काम हो रहा है, उसमें थोड़ा समय लगेगा। लेकिन पिछले डेढ़ सालों में तीन करोड़ से ज्यादा हम लोगों ने नयी बर्थ क्रिएट की हैं। इस तरह से एक काम तो हो गया लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि 8-10 दिन पहले हमने एक ऐप लान्च किया कि एक ऐप के ऊपर टिकट बुक करने के लिए आपको सुविधा मिलेगी और साथ ही यह सही है कि जहां जहां पर जो अवैध काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम लोग कैम्पेन चला रहे हैं। यह काम भी चल रहा है और सीसीटीवी कैमरे भी हम लोगों ने लगाये हैं लेकिन यह भी सही है कि जितनी भी हम लोग सुविधाएं देंगे, जितनी भी हम लोग कोशिश करेंगे, लेकिन जब तक आपूर्ति और हमारी मांग में जो अंतर है, उसको भरने के लिए पूरी मात्रा में जो कैपेसिटी ऑग्मेंट कर रहे हैं, वह होने के बाद स्थिति पूरी तरह से खत्म हो जाएगी।

12.00 hours

श्री प्रतापराव जाधव : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि वर्ष 2014 से यह सरकार आने के बाद रेलवे स्टेशनों पर पैसेंजर्स की जो गैर-व्यवस्था होती थी, उसमें बहुत सुधार किये गये हैं। मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि जो वेंडर्स वहां पर 40-40 साल से काम कर रहे हैं, उन वेंडर्स द्वारा जो वस्तुयें बेची जाती है, वे बहुत ही निकृष्ट दर्जे की होती हैं, उनमें सुधार करने के लिए और उनकी देख-रेख करने के लिए हम ने कौन सी व्यवस्था डेवेलप की है।...(व्यवधान)

श्री सुरेश प्रभु : अध्यक्ष महोदया, यह बिल्कुल सही है, इसलिए हम एकदम नयी कैटरिंग पॉलिसी लाये हैं।...(व्यवधान) आपने बिल्कुल सही कहा है कि जितने पुराने साल से काम करने वाले लोग हैं, उनके बारे में शिकायतें भी आती है।...(व्यवधान) मैं सदन से विनती करूंगा कि आप सहयोग दीजिए, क्योंकि हम पूरी मात्रा में अच्छी कैटरिंग देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ...(व्यवधान) इसके लिए नयी कैटरिंग पॉलिसी लायी जाये जिसमे, अच्छे लोग आये, इसके लिए हम कोशिश करें।...(व्यवधान) इस पर अमल करने की शुरुआत की गयी है।...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Members, I have received notices of Adjournment Motion from some Members on different issues. The matters, though important, do not warrant interruption of Business of the Day. The matters can be raised through other opportunities. I have, therefore, disallowed all the notices of Adjournment Motion.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Please go to your seats now.

… (*Interruptions*)

<u>12.01 hours</u>

PAPERS LAID ON THE TABLE

HON. SPEAKER: Now, Papers to be laid on the Table.

Shri Rao Inderjit Singh.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING, AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS (RAO INDERJIT SINGH): Madam, I beg to lay on the Table a copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 102 of the Metro Railways (Operation and Maintenance) Act, 2002:-

(1) The Delhi Metro Rail (Procedure to be followed by Claims Commissioner and Amount of Compensation paid in case of Death and Injuries due to Accidents) Rules, 2007 published in Notification No. G.S.R.353(E) published in Gazette of India dated 13th April, 2017.

(2) The Delhi Metro Rail (Procedure for Investigation of Misbehaviour or incapacity of Claims Commissioner) Rules, 2007 published in Notification No. G.S.R. 354(E) published in Gazette of India dated 13th April, 2017.

[Placed in Library, See No. LT 7178/16/17]

… (*Interruptions*)

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) : अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं -

(1) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवा (निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट) संशोधन नियम, 2017 जो 16 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 596(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7179/16/17]

(2) संविधान के अनुच्छेद 320 के खंड (5) के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) संशोधन विनियम, 2017 जो 26 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 519(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7180/16/17]

…(व्यवधान)

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल विजय कुमार सिंह) (सेवानिवृत्त) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपकी अनुमति से विश्व मामलों से संबंधित भारतीय परिषद अधिनियम, 2001 की धारा 27 के अंतर्गत विश्व मामलों से संबंधित भारतीय परिषद, भर्ती विनियम, 2017, जो 25 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. आईसीडब्ल्यूए/एडिमन/551/24/2012 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[Placed in Library, See No. LT 7181/16/17]

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI RAJEN GOHAIN): Madam, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 619A of the Companies Act, 1956:-

(i) Review by the Government of the working of the Hassan Mangalore Rail Development Company Limited, Bangalore, for the years 2006-2007 to 2012-2013.

(ii) Annual Report of the Hassan Mangalore Rail Development Company Limited, Bangalore, for the years 2006-2007 to 2012-2013, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 7182/16/17]

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EARTH SCIENCES (SHRI Y.S. CHOWDARY): Madam, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) issued under sub-section (1) of Section 28 of the Academy of Scientific and Innovative Research Act, 2011:-

(i) The Academy of Scientific and Innovative Research Statutes, 2017 published in Notification No. S.O.1153(E) in Gazette of India dated 11th April, 2017.

(ii) The Academy of Scientific and Innovative Research Ordinances 2017 published in Notification No. G.S.R.345(E) in Gazette of India dated 11th April, 2017.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 7183/16/17]

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTR OF INFORMATION AND BROADCASTING (COL. RAJYAVARDHAN RATHORE (RETD.)): Madam, I beg to lay on the Table a copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the National Film Development Corporation Limited and the Ministry of Information and Broadcasting for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 7184/16/17]

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI P.P. CHAUDHARY): Madam, I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Law Institute, New Delhi, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Law Institute, New Delhi, for the year 2015-2016.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 7185/16/17]

(3) A copy each of the following Reports (Hindi and English versions) of the Law Commission of India:-

(1) Report No. 264 — The Criminal Law (Amendment) Bill, 2017 (Provisions dealing with Food Adulteration) - January, 2017.

[Placed in Library, See No. LT 7186/16/17]

(2) Report No. 265 – Prospects of Exempting Income arising out of Maintenance Money of 'Minor' - March, 2017.

[Placed in Library, See No. LT 7187/16/17]

… (*Interruptions*)

12.02 hours

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

SECRETARY GENERAL: Madam Speaker, I have to report the following messages received from the Secretary General of Rajya Sabha:-

(i) "In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 24th July, 2017 agreed without any amendment to the Footwear Design and Development Institute Bill, 2017, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 5th April, 2017."

(ii) "In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 24th July, 2017 agreed without any amendment to the Admiralty (Jurisdiction and Settlement of Maritime Claims) Bill, 2017, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 10th March, 2017."

… (*Interruptions*)

12.03 hours

DEPARTMENTALLY RELATED STANDING COMMITTEES

Summary of Work

SECRETARY GENERAL: Madam, I beg to lay on the Table a copy each of the Hindi and English versions of the 'Departmentally Related Standing Committees - Summary of Work (1st September, 2015 to 31st August, 2016)'.

… (*Interruptions*)

12.03 ½ hours

PARLIAMENTARY COMMITTEES (OTHER THAN FINANCIAL AND DRSCs)

Summary of Work

SECRETARY GENERAL: Madam, I beg to lay on the Table a copy each of the Hindi and English versions of the 'Parliamentary Committees (Other than Financial and Departmentally Related Standing Committees) - Summary of Work (1st June, 2015 to 31st May, 2016)'.

… (*Interruptions*)

12.04 hours

AMENDMENT TO DIRECTIONS BY THE SPEAKER, LOK SABHA UNDER RULES OF PROCEDURE AND CONDUCT OF BUSINESS IN LOK SABHA

SECRETARY GENERAL: Madam, I beg to lay on the Table the amendment to Directions (Hindi and English versions) issued by the Speaker under the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha.

… (*Interruptions*)

12.04 ½ hours

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS
35th Report

DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): Madam, I beg to present the Thirty-fifth Report (Hindi and English versions) of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions.

… (*Interruptions*)

12.04 ¾ hours

RULES COMMITTEE
3rdReport

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपकी अनुमति से लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 331 के उप-नियम (1) के अंतर्गत नियम समिति का तीसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

…(व्यवधान)

12.05 hours

COMMITTEE ON PETITIONS
34th to 39th Reports

श्री भगत सिंह कोश्यारी (नैनीताल - उधम सिंह नगर): अध्यक्ष महोदया, मैं याचिका समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) मध्य रेलवे में समूह 'घ' पदों के लिए चिकित्सीय परीक्षा उत्तीर्ण हुए उम्मीदवारों की नियुक्ति के बारे में श्री आनंदराव अडसुल, संसद सदस्य, लोक सभा से प्राप्त अभ्यावेदन के बारे में समिति के 31वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी चौतीसवां प्रतिवेदन ।

(2) क्रेडिट इन्फोरमेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया (सीआईलीआईएल) की सूची में कृषि ऋण के चूककर्ताओं के नाम शामिल न किए जाने के बारे में श्री अमोल एम. टोटेय से प्राप्त अभ्यावेदन के बारे में याचिका समिति के तीसरे प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी पैतीसवां प्रतिवेदन ।

(3) मुंबई उपनगरीय ट्रेन सेवा में प्लेटफार्म तथा लोकल ट्रेन के कोचों के बीच अत्यधिक दूरी के कारण लोगों के मारे जाने तथा चोटिल होने से उत्पन्न भयानक स्थिति के बारे में सर्वश्री मधु कोटियन और जीतेश मटालिया से प्राप्त तथा डॉ. किरीट सोमैया, संसद सदस्य द्वारा अग्रेषित अभ्यावेदन के बारे में याचिका समिति के 13वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी छत्तीसवां प्रतिवेदन ।

(4) सोना-चांदी या आभूषण की खरीद के लिए किए गए लेन-देन हेतु स्थायी खाता संख्या (पीएएन) का अनिवार्य रूप से उद्धरण किए जाने के बारे में श्री मनीष जैन से प्राप्त अभ्यावेदन के बारे में याचिका समिति के 15वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी सैतीसवां प्रतिवेदन ।

(5) भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा लोक उद्यम विभाग के मार्ग निर्देशों के उल्लंघन किए जाने के बारे में कोचिन रिफाइनरीज एम्प्लोईज एसोसिएशन के महासचिव श्री पी.एन. सुरेन्द्रन नायर से प्राप्त अभ्यावेदन के बारे में याचिका समिति के 17वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी अड़तीसवां प्रतिवेदन ।

(6) झारखंड के देवघर में एक नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान इंस्टीट्यूट (एआईआईएमएस) खोले जाने के बारे में सर्वश्री लखन तूरी और महेन्द्र प्रसाद कुशवाहा तथा श्री निशिकांत दूबे, संसद सदस्य द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन के बारे में याचिका समिति के 23वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी उनतालीसवां प्रतिवेदन ।

…(व्यवधान)

12.05 ½ hours

COMMITTEE ON WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES
Action Taken Statement

डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद) : अध्यक्ष महोदया, मैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय (स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग) से संबंधित 'सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में मिड डे मील स्कीम में अस्पृश्यता का निवारण' के बारे में 30वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के चौथे प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) के अध्याय 1 और 5 में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-अंतिम कार्रवाई संबंधी विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

…(व्यवधान)

12.05 ¾ hours

STANDING COMMITTEE ON LABOUR
27th Report

डॉ. किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व) : अध्यक्ष महोदया, मैं 'एमटीएनएल में स्थायी प्रकृति के कार्यों के लिए संविदागत/नैमित्तिक/सफाई कर्मचारियों की तैनाती' के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति के 19वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति का सत्ताईसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

…(व्यवधान)

12.06 hours

STATEMENTS BY MINISTERS

(i) Status of implementation of the recommendations contained in the 128 th Report of the Standing Committee on Commerce on Demands for Grants (2016-17), pertaining to the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry*

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Madam, I would like to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 128th Report of the Standing Committee on Commerce on Demands for Grants (2016-2017) (Demand No. 12), pertaining to the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry.

… (*Interruptions*)

12.06½ hours

(ii) Status of implementation of the recommendations contained in the 48th Report of the Standing Committee on Finance on Demands for Grants (2017-18), pertaining to the Ministry of Planning*

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION (RAO INDERJIT SINGH): Madam, I would like to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 48th Report of the Standing Committee on Finance on Demands for Grants (2017-2018), pertaining to the Ministry of Planning.

… (*Interruptions*)

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See Nos. LT 7188/16/17 and 7189/16/17 respectively.

12.07 hours

MOTION RE: JOINT COMMITTEE ON OFFICES OF PROFIT

DR. SATYA PAL SINGH (BAGHPAT): Madam Speaker, I beg to move the following :

> "That this House do recommend to Rajya Sabha that Rajya Sabha do elect two Members of Rajya Sabha, in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote, to the Joint Committee on Offices of Profit in the vacancies to be caused by the retirement of Shri Dilipbhai Pandya and Shri Sukhendu Sekhar Roy from Rajya Sabha and do communicate to this House the name of the members so elected by Rajya Sabha to the Joint Committee."

HON. SPEAKER: The question is:

> "That this House do recommend to Rajya Sabha that Rajya Sabha do elect two Members of Rajya Sabha, in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote, to the Joint Committee on Offices of Profit in the vacancies to be caused by the retirement of Shri Dilipbhai Pandya and Shri Sukhendu Sekhar Roy from Rajya Sabha and do communicate to this House the name of the members so elected by Rajya Sabha to the Joint Committee."

The motion was adopted.

… (*Interruptions*)

____

माननीय अध्यक्ष : सुषमा स्वराज जी, मोसुल की घटना के संदर्भ में सदन में स्टेटमेंट देना चाहती हैं। आप कृपया शांति रखिए।

…(व्यवधान)

विदेश मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। मैं इराक में बंधक 39 भारतीयों के विषय में सदन को बताना चाहती हूं।…(व्यवधान) यह बहुत संजीदा विषय है और मैं उतनी ही संजीदगी से उत्तर देना चाहती हूं।…(व्यवधान) मैं अपने साथियों से निवेदन करना चाहती हूं कि उतनी ही संजीदगी से मेरी बात को सुनें।…(व्यवधान) यह हंगामे में बोलने वाला विषय नहीं है।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं क्या कर सकती हूं। ये लोग सुनना नहीं चाहते हैं।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप मंत्री जी की स्टेटमेंट सुनिए। मैंने मना नहीं किया है, बाद में आपको बोलने का मौका दिया जाएगा।

…(व्यवधान)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): Madam, what is this? … (*Interruptions*) This is unfair. … (*Interruptions*) Madam, this is injustice. … (*Interruptions*) Madam, our Members are standing in the well of the House. … (*Interruptions*) What is this going on? … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आप वैल में क्यों आते हो? मैंने कहा है कि प्रश्नकाल के बाद आपको बोलने का मौका दूंगी। आप मुझे काम पूरा करने दो, आपको बोलने का मौका मिलेगा। आप वैल में आते हैं, इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। अब मिनिस्टर का स्टेटमेंट होना ही चाहिए।

…(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : आप हमारे छह सदस्यों का सस्पेंशन वापस लीजिए। मंत्री जी का स्टेटमेंट हमें मालूम है, जो इन्होंने राज्य सभा में दिया है, वही यहां देने वाले हैं। इस पर प्रिविलेज मांगेंगे।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठ जाएं। अभी अरूण जेटली जी सप्लीमेंट्री डिमांड्स रखेंगे। उसके बाद शून्यकाल शुरू हो जाएगा।

…(व्यवधान)

श्री फारूख अब्दुल्ला (श्रीनगर) : अध्यक्ष जी, आप छह सदस्यों को माफ कर दीजिए, यह मामला शांत हो जाएगा।…(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष जी, मैं खड़गे जी को बताना चाहती हूं कि मैंने राज्य सभा में कोई बयान नहीं दिया है। मैं पहले लोक सभा में आई हूं। खड़गे जी मेरे किस बयान की बात कर रहे हैं? किस पर खड़गे जी प्रिविलेज की बात कर रहे हैं? मैं खड़गे जी से निवेदन करना चाहती हूं। यह बहुत ही संज़ीदा विषय है। ...(व्यवधान) मैं हंगामें में नहीं बोलूँगी। मैं संज़ीदगी से उत्तर देना चाहती हूँ। इसे संज़ीदगी से सदन सुने, मैं निवेदन करती हूँ। मैं अपनी बात बीस-बाइस मिनट में खत्म कर दूँगी, उसके बाद आपको जो करना हो, वह करना। ...(व्यवधान) लेकिन पूरा सदन इसे सुनना चाहता है। पूरा देश इसके बारे में जानना चाहता है। कृपया मुझे शांति से सुनने का अवसर दें। इसलिए मैं आप लोगों से विशेष निवेदन करती हूँ। यहाँ पर दो लोग खड़े हैं, जो बार-बार पंजाब के लोगों के बारे में पूछते हैं। ...(व्यवधान) अगर पंजाब के लोग हैं, तो उसका तकाज़ा है कि प्लीज बैठिए और मेरी बात सुनिए। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अगर आप यहाँ से बोलेंगे तो वह जवाब नहीं देंगी।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Shri Venugopal Ji, you know better.

... (*Interruptions*)

श्रीमती सुषमा स्वराज : पहले आप सुनिए, फिर बताइए।...(व्यवधान) मैं इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देना चाहती हूँ, जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि मिसलीड कर रही हैं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सुषमा जी कल शाम को पाँच बजे स्टेटमेंट देना चाहती थीं, हमने बोला भी था। लेकिन आपने कल भी हाउस चलने नहीं दिया। आप हाउस नहीं चलाते हो और फिर मिनिस्टर के ऊपर कुछ बोलोगे, that is not fair. I am sorry.

... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : इसलिए आप लोग प्लीज सुनिए। उनका स्टेटमेंट हो जाने दें।

...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष जी, ये शांति से सुनेंगे, तो मैं बोलूँगी। मैं हंगामे में नहीं बोलूँगी।...(व्यवधान) यदि वेल में नारेबाजी होगी, तो मैं नहीं बोलूँगी। ...(व्यवधान) मैंने कहा कि यह बहुत ही संज़ीदा विषय है। ये जितने प्रश्न उठा रहे हैं, मैं सबका उत्तर दूँगी। लेकिन ये पहले बैठ जाएँ। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप स्टेटमेंट सुनना चाहेंगे या नहीं?

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप मुझे एक बात बताओ। मोसुल में हमारे भारतीयों के लिए हम लोग चिन्तित हैं, उनके बारे में आप बार-बार क्वेरी करते हैं। चन्दूमाजरा जी, मान जी सभी उसके बारे में प्रश्न करते हैं। इसलिए आप स्टेटमेंट सुनना चाहते हैं या नहीं सुनना चाहते हैं, बताइए?

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री खड़गे जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी।

…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Yes, I would like to ask you.

… (*Interruptions*)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : उसके बारे में जितनी कंसर्न्ड सरकार है, उतना ही कंसर्न्ड हमें भी है। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : तो फिर सुनिए।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : हमने तो किसानों का मुद्दा आपके सामने रखा, लिंचिंग का मुद्दा रखा, मॉब का मुद्दा रखा। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : वह बात अलग है। इसके बारे में बाद में कहें। Sorry.

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप स्टेटमेंट सुनना चाहेंगे या नहीं?

…(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : देश में और विदेश में इससे बदनामी हो रही है।…(व्यवधान) …*

HON. SPEAKER: Nothing will go on record like this.

… (*Interruptions*) *

माननीय अध्यक्ष : इसको मैंने अलाऊ नहीं किया है। मैंने कहा है कि पहले पूरा काम होने दें, फिर आपको बोलने दूँगी।

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: This will not go on record.

… (*Interruptions*)*

माननीय अध्यक्ष : आप स्टेटमेंट सुनना चाहेंगे?

…(व्यवधान)

* Not recorded.

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : जिन सदस्यों को आपने सस्पेंड किया है...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: This will not go on record.

… (*Interruptions*) *

माननीय अध्यक्ष : आप बता दें, आप नहीं सुनना चाहेंगे।

…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: If you don't want to listen….

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आप सुनिए। वह स्टेटमेंट दे रही हैं। बाकी सारे सदस्य स्टेटमेंट सुनना चाहते हैं। टू-थर्ड से ज्यादा सदन इनकी बात सुनना चाहता है। केवल आप लोग नहीं सुनना चाहते हो, तो कोई बात नहीं।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : फिर आप शांति से बैठें। मैं आपको मना नहीं कर रही हूँ। आपको कभी भी मना नहीं किया है। Please, go to your seats.

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सुषमा जी की बातों को पूरा सदन सुनना चाह रहा है। यह बहुत गंभीर मसला है। मैं एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, उनको स्टेटमेंट देने दीजिए। वह कल भी स्टेटमेंट देना चाहती थीं।

…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Please do not do like this. Please cooperate with the Chair. Chair also would like to cooperate with you. Please go to your seats.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : Please go to your seats. ऐसे चर्चा नहीं होती है। सदन में वेल में चर्चा नहीं होती है।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मेरा एक ही प्रश्न है। पूरा सदन आपसे एक ही प्रश्न करना चाहता है। मोसुल में जो हमारे भारतीय संकट में फंसे हैं, उस संबंध में माननीय सुषमा जी की इराक के विदेश मंत्री से कुछ बात हुई है। उसे आप सुनना चाहेंगे कि नहीं सुनना चाहेंगे?

* Not recorded.

…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: No, please don't speak like that.

… (*Interruptions*)

श्रीमती सुषमा स्वराज : माननीय अध्यक्ष जी, मैं बोलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस तरह नहीं। मैंने आपसे कहा कि यह बहुत ही संज़ीदा विषय है। मैं बहुत संज़ीदगी से उत्तर देना चाहती हूँ। उसी संज़ीदगी से इसे सदन सुने। यदि इस तरह ये लोग वेल में खड़े होकर नारेबाजी करेंगे, तो मैं नहीं बोल सकूँगी।…(व्यवधान) ये अपनी-अपनी सीटों पर चले जाएँ और मेरी बात सुनें। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : इनको संजीदगी मैं तो नहीं सिखा सकती न।

श्रीमती सुषमा स्वराज : तो मैं नहीं बोलूँगी। …(व्यवधान)

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री अनन्तकुमार): मैडम, अब सप्लिमेंटरी ले सकते हैं।

12.15 hours

DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS - (GENERAL), 2017-18

THE MINISTER OF FINANCE, MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS AND MINISTER OF DEFENCE (SHRI ARUN JAITLEY): Madam, I beg to present a statement (Hindi and English versions) showing Supplementary Demands for Grants for 2017-18.

[Placed in Library, See No. LT 7190/16/17]

12.15 ½ hours

DEMANDS FOR EXCESS GRANTS – (GENERAL), 2014-15

THE MINISTER OF FINANCE, MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS AND MINISTER OF DEFENCE (SHRI ARUN JAITLEY): Madam, I beg to present a statement (Hindi and English versions) showing Demands for Excess Grants (General) for 2014-15.

[Placed in Library, See No. LT 7191/16/17]

12.16 hours

HON. SPEAKER: Now, the House shall take up 'Zero Hour'.

… (*Interruptions*)

OBSERVATION BY THE SPEAKER

Certain remarks made about Shri Jyotiraditya M. Scindia by Dr. Virendra Kumar and Shri Manohar Utawal On 24th July 2017

माननीय अध्यक्ष : माननीय साथीगण, प्लीज। आज मैं स्पीकर के रूप में जीरो आवर में दो मिनट के लिए कुछ कहना चाहूँगी। आई.एम.सॉरी। मुझे भी, एज़ ए स्पीकर और एज़ ए पर्सन, कई दफा यह लगता है कि मैं सदन के किसी भी सदस्य के साथ अन्याय न करूँ। यह मेरी भी भावना है। इसलिए मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहती हूँ। परसों ज़ीरो आवर में श्री वीरेन्द्र कुमार जी ने जो बात उठाई थी, उसमें माननीय ज्योतिरादित्य जी का नाम आया था, जिससे वे आहत हुए थे। मैं माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का सम्मान करती हूँ। केवल उनको ही नहीं, बल्कि उनकी दादी जी का भी हम सभी लोग बहुत सम्मान करते थे। उनके पिता जी भी इस सदन के सम्मानित सदस्य रहे हैं। उनका भी हम सम्मान करते हैं। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आहत होकर मेरे पास आए थे, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि उनका नाम बार-बार इस तरीके से लिया गया है। उन्होंने कहा था कि वे इस बारे में स्टेटमेंट देकर कुछ बोलना चाहते हैं।

मुझे भी यह बात लगी कि यदि वे आहत हुए हैं जिस कारण मैंने उनको बोलने का मौका भी दिया। कल उन्होंने यहाँ पर अपनी बात भी रखी थी। उनके द्वारा अपनी बात रखने के बाद जो भी हंगामा हुआ, उस समय वीरेन्द्र कुमार जी ने भी अपना कुछ एक्सप्लिनेशन देना चाहा था। मगर उस समय सदन में जो शोर-गुल हो रहा था, उसके कारण मैंने वीरेन्द्र जी को समय नहीं दिया था। लेकिन बाद में मैंने पूरा रिकॉर्ड देखा था। इसमें थोड़ी सी गलती हमारे ऑफिस की भी है, यह मुझे मानना चाहिए। मैंने सारे 'अनकरेक्टिड स्टेटमेन्ट' भी देखे। मैंने बात करते समय यह कहा था कि रिकॉर्ड में किसी का नाम न हो। मैं हमेशा बोलती हूँ कि नाम डिलीट किया करो। 'अनकरेक्टिड स्टेटमेन्ट' में मैंने देखा कि श्री वीरेन्द्र कुमार ने उनके यहाँ शिवपुरी में घटित घटना के संदर्भ में कहा था कि 'संसद सदस्य श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के सांसद प्रतिनिधि और नाम लिया था'। मैंने जब अपने ऑफिसर्स से नाम डिलीट करने को कहा, तो उन्होंने गलती से पूरा का पूरा वाक्य डिलीट कर दिया। इसके कारण ज्योतिरादित्य जी को यह लगा कि जैसे संसद सदस्य

ने कुछ कहा है। उन्होंने संसद सदस्य पर कोई आरोप नहीं लगाया था, बल्कि 'संसद सदस्य श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के सांसद प्रतिनिधि' कर के पूरा वाक्य कहा था। मैंने वह स्टेटमेन्ट देखा।

दो-तीन जगह ऐसा हुआ है। दूसरी बात, उन्होंने दो-तीन बार किसी का नाम नहीं लिया था। उन्होंने कहा था 'कांग्रेस नेताओं ने' या 'कांग्रेस ने', मगर गलती से वह भी इन लोगों ने रिकॉर्ड से हटा दिया, जिसके कारण ज्योतिरादित्य जी इस बारे में कुछ संदिग्धता पैदा हुई। मैं यह कहना चाहूँगी कि माननीय वीरेन्द्र जी ने डायरेक्टली उन पर किसी भी प्रकार का आरोप नहीं लगाया था। मुझे वीरेन्द्र जी के साथ भी न्याय करना चाहिए। मैं उनको जानती हूँ, वे सालों-साल से बड़ी गंभीरता से अपनी बातें उठाते रहे हैं और काम करते रहे हैं। कल मैंने उनको मौका नहीं दिया, मगर आज मैंने सोचा कि मुझे न्याय करना चाहिए ताकि कहीं उनके मन में भी ऐसी कोई संदिग्धता न रह जाए। थोड़ी सी गलती मेरे ऑफिस के लोगों से हुई कि उन्होंने शोर-गुल के चलते उस बात को डिलीट कर दिया।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज़। नहीं अभी नहीं बोलिए। आप बैठिए। मैंने अपनी बात

...(व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया (गुना) : अध्यक्षा महोदय, उसमें वो संदर्भ मेरे बारे में ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप उसे देखो। मैं उसे आपको दे दूँगी।

12.19 hours

RULING BY THE SPEAKER
Matter pertaining to Shri Anurag Singh Thakur

माननीय अध्यक्ष :मैं जो दूसरी बात कहना चाहूँगी, उसके बारे में श्री भगवंत मान ने मुझे पत्र भी लिखा है। सदन में भी वह बात उठी है। उस समय भी सदन में बहुत शोर-गुल हुआ था। मुझे नहीं मालूम उस समय क्या हो रहा था। यदि कोई सदस्य थोड़ी सी भी गलती करता है और जब वह बात मेरे ध्यान में आती है, तो मैं तुरंत उस गलती के बारे में उसे बोलती भी हूँ। यह बताया गया है कि शायद ऐसा कुछ हुआ है, जो हमारे ध्यान में नहीं आया है। अगर श्री अनुराग ठाकुर के, इन लोगों ने बात उठायी है, भगवंत मान जी ने भी पत्र दिया है। इस सदन में मोबाइल का उपयोग करते हुए वीडियो निकालना बिल्कुल अनुशासनहीनता है।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अगर श्री अनुराग ठाकुर जी ने ऐसा कुछ किया है तो वह उचित नहीं है। मैं चाहूंगी कि अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो आपको सदन से माफी मांगनी चाहिए। आप अपना एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। मगर जो भी कुछ इस तरह से होता है। मैं सभी से कहूंगी कि सब नियम देखें।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज आप बात सुनिए। I have not seen that. That is why I am saying.

… (*Interruptions*)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर) : अध्यक्ष महोदया, धन्यवाद। जो हाउस में उस दिन हुआ।...(व्यवधान) मैंने पिछले 30 वर्ष पहले के विषय को लेकर जीरो आवर में नोटिस दिया था।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं देखती हूं। I have not seen him.

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : मुझे बोफोर्स के मुद्दे को लेकर अपनी बात रखने का अवसर मिले। लेकिन वहां पर जिस तरह से शोरगुल हुआ और जिस तरह से अशोभनीय और अभद्र व्यवहार कुछ सांसदों का रहा कि कागज तोड़कर आपके ऊपर गोले बनाकर मारना...(व्यवधान) यह सब करना। महोदया, हम लोग भी विपक्ष में रहे। ...(व्यवधान) बड़े से बड़े स्कैम्स 2जी से लेकर कॉमनवैल्थ गेम तक हमने भी नारे लगाए। लेकिन इस तरह का व्यवहार हमारी ओर से कभी सदन में नहीं हुआ।...(व्यवधान) यहां पर भी यदि किसी को लगता है कि मेरे हाथ में मोबाइल होने से किसी को खेद पहुंचता है तो मैं उसके लिए खेद व्यक्त करता हूं। किसी

की भावना नहीं, हाउस की प्रोसीडिंग्स वैसे भी लाइव होती है। कोई भावना किसी को आहत करने की नहीं है। मैं इस पर खेद व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह बात सामने नहीं आयी है। मैं सबको कहना चाहूंगी और अनुराग ठाकुर जी, आपको भी कहना चाहूंगी।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज आप सब मेरी बात सुनिए। मैं श्री अनुराग ठाकुर को वार्निंग देना चाहती हूं। I am giving him warning कि अगर उन्होंने कुछ गलती की है तो दोबारा इस प्रकार की गलती न उनसे होनी चाहिए, न ही सदन के किसी अन्य सदस्य से होनी चाहिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप लोग स्टेटमेंट नहीं सुनना चाहेंगे।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: You do not want to listen anything.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 12:45 p.m.

12.23 hours

The Lok Sabha then adjourned till Forty Five Minutes past Twelve of the Clock.

12.45 hours

The Lok Sabha reassembled at Forty Five Minutes past Tweleve of the Clock.

(Hon. Speaker *in the Chair*)

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, आप बताइये कि मैं स्टेटमैन्ट कराऊं कि नहीं।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : मैं उन्हें सुनूंगा, उनकी भाषा भी अच्छी है और नीयत भी अच्छी है, लेकिन सरकार की नीयत ठीक नहीं है। उनका स्टेटमैंट सुनने के लिए हम लोग तैयार हैं और खासकर देश के हित में जो कुछ भी यहां पर काम होता है या कुछ भी सरकार की ओर से आता है, उसे हम कोऑपरेट करते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि एकतरफा बात सुनी जाती है और दूसरी तरफ उसी बात पर हम कुछ सलाह देना चाहते हैं तो उसे बंद किया जाता है। मैं यह कहना चाहूंगा कि हम सुनने के लिए तैयार हैं, उन्हें स्टेटमैन्ट करने दीजिए, उसके बाद हमारे लोग उसके ऊपर भी...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : बाद में हम बाकी की बात करेंगे। मैं आपको बाद में मौका दे दूंगी।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : उसके बाद में हमारा जो भी सुझाव है, वह आप सुने।

माननीय अध्यक्ष : वह मैं सुन लूंगी।

12.47 hours

STATEMENTS BY MINISTERS ... Contd.
(iii) Status of Indians held captive in Iraq

विदेश मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): अध्यक्ष जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं हृदय से आदरणीय खड़गे जी का आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने विषय की संजीदगी को समझा और शांति से यह सदन मेरी बात सुने, इसका प्रबंध किया, बहुत-बहुत आभार खड़गे जी।

श्री सुदीप बन्दोपाध्याय (कोलकाता उत्तर): जो लोग पहले से ही शांत हैं, उन लोगों को क्या कहेंगी।

श्रीमती सुषमा स्वराज : मैं वही कहने लगी थी, मेरा अगला वाक्य वही था कि बाकी पूरा सदन सुनने के लिए तैयार था, शांत बैठा था, लेकिन जो लोग वैल में थे, उनकी तरफ से, उनके दल के नेता ने मुझे यह मौका दिया कि मैं अपनी बात कह सकूं, इसलिए उनके प्रति मैंने विशेष आभार व्यक्त किया है।

अध्यक्ष जी, इराक में बंधक 39 भारतीयों का यह मसला पिछले चार-पांच दिनों से फिर से गरमा गया। क्योंकि संसद का सत्र चल रहा है, इसलिए संसदीय मर्यादा का तकाजा था कि मैं संसद में ही आकर बोलूं, बाहर कुछ न कहूं। इसके लिए पिछले तीन दिन से प्रयास कर रही हूं। परसों मैंने आपको लिखित में कहा कि मैं यहां आकर उत्तर देना चाहती हूं, आपने कहा कि शाम पांच बजे आ जाइये, लेकिन उससे पहले हाउस उठ गया। कल पुनः कोशिश की, आज फिर मैंने कहा कि 12 बजे अगर मुझे मौका दे दिया जाए, परंतु चलिये मौका मिला।

अध्यक्ष जी, मैं थोड़ी सी पृष्ठभमि से यह शुरू करना चाहती हूँ कि यह घटना 15 जून, 2014 की है। हमारी सरकार 26 मई, 2014 को बनी थी। यानि हमारी सरकार के बनने के मात्र 20 दिन बाद यह घटना घट गई थी। घटना का पता ऐसे चला कि वहां से एक व्यक्ति, जिसका नाम हरजीत मसहि है, वह आया। उसने यह कहा कि हम 40 लोगों को आईएसआईएस के लोगों ने बंधक बना लिया था, 39 लोग मेरे सामने मार दिए गए और मैं अकेला वहां से बच निकला। हरजीत की कहानी में काफी विरोधाभास हैं, लेकिन मैं अभी उसमें जाना नहीं चाहती हूँ। मैंने यह कहानी सुनने के बाद, क्योंकि हरजीत मसहि से मेरी ही सबसे पहले बात हुई थी, मैं उस सारे विस्तार में जाना नहीं चाहती हूँ, उसकी कहानी सुनने के बाद, मैंने अपने यहां एंबेसी को कहा कि ये कह रहे हैं कि मोसुल से अरबिल जाते हुए एक जंगल में हमको मार दिया, तुम पूरे मोसुल में चप्पा-चप्पा छान मारो। मोसुल के आस-पास भी सौ किलोमीटर तक छान मारो, कहीं तो 39 लाशें पड़ी मिलेंगी। अगर लाशें भी ठिकाने लगा दी गयी हैं, तो खून के धब्बे तो होंगे। आखिर 39 लोगों को गोली मार कर, कोई मार दे, तो वहां तो पूल ऑफ ब्लड होना चाहिए, वह मिलेगा। तीसरा मैंने कहा कि आईएसआईएस वालों की एक आदत है कि जब वह किसी एक देश के नागरिकों को बड़ी

संख्या में मारते हैं तो उनकी सूची निकालते हैं तो देखो कोई सूची निकली है क्या। चौथा मैंने कहा कि वे इतने निर्दयी हैं कि वे उनका फोटो या वीडियो बना कर बताते हैं। कोई ऐसा वीडियो है क्या?

अध्यक्ष जी, न तो हमें कहीं लाशें मिलीं, न हमें कहीं खून के धब्बे मिले, न कोई सूची सामने आई और न कोई वीडियो या तस्वीर सामने आई। उसके बाद हमने सोचा कि अब कम से कम इनकी तलाश करनी चाहिए। और हमने तलाश करनी शुरू कर दी। यह बात 15 जून की है और उसके बाद संसद का जो पहला सत्र आया वह नवंबर में आया। 24 नवंबर, 2014 को मैं इस सदन में आई, क्योंकि उसके एक दिन पहले दो बांग्लादेशी लोग - शफी और हसन के इंटरव्युज़ चल रहे थे, जो हरजीत को ही कोट कर के कह रहे थे कि वे मारे गए हैं। श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने यह विषय यहां उठाया था। वास्तव में उन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया था। मैंने स्वयं आपसे समय मांगा था कि मैं स्पष्टीकरण देना चाहती हूँ, लेकिन जब उन्होंने बोलने को कहा तो मैंने कहा कि बेशक नोटिस नहीं दिया है, पर आप इनको बोलने दीजिए। उन्होंने विस्तार से अपनी बात रखी। उसके बाद मैंने उस चर्चा में भाग लिया।

अब मैं यहां आपसे कहना चाहती हूँ कि मैंने जो कुछ भी किया वह केवल सदन को विश्वास में ले कर नहीं किया, बल्कि इस सदन की अनुमति लेकर किया। यह संयोग है कि उस समय भी पीठासीन आप ही थीं। मैंने क्या कहा था, मैं 24 नवंबर, 2014 की लोक सभा की पूरी कार्यवाही लायी हूँ, लेकिन वह संबंधित अंश पढ़ कर सुनाना चाहती हूँ। मैं सदन से कह रही हूँ कि "आप मुझे बताइए कि एक व्यक्ति यह कह रहा है कि वे मार दिए गए। हमारे छह सोर्ससिज़ यह कह रहे हैं कि वे मारे नहीं गए हैं, ज़िंदा हैं। मुझे क्या करना चाहिए? क्या यह स्वीकार करके कि वे मार दिए गए हैं, मैं हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाऊं और उनकी तलाश छोड़ दूं। यह आसान विकल्प है। लेकिन दूसरा विकल्प यह है कि हमारे जो छह सोर्सिज़ यह कह रहे हैं कि वे मारे नहीं गए हैं और ज़िंदा हैं, उन पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ूं और उनकी तलाश करूं। "

मैंने बार-बार सदन में यह कहा कि "मेरा उनसे डायरेक्ट संपर्क नहीं है। मेरे पास ठोस सबूत उनके ज़िंदा होने का नहीं है। लेकिन मेरे पास ठोस सबूत उनके मारे जाने का भी नहीं है। तो केवल बुद्धिमत्ता का तकाजा नहीं, जिम्मेदारी का तकाजा भी यह कहता है कि मैं दूसरे विकल्प को स्वीकार करूं और आगे बढ़ूं।" परंतु मैं यहीं नहीं रूकी। मैंने कहा कि "मैं आपको आश्वस्त कर रही हूँ, बता रही हूँ कि जिस दिन मुझे एक भी ठोस सबूत हरजीत की बात का मिल गया तो मैं आकर बता दूंगी कि वे मारे गए हैं। "

उसके आगे मैं यहां बोल रही हूँ कि "मैं आपकी आज्ञा से, इस सदन की अनुमति चाहूंगी, मैंने शब्द इस्तेमाल किया 'अनुमति'। आपकी आज्ञा से इस सदन की अनुमति चाहूंगी कि अगर उन्हें लगता है कि मेरा रास्ता सही है, मुझे हरजीत के बयान पर विश्वास कर के अपने प्रयास रोकने नहीं चाहिए, तो मैं निश्चित चाहूंगी कि मुझे इस सदन की मदद मिले ताकि मैं अपने प्रयास में आगे बढ़ती रहूँ। " आज ज्योति

जी को याद होगा या नहीं होगा, मेरी बात समाप्त होने के बाद वे मुझे बाहर कॉरिडोर में मिले और उन्होंने कहा कि इतना जिम्मेदाराना बयान देने के लिए मैं आपको बधाई देता हूँ।

अध्यक्ष जी, मैं यहां वैल से सुन रही थी, जब मैंने कहा कि मैं बोल रही हूँ, खड़गे जी की तो जानकारी सही नहीं थी कि मैंने राज्य सभा में बोला है और कोई प्रिविलेज मोशन आया है, मैं अभी राज्य सभा में बोली ही नहीं हूँ। राज्य सभा में कल का समय तय हुआ है तो मैं वहां कल बोलूंगी। यहाँ एक व्यक्ति बार-बार कह रहे थे कि तीन साल से तो मिसलीड करती आ रही हैं, क्या बोलेंगी? मैं यही बात कहना चाहती हूँ कि मैं क्या मिसलीड करती आ रही हूँ कि मैंने उनको मरा हुआ घोषित नहीं किया।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): यह रिकॉर्ड में तो नहीं है।

श्रीमती सुषमा स्वराज : क्या?

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : यह रिकॉर्ड में तो नहीं है।

माननीय अध्यक्ष : बोला है ना।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : उन्होंने सदन में जो कहा, वह तो रिकॉर्ड में नहीं आया।

श्रीमती सुषमा स्वराज : नहीं-नहीं, अभी जो बोला, मैं यह कह रही हूँ।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : नहीं-नहीं, वह रिकॉर्ड में नहीं आया। वे खुद ही अपनी सीट पर बैठकर कहे भी नहीं, उसका रिकॉर्ड भी नहीं हुआ, फिर उसको कहने का कोई अर्थ नहीं है।

श्रीमती सुषमा स्वराज : चलिए ठीक है। वे बहुत तेज चिल्ला रहे थे। बहुत अच्छी बात है, अगर यह बात नहीं है कि मैं मिसलीड कर रही हूँ। मैं यह कह रही हूँ कि जो बार-बार यह कहा जाता है कि मैं उन्हें मरा हुआ घोषित क्यों नहीं कर देती। हरजीत के बयान पर यकीन क्यों नहीं कर लेती। मैं आज यहाँ खड़े होकर कहना चाहूँगी कि अध्यक्ष जी, बिना ठोस सबूत के किसी को मरा हुआ घोषित करना पाप है और यह पाप मैं कभी नहीं करूँगी। जो मैंने इस सदन से अनुमति ली थी, उस अनुमति के बाद मैंने तलाश इतनी ज्यादा कर दी, मैंने खाड़ी के 6 देशों के विदेश मंत्रियों से बात की और आज सदन के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मुझे कहीं से पता चला कि शायद टर्की की मदद इसमें मिल सकती है। कोई बाइलेट्रल मीटिंग लिये बिना मैं रात को 12 बजे टर्की पहुँची, सुबह 9 बजे उनके विदेश मंत्री से बात की और 10 बजे वापस लौट आयी। जितने भी देश इस तलाश में मदद कर सकते थे, उन सबसे मैंने भी बात की, प्रधानमंत्री जी ने भी बात की। मैं आज यहाँ कह सकती हूँ कि जब सोर्सेज की बात करती हूँ, वे राह चलते सोर्सेज नहीं हैं, वे सड़क चलते लोग नहीं हैं जो कह रहे हैं कि हमने उनको देखा। एक देश के राष्ट्रपति ने मुझे कहा। दूसरे देश के विदेश मंत्री ने मुझे कहा। हम लोग इसमें जो आगे बढ़ रहे थे, वह यही सोचकर बढ़ रहे थे कि हमारी जिम्मेदारी है। या तो ठोस सबूत मारे जाने का मिल जाये, तो वह बता दें और जिन्दा होने का मिल जाये, तो

वह बता दें। यहाँ मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, मैं 12 बार उनके परिवारों से मिली हूँ। यह ठीक है तीन बार भगवंत मान जी स्वयं लेकर आये हैं, लेकिन मैं कुल 12 बार मिली हूँ और 12 के 12 बार यह सावधानी मैंने हमेशा बरती कि जो भी जानकारी मेरे पास होती थी, शेयर करने के बाद मैं तीन वाक्य जरूर कहती थी। पहला, मेरे पास कोई सबूत नहीं है उस बात का, जो मैं कह रही हूँ। दूसरा, यह जानकारी दूसरे सूत्रों से मिली है। तीसरा, मेरा उनसे कोई डायरेक्ट सम्पर्क नहीं है। 12 के 12 बार मैंने अपनी बात यह कहकर समाप्त की है।

अध्यक्ष जी, क्योंकि मेरे एमओएस, आर्मी चीफ रहे हैं, हम लोग बैठकर बात कर रहे थे, तो उन्होंने यह कहा कि युद्ध की भी एक परम्परा है। युद्ध जब समाप्त होता है, तो चार श्रेणियों में लोगों को बाँटा जाता है। पहला, POWs, प्रिज़नर ऑफ वॉर्स, जो दूसरे देश की कैद में होते हैं। Missing, जो गुम होते हैं, गायब होते हैं, जिनके बारे में पता नहीं होता। तीसरी श्रेणी Killed लोगों की है, जो मारे जाते हैं। चौथी श्रेणी Believed to be killed की है। मैं आपसे यह कह रही हूँ कि जो मिसिंग नहीं हैं और Believed to be killed हैं, उनके लिए भी सरकारों की यह जिम्मेदारी होती है कि उनकी फाइल तब तक बन्द न की जाये, जब तक उनके मारे जाने का कोई सबूत नहीं मिल जाता। मैं आपको यह कहकर हैरान कर दूँ कि वियतनाम के 'बिलीव्ड टू बी किल्ड' कैटेगरी के लोगों को वे आज तक ढूँढ़ रहे हैं। अमेरिका के दूसरे विश्व युद्ध में मारे गये लोगों को, जो 'बिलीव्ड टू बी किल्ड' की श्रेणी के हैं, उन्हें वे भारत में ढूँढ़ने आते हैं। अगर मैं उन्हें मिसिंग की कैटेगरी से निकाल दूँ और आपके अनुसार 'बिलीव्ड टू बी किल्ड' में भी लेकर आऊँ, तो भी यह फाइल तब तक बन्द नहीं होगी, जब तक उनके मरने का कोई ठोस सबूत नहीं मिल जायेगा। मैंने कहा कि पाप है, ऐसा मैंने किसलिए कहा, आज मैं कह दूँ कि मर गये, कल को उनमें से कोई जिन्दा आकर खड़ा हो गया तो, शायद उस बीच में उसकी दुनिया बदल चुकी होगी। उसका गुनहगार कौन होगा? मैं यह गुनाह अपने माथे नहीं लेना चाहती। इसलिए मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि जिन लोगों को यह लगता है और जो कन्विन्स्ड हैं कि वे मारे गये और जो कन्विन्स्ड हैं कि मैं असत्य बोल रही हूँ, मैं सत्य को छिपा रही हूँ, वे आजाद हैं। वे जाकर के उनके परिवारजन को कह दें कि वे मारे गये, लेकिन अगर कोई जिन्दा निकल आया, तो जिम्मेदारी उसकी होगी, जो जाकर कहकर आयेगा।

<u>13.00 hours</u>

मैं एक और बात कह रही हूँ कि अगर उन परिवारों में से किसी परिवार का भरोसा मुझसे उठ गया है और उनको लगता है कि मैं सच नहीं बोल रही हूँ, उनका बच्चा मार दिया गया है तो वे भी अरदास करने के लिए आज़ाद हैं, पर तब फैसले की ज़िम्मेदारी उन पर होगी, अगर कोई ज़िन्दा निकल आया तो। अब एक तस्वीर दिखाई जा रही है कि यह जेल थी और यह जेल ध्वस्त हो गई। सुषमा ने तो कहा था कि

ये जेल में हैं। मैंने बिल्कुल कभी नहीं कहा कि वे जेल में हैं। दिक्कत हम लोगों की यही है कि सेलैक्टिवली चीज़ उठा लेते हैं।

अध्यक्ष जी, लोग पूछते हैं कि सरकार क्या कर रही है। 9 तारीख को इराक के प्रधान मंत्री ने यह घोषणा की कि मोसुल आज़ाद हो गया है, आई.एस.आई.एस. के चंगुल से बाहर निकल आया है। 10 तारीख शाम को मेरे राज्य मंत्री विमान में बैठ गए मोसुल जाने के लिए। 9 तारीख को घोषणा करते हैं वहाँ के प्रधान मंत्री, उससे पहले तो उनका प्राइम मिनिस्टर भी नहीं पहुँच सका। जो स्थिति वहाँ थी, उनके प्रधान मंत्री भी मोसुल नहीं पहुँच पाए। जिस दिन उन्होंने घोषणा की 9 तारीख को, वे उस दिन इंदौर थे। एक कार्यक्रम था। आपको भी मालूम होगा, मैंने वहाँ फोन किया कि आपने घोषणा सुनी। मैंने कहा, वापस आओ, रात को आपको जाना है। 10 तारीख सुबह दिल्ली पहुँचकर शाम का विमान पकड़ लिया। चार दिन वहाँ रहे। आज वे कहते हैं कि जो तस्वीर है, जनरल वी.के.सिंह ने आकर मुझे बताया, और जैसे ही पता लगा कि जनरल वी.के.सिंह वापस आ रहे हैं, अगले दिन मैंने परिवारों को बुला लिया और सारे परिवारों के सामने उनकी बताई हुई बात पहले स्वयं कही और फिर उनसे कहा कि आप बोलो। क्या कहा था उन्होंनेi बहुत बड़े अधिकारी से उनकी बात हुई थी बगदाद में, क्योंकि एयरबिल में उनके हाथ कुछ नहीं लगा, फिर उन्होंने कहा कि मैं बगदाद जा रहा हूँ। क्या कहा था उन्होंने - उन्होंने कहा था कि हमारे पास अपने इंटेलिजैंस सोर्सेज़ से खबर यह है कि वे लोग मोसुल एयरफील्ड से पकड़े गए हैं। उसके बाद कुछ दिन जेल में रखे। फिर उन्हें हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन के काम में लगा दिया। उसके बाद उनसे खेती का काम करवाया, लेकिन 2016 के शुरू में उन्हें बदरूस जेल भेज दिया गया। उसके बाद आज तक हमारा उनसे संपर्क नहीं है। वर्ष 2016 की शुरुआत, यानी सवा साल, डेढ़ साल हो गया। इस सवा साल, डेढ़ साल में क्या हुआi उन्होंने कहा कि संपर्क नहीं है, 2016 की बात वे कर रहे हैं कि बदरूस जेल में थे। उसके बाद हमारा संपर्क नहीं है। यह बात जस की तस, बिना *कौमा* या *फुल स्टॉप* लगाए मैंने परिवारों को बताई। फिर मैंने जनरल साहब से कहा कि आप डायरैक्ट बताइए। जनरल साहब ने हूबहू वही बात उनके सामने रखी। कभी सुषमा ने नहीं कहा कि वह बदरूस जेल में आज हैं। और यही मैं कहना चाहती हूँ कि यह तस्वीर केवल इतना बताती है कि जेल ढह गई, लेकिन यह तस्वीर हमारे प्रश्नों के उत्तर नहीं देती। हमारे प्रश्न हैं कि क्या उस समय जब यह जेल ढही, भारत के नागरिक क्या उसमें थेi अगर थे तो कितने थे, कौन-कौन थेi दूसरा, क्या जेल को ध्वस्त करने से पहले वहाँ के बंदियों को कहीं और शिफ्ट कर दिया गया था या वे सारे के सारे मार दिए गएi पर अगर यहाँ के सारे प्रिज़न के लोग, क्योंकि वहाँ बीसियों हज़ार लोग आ सकते हैं, इतनी बड़ी प्रिज़न है, तो उन लाशों का क्या हुआi क्या वे लाशें आज भी हैं और क्या इस हालत में हैं कि डीएनए करके उनका यह पता लगाया जा सके, ये सब प्रश्न अनुत्तरित हैं। यह कह देना कि सुषमा

ने कहा था कि वे जेल में हैं और यह देखो, जेल तो ढह गई, यह जो पूरा भ्रम फैलाया गया है पिछले पाँच दिनों से, मैं इसी पर स्थिति स्पष्ट करना चाहती थी।

दूसरी बात, जब इराक के विदेश मंत्री यहाँ आए तो मैंने आपसे पहले दिन अनुमति मांगी थी कि मैं पाँच बजे इसलिए बोलना चाहती हूँ कि 12 से 3 बजे तक हमारी मीटिंग है। मेरे दोनों राज्य मंत्री उनके साथ थे। उन्होंने हूबहू वही बात कही कि एक्सेलेंसी, हमारे पास न कोई ठोस सुबूत ज़िन्दा होने का है, न कोई ठोस सुबूत मारे जाने का है और जिस अधिकारी की बात आपके विदेश मंत्री कर रहे हैं, वह भी आज सर्टेन नहीं है। क्योंकि 2016 के बाद उन्होंने कहा कि हमारा कोई संपर्क नहीं है। उनके पास कोई सूचना 2016 के बाद की नहीं है। इसलिए वे भी आज सर्टेन नहीं हैं कि वे ज़िन्दा हैं या मर गए, लेकिन हम पूरी तरह से उनकी तलाश करेंगे। उन्होंने बाहर भी कहा कि 'We do not know whether they are alive or dead'. और अखबार की सुर्खी आती है, 'FM Iraq says, they are not alive'. He has never said that they are not alive. He only said: "whether they are alive or dead, we do not know". मैं आपको बताती हूँ कि इतनी पैशनेटली मेरी और उनकी बात हो रही थी कि उन्होंने कहा कि मैं जो कंपैशन आपमें देख रहा हूँ और जिस पैशन से आप बात कर रही हैं, हमारे यहाँ इराक में कहा जाता है कि wait is worse than death. लेकिन क्या करें एक्सेलेंसी, इस स्थिति में केवल "वेट " की ही आवश्यकता है और हम कुछ नहीं कर सकते।

उसके बाद मैंने उनसे कहा कि देखिए एक्सेलेन्सी, मैं एक निवेदन करना चाहती हूं। उन्होंने कहा क्या। मैंने कहा कि अब आप मुझे जो भी जानकारी दें, वह सबूत के साथ दें। मैं बिना सबूत के, जानकारी नहीं लूंगी, क्योंकि मैंने बिना सबूत की जानकारी पर बारह बार परिवारों को तसल्ली दी है। अब मैं उन्हें बिना सबूत के, तसल्ली नहीं दे सकती। मैंने कहा कि इसमें सबसे बड़ा ठोस सबूत जो हो सकता है, तो मैंने ही उन्हें सुझाव दिया कि अगर आप इस जेल के वार्डन से सम्पर्क कर सकते हैं तो करिए। उनके पास बंदियों की सूची होती है। आप देखिए कि क्या उस सूची में भारतीय नागरिकों के नाम हैं। अगर हैं तो किन-किन के हैं। यह एक बड़ा पुख्ता सबूत होगा। मैंने कहा कि अगर सूची नष्ट हो गयी और व्यक्ति बच गया, क्योंकि मैंने सुना था कि जेल वार्डन पहले ही निकल गए, मुझे नहीं मालूम।

दूसरा, मैंने उनसे कहा कि फिर उनकी याददाश्त के अनुसार से इतना तो बता दें कि क्या वहां भारतीय नागरिक थे? अगर थे तो कितने थे। यह सबसे आसान और इसका सबसे ज्यादा पुख्ता सबूत होगा। उन्होंने यह कहा कि हम इन्हें इराकी की तरह ही ढूंढेंगे, उनके जो मन पर बोझ है, वह यह है कि ये भारतीय इराक का पुनिर्निर्माण करने आए थे। ये कंस्ट्रक्शन वर्कर्स थे, लेकिन ये वहां आ कर फंस गए। इसलिए यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इनको ढूंढ़ें। जो बात आपने कही है, हम उसको भी सामने

रखेंगे और बाकी हम जितना कर सकेंगे, वे करेंगे। मैंने कहा, पर मुझे सबूत दीजिए। मैं आज तक सबूत मांगती रही, मुझे सबूत नहीं मिला, इसलिए मैं परिवारों को कहती रही कि यह जानकारी है, वह भी दूसरे सूत्रों के माध्यम से मिली हुई है। हमारा कोई डायरेक्ट सम्पर्क नहीं है। लेकिन, मैंने कहा कि अब मुझे सबूत दीजिए। अगर वे ज़िंदा हैं तो यह बताइए कि वे कहां हैं, कितने हैं, कौन-कौन हैं। सबूत के तौर पर, अगर वे हिन्दी या गुरुमुखी में लिख कर अपना नाम, अपने गांव का नाम दे दें तो वह और भी ज्यादा पुख्ता सबूत होगा या इमेज मिल जाए। जो भी दीजिए, ऐसा सबूत दीजिए, जिसको मैं पक्का और ठोस सबूत कह सकूं। उसके बिना न तो मैं उन परिवारों को बुलाऊंगी और न उनसे बात करूंगी, जब तक मेरे पास सबूत नहीं आ जाता। उन्होंने केवल मुझे यह बात नहीं कही कि मैं आपके दर्द को समझ रहा हूं। उसके बाद कल एम.जे. अक़बर साहब ने उन्हें डिनर दिया। उसमें भी उन्होंने उस बात को दोहराया कि अपनी विदेश मंत्री से यह बात कह देना कि हम पूरी तरह से तलाश करेंगे और अब उन्हें जो भी बताएंगे, वह सबूत के साथ बताएंगे, बिना सबूत के नहीं बताएंगे।

अध्यक्ष जी, इसलिए, मैं आपसे कहना चाहती हूं कि मैंने कभी गुमराह नहीं किया और गुमराह करने का लाभ मुझे क्या होताi मेरी लोकतंत्र में बहुत आस्था है और संसद में उससे भी ज्यादा आस्था है। मैं यह मानती हूं कि अगर कोई मंत्री या कोई सांसद संसद के फर्श पर खड़े होकर गलतबयानी करता है तो यह घोर अपराध है। लेकिन, फिर भी अगर वह यह करता है तो किसी लाभ के लिए करता होगा, या तो व्यक्तिगत लाभ या उसकी सरकार को लाभ या किसी दूसरे का नुकसान करने के लिए करता होगा। मैं पूछना चाहती हूं, अपने साथियों से कि क्या गुमराह करने से मुझे कोई लाभ मिल रहा है, क्या लाभ हमारी सरकार को मिल रहा है और किसका क्या नुकसान हो रहा हैi मैं तो अपना फर्ज़ निभा रही हूं। देखिए, अगर मैं उन्हें मरा हुआ घोषित कर दूं तो मेरे लिए तो बहुत आसान है। न ये लोग सवाल पूछेंगे, न उनके परिवारजन मेरे पास आएंगे। वे कहेंगे कि ठीक है, आपने कह दिया, वे मारे गए।

लेकिन, अध्यक्ष जी, मैं आपको एक और घटना बताती हूं, जो इनके सुनने लायक है। इसी पंजाब के और छः परिवार मुझसे एक साल पहले मिलने आए। उन्होंने कहा, किसी का पति था, किसी का पिता और किसी का बेटा था, जो सन् 1971 की लड़ाई में शहीद घोषित कर दिए गए। वे बोले कि तब टी.वी. तो होता नहीं था, ऑल-इंडिया-रेडियो में भी कह दिया गया कि वे शहीद हो गए और हमने उन्हें शहीद मानकर उनका अरदासा कर दिया और हम आगे बढ़े। वे कहते हैं, 45 सालों के बाद वर्ष 2016 में हमारे गांव के पास का एक व्यक्ति एक जेल से छूट कर आया और उसने आकर हमसे कहा कि वे तो ज़िंदा हैं, वे तो मेरे साथ जेल में थे। तब से वह परिवार मुझे कह रहे हैं कि उन्हें निकाल कर लाओ, निकाल कर लाओ। मैंने उसी दिन उनसे उनकी फोटोज़ और उनके पूरे विवरण ले लिए और गौतम बम्बावाले, जो इस्लामाबाद में हमारे हाई कमिश्नर हैं, उन्हें मैंने यह भेजा और कहा कि आप पता करके बताइए कि एक

व्यक्ति बता रहा है कि इस जेल में हैं, इस जेल में से पता करके बताइए। अब पाकिस्तान कहता है कि वे तो हमारे पास नहीं हैं, हमारे पास जो कैदियों की सूची है, उसमें इनका नाम नहीं है। अब उनके परिवारवाले तो मेरे सिर पर सवार हैं कि आप उन्हें लाओ, निकाल कर लाओ।...(व्यवधान)

देखिए, ये माननीय सदस्य सहमति में सिर हिला रहे हैं, क्योंकि उन्हें यह बात मालूम है।...(व्यवधान)

श्री भगवंत मान (संगरूर): ...(व्यवधान) यह बिल्कुल सच कह रहा हूं। वह परिवार है, जो मुझसे मिलने आया था और जब उनका कोई पड़ोसी आया तो उन्होंने कहा कि वे जिंदा हैं, वे अपने गांव में बुती लगा कर बैठे हैं, मैंने इसके लिए आपके यहां लेटर भी दिया था।...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : मैं आपकी ही बात कह रही हूं। एक तरफ तो 45 साल बाद वे मुझसे कह रहे हैं कि निकाल कर लाओ। दिन में दो बार उनका फोन आता है, क्योंकि जब मैं बीच में अस्वस्थ थी, तो उनको लगा कि वह मेरे से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। अब दिन में दो बार उनका फोन आता है। मैं उन्हें कह रही हूं कि हम लोग इसमें लगे हुए हैं, एक जुडिशियल कमेटी होती है। हम उसका पुनर्गठन करना चाहते हैं कि वह जाकर जेल में देखे। मैं यह कह रही हूं कि एक तरफ तो यह है और मैं एक अन्य केस बताती हूं, एक बच्चा जो सात साल का था, करीब आज से 21 साल पहले अपने पिता के साथ खेत में खेलते-खेलते सरहद पार कर गया, उसका नाम नानक सिंह है। अब उसके पूरे घर वाले मुझसे कहते हैं कि वह तो पाकिस्तान की जेल में है, आप उसको लाओ। हम लोग उनको बार-बार कह रहे हैं कि उसके लिए पाकिस्तान मना करता है कि इस नाम का कोई व्यक्ति हमारे यहां नहीं है। हम लोग फोटो भेजते हैं कि इस शक्ल का कोई व्यक्ति आपके यहां है, तो भी पाकिस्तान मना करता है। उनके परिवार वालों ने पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में रिट डाल दी कि सरकार से कहो कि उसे निकाल कर लाएं। मेरा यह कहना है कि एक तरफ जो लोग मरे हुए घोषित कर दिए गए,...(व्यवधान) एक मिनट, मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। इसके बाद आप जो कुछ भी पूछेंगे, मैं उसका जवाब दूंगी।...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Nothing will go on record like this.

...(Interruptions)... *

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती सुषमा स्वराज जी, आप अपनी बात जारी रखें।

...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : एक तरफ नानक सिंह का पूरा परिवार मुझसे कह रहा है कि आप उसको निकाल कर लाओ, पाकिस्तान चाहे कुछ भी कहता रहे, मगर आप उसे निकाल कर लाओ। दूसरी तरफ ये छह

---

* Not recorded

परिवार कह रहे हैं कि वर्ष 1971 में तत्कालीन सरकार ने हमारे लोगों को शहीद घोषित कर दिया था, मगर वे तो जिंदा है, उन्हें निकाल कर लाओ। मैं कुछ और बताती हूं जो आपको मालूम होगा, मेजर धनसिंह थापा को उस समय की सरकार ने शहीद घोषित किया, मरणोपरांत परमवीर चक्र से पुरस्कृत भी किया और बाद में वे जिंदा निकल कर आ गए, क्योंकि वे चीन के जेल में थे। मेरी रूस के विदेश मंत्री से बात हुई और मैंने उनसे कहा कि क्या आप इस मामले में कुछ कर सकते हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि हमारे तीन ट्रक ड्राइवर पकड़े गए थे और वे सात साल के बाद जिंदा निकलकर आएं, इस लिए आप धीरज रखिए। मैं यह नहीं कह रही हूं कि सात साल, इक्तालीस साल या पैंतालीस साल इंतजार कीजिए, बल्कि मैं यह कह रही हूं कि अगर एक सप्ताह बाद भी इराक के विदेश मंत्री जो कुछ कह कर गए हैं, अगर उन्होंने सबूत दे दिया, तो मैं आकर कबूल कर लूंगी, लेकिन अगर उन्होंने कहा कि इतने जिंदा हैं, इतने मारे गए, तो उसे कबूल कर लूंगी। लेकिन, जो भी बात बोलूंगी, वह सबूत के साथ बोलूंगी। मैं यह भी कह रही हूं कि आज तक एक बार भी मैंने अपनी ओर से यह नहीं कहा कि वे जिंदा हैं। मैंने केवल यह कहा कि एक व्यक्ति कह रहा है, मारे गए; लेकिन बाकी हमारे सोर्सेस कह रहे हैं कि वे मारे नहीं गए हैं, इसलिए सरकार की जिम्मेदारी का तकाजा है कि वह उनकी तलाश करें। मैं उनका तलाश कर रही हूं और इसी सदन से अनुमति लेकर तलाश कर रही हूं।

अध्यक्षा जी, मैं आपको कहना चाहूंगी कि जब तक मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं होगा, तब तक मैं तलाश करती रहूंगी, क्योंकि मैं दोबारा दोहराना चाहती हूं कि बिना सबूत के किसी को मरा हुआ कहना पाप है और मैं इस पाप की भागीदार नहीं बनूंगी। मेरा अंतर्मन कहता है कि कुछ दिन बाद ही सही, लेकिन कोई एक सबूत ऐसा मिलेगा, जो इस कहानी के रहस्य पर से पर्दा उठाएगा। मैं उस दिन की प्रतीक्षा कर रही हूं। धन्यवाद।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : इस विषय पर क्वेश्चन नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। प्लीज, आप लोग बैठिए। इस पर प्रश्न नहीं होंगे। इस विषय पर, स्टेटमेंट पर प्रश्न नहीं होते हैं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अब स्टेटमेंट हो गया है, अगर कहें तो एक पंद्रह मिनट का शून्य काल ले सकते हैं।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: You cannot have discussion on the statement.

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : मैं स्टेटमेंट के ऊपर बहस नहीं करना चाहता हूं। फॉरेन अफेयर्स के ऊपर हम नोटिस देंगे और जब डिटेल चर्चा होगी, तो ये सारी चीजें उसमें आएंगी। उस वक्त हम हिसाब-किताब पूरा कर लेंगे। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : हिसाब-किताब क्या पूरा करना है।

…(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : सरकार ने तीन साल में क्या किया, इसके लिए इन्होंने बताया और 14 मई 2014 को क्या-क्या कहा?…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : चलिए, आगे बढ़िए।

…(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : इस बारे में जो उन्होंने कहा, उसको हम ने सुना और आपके आदेश के ऊपर सुना। मैं इसी समय आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपने रूल 374(ए) के तहत 6 लोगों को सस्पेंड किया है।

माननीय अध्यक्ष : ऐसी चर्चा नहीं।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : लेकिन यहां पर अनुराग ठाकुर जी ने जो किया है, उसके बारे में आपने उनको तो माफ कर दिया।

माननीय अध्यक्ष : नहीं, माफ नहीं किया है। उनको हिदायत दी है।

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: लेकिन उन 6 सदस्यों को आपने बाहर रखा है। ...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: No I am sorry, nothing will go on record.

… (*Interruptions*) ...*

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: मान जो हैं, यही चीज जब वीडियो उन्होंने बनाया था, तो उनको तो दो सैशन के लिए सस्पेंड किया। ...*

HON. SPEAKER: Do not do like this. No I am sorry.

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नहीं, कुछ नहीं होता है, कोई नियम में कुछ नहीं।

…(व्यवधान)

* Not recorded

HON. SPEAKER: I am sorry. Nothing will go on record.

… (*Interruptions*) …*

HON. SPEAKER: Do you not want to carry on?

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 2.15 P.M.

13.16 hours

The Lok Sabha then adjourned till Fifteen Minutes past Fourteen of the Clock.

---

* Not recorded

14.16 hours

The Lok Sabha re-assembled at Sixteen Minutes past Fourteen of the Clock.

(Hon. Deputy-Speaker *in the Chair*)

MATTERS UNDER RULE 377*

HON. DEPUTY SPEAKER: Hon. Members, matters under Rule 377 shall be laid on the Table of the House. Members who have been permitted to raise matters under Rule 377 and are desirous of laying them personally may hand over the text of the matter at the Table of the House within 20 minutes. Only those matters shall be treated as laid for which the text of the matter has been received at the Table within the stipulated time. The rest will be treated as lapsed.

* Treated as laid on the Table

(i) Need to reopen the closed Jarangdih coal mine and Bermo Seam Incline coal mine (Bokaro and Kargali) in Jharkhand

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) : कोल इंडिया की अनुषांगिक ईकाई सी.सी.एल. अंतर्गत कथारा परिक्षेत्र की जारंगडीह भूमिगत खदान को 29 मई से बंद कर दिया गया, जबकि पिछले 35 साल से इस खदान के बंद होने से लगभग 350 कर्मचारी बेकार बैठे हैं। इसी तरह, सी.सी.एल. अंतर्गत ही बोकारो-करगली परिक्षेत्र के बेरमो सीम इन्क्लाइन (बी.एस.आई.) भूमिगत खदान को भी मई महीने में बंद कर दिया गया, जबकि बंद होने की तिथि तक इससे कोयला उत्पादन हो रहा था। इसके बंद होने से भी 300 से अधिक कर्मी बेकार बैठ गये हैं। उक्त दोनों खदानों को सुरक्षा कारणों से बंद किया गया है, जबकि सुरक्षा उपायों की समस्या पर ध्यान नहीं देने के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। एक तरफ सरकार रोजगार देने की बात करती है, दूसरी ओर कार्यरत कर्मचारियों को बैठा दिया जा रहा है। उक्त दोनों खदानों के बंद होने से कोल इंडिया/सी.सी.एल. को भी भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। आज स्थिति ऐसी है कि कर्मचारियों को बैठाकर वेतन दिया जा रहा है।

अतः सरकार से मेरा आग्रह होगा कि कोल इंडिया एवं देशहित में उक्त दोनों बंद खदानों को पुनः चालू करवाया जाये।

(ii) Need to release funds for construction of new building for Kendriya Vidyalaya No.1, Ahmednagar, Maharashtra

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी (अहमदनगर) : मैं सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र अहमदनगर में चल रहे केन्द्रीय विद्यालय नं.-1 के भवन की ओर दिलाना चाहता हूँ। भवन की हालत खस्ता है और गत 5 सालों से वहाँ शैक्षणिक सत्र की कक्षाएँ संचालित करने में गंभीर समस्या उत्पन्न हो गयी है। वहां ज्यादातर मिलिट्री ऑफिसर्स के बच्चें तथा छावनी क्षेत्र के आसपास के निवासियों के बच्चें पढ़ते हैं। उनके सामने कड़ी चुनौती है कि अपना बच्चा विद्यालय से ठीक तरह से घर आये, वहां कोई बिल्डिंग की छत न गिरे यही प्रार्थना अभिभावक को हर दिन करनी पड़ती है। विद्यालय भवन निर्माण हेतु मैंने स्थानीय अधिकारियों से चर्चा करके दो साल पहले एक प्रस्ताव भी सरकार को भेजा है, लेकिन सरकार द्वारा अभी तक उसे मंजूरी प्रदान नहीं की है। इसलिए, विद्यालय के लिए नया भवन निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो सका। सेना के जवान एवं अधिकारी देश की रक्षा करते हैं। उन्हें अपने परिवार की चिंता से मुक्त करने के लिए सरकार को प्राथमिकता देनी चाहिए। लेकिन मेरे संसदीय क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा और सबसे पुराना छावनी क्षेत्र होते हुए भी सरकार द्वारा अनदेखी हो रही है। अतः मैं सरकार से विनती करता हूँ कि सेना के जवानों एवं अधिकारियों एवं अन्य श्रेणी के अभिभावकों के बच्चों की सुरक्षा हेतु अहमदनगर स्थित केन्द्रीय विद्यालय नं.-1 के भवन निर्माण हेतु प्राथमिकता के आधार पर मंजूरी प्रदान करके वहां तुरंत भवन निर्माण हेतु धनराशि आवंटित की जाये।

(iii) Need to include cultivation of betel leaves under Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana

श्रीमती अंजू बाला (मिश्रिख): पान उत्पादक किसान पान की फसल की बढ़ती लागतों के बीच प्राकृतिक व्याधियों से फसल नष्ट होने के कारण व्यथित है। एक ओर पान फसल की उत्पादन लागत बढ़ती जा रही है और दूसरी ओर इनको बीमा कवर का लाभ नहीं मिल रहा है। फलस्वरूप इनकी कमर साल दर साल टूटती जा रही है। पान की फसल के लिए बांस बल्लियों के साथ घास और फूस से विशेष प्रकार के बरेजे के अंदर पान की फसल का पौधरोपण किया जाता है जो दस माह के बाद बेल की शक्ल में पूरे बरेजे में फैल जाती है। प्रति एकड़ भूमि में पान के बरेजे तैयार करने के लिए दो लाख रूपए खर्च होते हैं। ऐसी स्थिति में यदि पान की फसल बीमा कवर के दायरे में आ जाती है तो किसानों की बड़ी समस्या का निराकरण हो जायेगा। ऐसे में, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पान की खेती का बीमा शामिल करना चाहिए।

(iv) Need to preserve the rich bio-diversity of Munnar in Kerala

PROF. RICHARD HAY (NOMINATED): Munnar in Kerala is rich in bio-diversity. It has been found in recent times that a lot of disturbance is taking place in the region which has affected the ecology of the region. Lots of agencies with their vested interests are damaging the fragile eco-system which is one of the rarest in the world.

Therefore, I request the Government to take immediate remedial steps to restore the pristine nature of the region in Kerala.

(v) Need to build a new building for Kendriya Vidyalaya Sector 22, Rohini, Delhi and open new Kendriya Vidyalaya in Kirari and Sector 30, Rohini

डॉ. उदित राज (उत्तर-पश्चिम दिल्ली) : मेरे संसदीय क्षेत्र उत्तर-पश्चिम दिल्ली के सेक्टर 22, रोहिणी में लगभग 10 साल पहले शेड में केन्द्रीय विद्यालय शुरु हुआ था, जिसकी बिल्डिंग खतरनाक हो जाने के कारण इस स्कूल को केन्द्रीय विद्यालय सेक्टर 3 की बिल्डिंग में लगभग 6 साल पहले शिफ्ट कर दिया गया था, तभी से यहीं पर चल रहा है।

यहां पर अति शीघ्र बिल्डिंग का पुनर्निर्माण कराने की आवश्यकता है। इसके अलावा, किराड़ी एवं सेक्टर 30 रोहिणी में नया केन्द्रीय विद्यालय खोलने की मांग है। मैं माननीय मानव संसाधन मंत्री महोदय का ध्यान उपरोक्त मुद्दों की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन करता हूँ कि अति शीघ्र संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जाये।

(vi) Need for disbursement of funds under Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana in Dharwad Parliamentary Constituency of Karnataka

SHRI PRALHAD JOSHI (DHARWAD): In my parliamentary constituency 86,000 farmers are enrolled in Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana for the Kharif season 2016. Over the last year, my constituency was affected by severe drought. Total insurance claim of Rs. 172 crores has been sanctioned for the farmers but only Rs. 63 crores have been credited to the bank account of farmers. Kharif season 2017 has already begun and the farmers are still waiting for the remaining Rs. 109 crores. While the Centre has released the funds, the state government is yet to ensure its delivery to farmers in my constituency. I, therefore, urge the Government to take suitable steps in this regard.

.

(vii) Need to extend Chitrakutdham Karwi-Kanpur Intercity express train upto Lucknow

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा) : मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत चित्रकूटधाम कर्वी से कानपुर तक इन्टरसिटी एक्सप्रेस चलती है जो चित्रकूटधाम से दोपहर 3 बजे चलकर लगभग 7 बजे कानपुर पहुँचती है और रात भर वहीं खड़ी रहती है और दूसरे दिन प्रातः 10 बजे चलती है। लखनऊ प्रदेश की राजधानी है और कानपुर से केवल 80 कि.मी. दूर है। यह 1 घंटे का रास्ता है।

अस्तु सरकार से अनुरोध है कि यात्रियों की सुविधा के लिए एवं राजस्व की दृष्टि से उक्त ट्रेन को लखनऊ जंक्शन तक बढ़ाने व उसमें एक ए.सी. चेयर कार लगाने हेतु निर्देश देने की कृपा करें।

(viii) Need to set up sugar, timber and food-processing industries in Shrawasti and Balrampur districts of Uttar Pradesh

श्री दद्दन मिश्रा (श्रावस्ती) : मैं सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र के जनपद श्रावस्ती की ओर आकृष्ट कर रहा हूं जो अति पिछड़ा जिला है। भारत-नेपाल की सीमा पर बसा यह जनपद विकास की असीम संभावनाओं को समेटे हुए हैं, लेकिन केन्द्र सरकारों की लगातार उपेक्षा से इस जिले में आज तक कोई ऐसा उद्योग स्थापित नहीं हो सका है जिससे स्थानीय जनता को रोजगार मिले और क्षेत्र के संसाधनों का सही उपयोग किया जा सके। श्रावस्ती जिले में गन्ना की खेती बृहद रूप से होती है, श्रावस्ती का गन्ना बहराइच, बलरामपुर, बढ़नी, चिलवरिया, कैसरगंज, तुलसीपुर, नानपारा नेपाल तक जाता है। यदि श्रावस्ती में गन्ना मिल की स्थापना होती है तो किसानों को दूर-दराज तक अपना गन्ना बेचने नहीं जाना पड़ेगा, सही समय पर मिल को गन्ना मिलेगा और किसानों को गन्ने की सही कीमत समय से मिलेगी।

वन क्षेत्र की अधिकता के कारण श्रावस्ती और बलरामपुर दोनों जिलों में लकड़ी की प्रचुर मात्रा है, अतः लकड़ी आधारित उद्योग भी श्रावस्ती और बलरामपुर की दशा और दिशा बदलने में भारी सहायक होगा। संसदीय क्षेत्र श्रावस्ती और बलरामपुर जिलों में न तो भूमि की कमी है और न ही श्रमिकों की कमी है, जल भी प्रचुर मात्रा में जमीन के अंदर मौजूद है। उद्योग धंधे के लिए आवश्यक सभी अनुकूलता के बावजूद केन्द्र सरकारों की इच्छाशक्ति में कमी ने आज तक श्रावस्ती और बलरामपुर को पिछड़े क्षेत्र से आगे जाने में मदद नहीं की है। अतः मैं भारत सरकार से अपील करता हूं कि सक्षम टीम से सर्वे करवाकर बलरामपुर और खासकर श्रावस्ती में चीनी उद्योग/लकड़ी उद्योग/फूड प्रोसेसिंग उद्योग आदि की स्थापना करवाने की कृपा करें।

(ix) Need to take adequate measures for protection of agriculture crops from stray animals

श्री राहुल कस्वां (चुरु): किसानों के खेतों में आवारा पशुओं द्वारा फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। किसानों को दिन में खेत में काम करना पड़ रहा है व रात में पशुओं के पीछे दौड़ना पड़ रहा है। ये आवारा पशु किसान की सम्पूर्ण फसल बर्बाद कर रहे हैं। इस समस्या को लेकर किसानों में भारी रोष है। आवारा पशुओं के नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा गौशालाओं में सुविधा मुहैया करवानी चाहिए। नरेगा व अन्य सरकारी स्कीम के तहत गांव व पंचायत के आस-पास गौचर भूमि, जोहड़ पायतन आदि सरकारी जमीन की चारदीवारी व बाड़बन्दी से सुरक्षित कर चारागाह के रूप में विकसित किया जाना चाहिए तथा पशुधन पर प्रति पशु अनुदान दिया जाए एवं किसानों के खेतों की सुरक्षा के लिए तारबन्दी/फैंसिंग के लिए अनुदान दिया जाये ताकि किसान अपनी फसल बचा सके।

मेरा आग्रह है कि इस समस्या का अविलम्ब निराकरण करे।

(x) Need to streamline the traffic flow at level crossing no. 119C/E-2 on Sitapur-Mailani Section in Lakhimpur Kheri district Uttar Pradesh

श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी) : जनपद लखीमपुर खीरी में मीटर गेज रेलवे समपार सं.-119 "सी "/ई-2, सीतापुर-मैलानी रेल सेक्शन पर मीटर गेज के स्थान पर ब्रॉडगेज रेलवे लाईन पर कार्य प्रगति पर है। यह रेलवे समपार नहर पटरी रजवहा सी.सी.सम्पर्क मार्ग पर है। रजवहा नहर पटरी सी.सी. मार्ग शहर लखीमपुर-खीरी का आन्तरिक महत्वपूर्ण बाईपास है। नगर पटरी सम्पर्क मार्ग रजवहा नगर के दोनों ओर निर्मित है, परन्तु रेलवे द्वारा नहर पटरी पर केवल बांयी ओर बैरियर लगाया गया है और एवं दाहिनी ओर बैरियर न लगाकर मार्ग को अवरूद्ध कर दिया गया है, जिसके कारण नहर पटरी की दायीं ओर यातायात का संचालन नहीं हो पाने के कारण यह मार्ग यातायात के उपयोग में नहीं आ रहा है तथा रजवहा सी.सी. पटनी पर एक ही ओर यातायात का संचालन होने के कारण जाम की स्थिति बनी रहती है।

माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि कृपया वर्तमान में इस मार्ग पर रेलवे समपार सं.- 119 "सी "/ई-2, सीतापुर-मैलानी रेल सेक्शन पर रेलवे द्वारा लगाए गए अवरोधक को हटाकर बांयी तरफ लगे बैरियर को बढ़ा दिया जाए, जिससे नहर पटरी के दोनों ओर निर्मित मार्ग यातायात हेतु पूर्ण रूप से उपयोगी हो सके।

(xi) Need to bring transparency in utilization of Corporate Social Responsibility Funds

SHRI DEVUSINH CHAUHAN (KHEDA): The PSUs, Corporate Houses, Pvt. Cos., etc. use their CSR funds, as per their profitability, throughout the country. There is no mechanism or central monitoring system to see where these funds are used. In many cases these Cos. use their CSR funds in their own project or in-house NGOs. There is no system of involving elected members in implementing these CSR funds. I urge upon the Govt. to make this system more transparent. Elected representatives should be involved and everything should be available electronically on a single CSR website where each and every Cos. which implement CSR schemes should be bound to file/upload the CSR fund implementation, scheme-wise/project-wise on this single website on the same lines as Cos. are bound to file tax returns.

(xii) Need to make services of adhoc teachers working in Eklavya Schools permanent

श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा (भरूच) : मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि आदिवासी क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के बीच शिक्षा को बढ़ावा दिये जाने हेतु एकलव्य स्कूल चलाये जा रहे हैं। अनुसूचित जनजाति में साक्षरता का स्तर राष्ट्रीय औसत स्तर से बहुत कम है। एकलव्य स्कूल द्वारा अनुसूचित जनजाति के बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। एकलव्य स्कूलों में कई टीचर 5 से 7 साल से अस्थाई तौर पर कार्य कर रहे हैं। ये टीचर काफी मेहनत से शिक्षण कार्य कर रहे हैं एवं सी.बी.एस.ई. पाठ्यक्रम के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। जिनके कारण एकलव्य स्कूलों का रिजल्ट अच्छा आ रहा है। ये टीचर अनुसूचित जनजाति वर्ग में शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार कर रहे हैं। एकलव्य स्कूल के टीचरों को परमानेंट करके उनके साथ न्याय दिलवाया जाये।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि एकलव्य स्कूलों में जो टीचर 5 से 7 साल से शिक्षण कार्य अस्थाई रूप से कर रहे हैं उन सभी को परमानेन्ट किया जाये।

(xiii) Need to provide stoppage of Maurya Express, Jansewa Express and Intercity Express at Daudpur Railway station and stoppage of Amrapali Express, Gwalior Mail and Lucknow-Pataliputra Mail at Ekma railway station in Bihar

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल (महाराजगंज) : मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र महाराजगंज, बिहार में पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर के दो प्रमुख रेलवे स्टेशन दाऊदपुर एवं एकमा स्थित है। इन स्टेशनों से प्रतिदिन हजारों की संख्या में यात्रियों का आवागमन होता है। विदित हो कि ये दोनों स्थान बिहार राज्य के सारण प्रमंडल के प्रमुख व्यावसायिक केन्द्र भी है, जहां पर राज्य के दूर-दराज के हिस्सों से भारी संख्या में व्यापारी अपने व्यावसायिक कार्य करने के लिए प्रतिदिन आते-जाते हैं। इन स्टेशनों से बड़ी संख्या में इस क्षेत्र के लोगों का देश के विभिन्न राज्यों में अपनी जीविका, कार्य एवं नौकरी तथा अन्य कार्यों हेतु आना-जाना लगा रहता है। अन्य राज्यों में यात्रा हेतु इस क्षेत्र के लोगों को पटना, छपरा, सीवान, गोरखपुर इत्यादि रेलवे स्टेशनों से दूसरी ट्रेन पकड़कर यात्रा करनी पड़ती है क्योंकि यहां के लोगों के लिए सुविधाजन ट्रेनों का ठहराव दाऊदपुर एवं एकमा स्टेशनों पर नहीं है।

वर्षों से यहां की जनता की मांग रही है कि दाऊदपुर रेलवे स्टेशन पर **मौर्या एक्सप्रेस (15027 अप/15028 डी.), जनसेवा एक्सप्रेस (15209 अप/15210 डी.) एवं इंटरसिटी एक्सप्रेस (15105 अप/15106 डी.) तथा एकमा स्टेशन पर आम्रपाली एक्सप्रेस (15707 अप/15708 डी.), ग्वालियर मेल (11123 अप/11124 डी.)एवं लखनऊ पाटलिपुत्र मेल (15229 अप/15230 डी.)**का ठहराव कराया जाये।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से विनम्र अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र की जनता की सुविधा के लिए उपर्युक्त स्टेशनों पर उपरोक्त विभिन्न ट्रेनों का ठहराव कराया जाये।

(iv) Need to run Shatabdi Express or a high-speed train between Indore and Delhi

श्रीमती सावित्री ठाकुर (धार) : मेरे लोक सभा क्षेत्र से लगा इंदौर बड़ा रेलवे जंक्शन है। यह मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी होने के साथ ही यहां का व्यापार पूरे भारत वर्ष में फैला है। दिल्ली इसमें प्रमुख शहर है, उस दृष्टि से भी आवागमन हेतु अगर इंदौर से दिल्ली तक इस रूट पर शताब्दी एक्सप्रेस की शुरुआत होती है तो रूट पर पड़ने वाले अन्य लोक सभा क्षेत्रों के व्यापार जगत के साथ सभी यात्रियों को भी अधिक लाभ पहुंचेगा। वर्तमान में इंदौर से दिल्ली या आगे के लिए दो लोकल ट्रेनें ही प्रतिदिन चलाई जा रही है। दोनों ही गाड़ियां दूसरे दिन इन्दौर से दिल्ली पहुंचती हैं। ऐसे में व्यापार जगत के यात्रियों को बहुत ही असुविधा का सामना करना पड़ रहा है इसलिए दिल्ली तक शताब्दी या हाई स्पीड ट्रेन चलाया जाना अत्यंत ही आवश्यक है।

मैं माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह करूंगी कि जनहित में इंदौर से दिल्ली तक शताब्दी या अन्य हाई स्पीड ट्रेन चलाने के लिए उचित एवं ठोस कदम उठाया जाये।

(xv) Need to address the problems of rubber growers in the country

SHRI ANTO ANTONY (PATHANAMTHITTA): I request the Government to kindly redress the grievances faced by the rubber growers in the country who have been hit hard by continuous fall in prices and shrinking assistance from the Government. Prices of natural rubber in domestic markets plummet due to the massive flow of natural rubber from abroad. Rubber cultivation will be remunerative if the growers get Rs. 200 per/kilogram of latex, however, growers are getting Rs 130 per kg. The Government has already rolled back 15 types of subsidies. The Rubber Board is paralyzed, as the fund allocation to the Board has been curtailed drastically. The Government is closing down field offices and regional offices, which were constituted to extend technical assistance to rubber growers. Therefore, the Government has to earmark 10 per cent of taxes collected from the rubber sector for resuming subsidies and procuring natural rubber at a rate higher than that of Minimum Support Price (MSP).

(xvi) Need to provide financial package to Salem Steel Plant in Tamil Nadu

SHRI V. PANNEERSELVAM (SALEM): There have been reports that the Government of India is considering privatization of the Salem Steel Plant in Tamil Nadu. Salem Steel Plant has acquired a global reputation for its high quality steel and is an iconic symbol for the State. People of Tamil Nadu have a deep sense of pride and attachment to this Public Sector Plant. Government of Tamil Nadu had acquired about 15.5 sq km of land in 9 villages more than four decades ago in the foot hills of Kanjamalai in Salem District for setting up Salem Steel Plant. It was possible to undertake such extensive land acquisition mainly because of the Public Sector character of the plant. Today, any proposal to privatize the Salem Steel Plant would cause considerable unrest amongst the people, particularly amongst those whose lands were acquired. Salem Steel Plant provides employment to about 2000 persons and many ancillary and subsidiary units also depend on it. Further, Tamil Nadu Government has supported the expansion project costing Rs.2005 crores of the Salem Steel Plant with a structured package of incentives in the form of Soft loan, Capital Subsidy, Electricity Tax Exemption and Environmental Protection Subsidy. In 2015, the Government of Tamil Nadu granted an extension of one year from 1.11.2010 to 31.10.2011 to enable Salem Steel Plant to complete its expansion activities and avail the incentive package. Therefore, I appeal to the Centre to give up the idea of privatising Salem Steel Plant and provide financial package to help it regain its past glory.

(xvii) Need to remove the discrepancy in the Employees' Pension Scheme, 1995

SHRI P. NAGARAJAN (COIMBATORE): The Employees Pension Scheme 1995 has a provision that a member can contribute additional money into the pension fund which can be up to 8.33% of his actual entire salary. In that case the pension to the member will be commensurate with the money so deposited and hence the pension will be increased proportionately.

The Honble High Courts gave a verdict that the increased contribution should be accepted. EPFO has given effect to this issue but at a later date they have come out with an erroneous stand that the said circular applies only to employees who belong to un-exempted establishments and does not apply to exempted establishments.

This is a blatant discrimination against the employees and diluting the spirit of the judgments. This is detrimental to the retired employees from exempted establishments. Due to this erroneous stand of EPFO many employees who worked in exempted establishments have been severely affected.

I, therefore, urge the Government to intervene immediately in this vexed issue and remove any such discrimination to ensure the benefit reaches to all eligible retired employees of several organisations like Food Corporation of India.

(xviii) Regarding discovery of a large super cluster of galaxies by Indian Scientists

DR. TAPAS MANDAL (RANAGHAT): Very recently a team of Indian astronomers from the Inter University Centre for Astronomy & Astrophysics (IUCAA), and Indian Institute of Science Education and Research (IISER), Pune and members of two other Indian universities, have identified a previously unknown, extremely large super cluster of galaxies located in the direction of constellation Pisces. This is one of the largest known structures in the nearby Universe, and is at a distance of 4,000 million (400 crore) light-years away from the earth.

This novel discovery is being published in the latest issue of the Astrophysical Journal, the premier research journal of the American Astronomical Society. We congratulate Dr. Somak Raychaudhury, Director of IUCAA, Pune, co-author of this paper, Joydeep Bagchi from IUCAA, the lead author of the paper and Shishir Sankhyayan, co-author and PhD scholar at IISER, Pune and others for their proud discovery. More light on the subject and discovery may be shed.

(xix) Need to review the decision of Air India to discontinue serving non-vegetarian meals on-board for economy class travelers

SHRI SULTAN AHMED (ULUBERIA): Surveys of the eating habits of Indians suggest that the number of Indians who eat meat ranges from 71% to 88% (Census of Indian Anthropological Society).

Air India has decided to stop serving non-vegetarian food to its economy class passengers on domestic flights. Air India has taken an unconscious decision that non-vegetarian meal in economy class on its domestic flights will reduce wastage and costs of catering service. Banning of non-veg meal will not lead to the chances of mixing up of non-veg and veg meal.

Indian Railway also serves non-vegetarian and vegetarian meal together with no complaint. If the railway manages to serve many more meals every day without mixing up vegetarian with non-veg, it is not clear why Air India is unable to do so.

It is reported that some fundamentalist NGOs have asked all airlines to stop serving non-vegetarian food items on board for flyers.

Considering the food habit of the citizens and keeping in mind the diversity of the Indian culture, Government should curb this kind of decision and ask the Air India to improve the catering service and resist the fundamental pressure in national interest and restore earlier ethnicity in catering services.

(xx) Need to deploy two additional battalions of Central Armed Police Forces in Odisha

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): The Government of Odisha has requested the Union Government to deploy two additional Battalions of Central Armed Police Forces (CAPFs) to combat the menace of Left Wing Extremism effectively in the State. However, the Union Government has not acceded to the request of the Government of Odisha despite the fact that Maoists' attacks have increased in the State over a period of time. Recently, they attacked and damaged a railway station in Rayagada district and killed seven police personnel and injured several others in Koraput Division. Further, due to large scale deployment of CAPFs in the bordering States, the Maoists have moved from Chhattisgarh and Jharkhand to Odisha. So, the present deployment of forces in Kalahandi, Nuapada, Koraput, Malkangiri and Rayagada districts has become inadequate to handle the challenge. I, therefore, urge upon the Union Government to deploy two additional Battalions of CAPFs in the State of Odisha at the earliest.

(xxi) Need to protect the interests of small catering vendors in the Railways catering policy 2017

श्री आनंदराव अडसुल (अमरावती) : कई वर्षों से देशभर के रेलवे स्टेशनों पर दिन-रात कार्यरत लाखों चाय वेंडर और खान-पान के छोटे लाइसेंसधारी यात्रियों की सेवाओं में लगातार जुटे रहते हैं। विषम परिस्थितियों में ये वेंडर यात्रियों की सराहनीय सेवा करते हैं, लेकिन 2017 खान-पान नीति के कारण उन्हें बेहद कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। इन छोटे वेंडरों के हितों की रक्षा अति आवश्यक है। पहले समयबद्ध तरीके से इनके लाइसेंसों का नवीनीकरण हो जाता था, लेकिन वर्ष 2010 से ऐसा नहीं हो रहा है। 2017 नीति के कारण लगभग 80 प्रतिशत वाराणसी एवं 60 प्रतिशत आगरा में छोटे लाइसेंसधारियों का रोज़गार छिन गया है और अन्य डिवीजनों पर इन लाइसेंसधारियों पर रोजी-रोटी का खतरा मंडरा रहा है और ये आज भुखमरी के कगार पर आ पहुंचे हैं। इसलिए, खान-पान नीति 2017 की खामियों को दूर कर इन्हें बचाया जा सकता है। 2017 नीति के अनुसार छोटे वेंडरों से रोजी-रोटी का साधन छीन कर बड़े ठेकेदारों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इन छोटे वेंडरों को बचाने को कई बार रेलवे को पत्र एवं ज्ञापन सौंपे गये हैं, लेकिन आज तक इस विषय पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि खान-पान नीति 2017 की खामियों को दूर कर इन छोटे वेंडरों, लाइसेंसधारियों को बचाया जाये।

(xxii) Need to expedite the amalgamation process of Andhra Pradesh Grameen Vikas Bank and Telangana Grameen Bank

SHRI B. VINOD KUMAR (KARIMNAGAR): Regional Rural Banks/Grameen Banks were created in 1975 to provide basic financial and banking services to rural parts of India. Subsequently, banks with a common sponsor in the same State were to be merged as per the Vyas Committee. After the bifurcation of Andhra Pradesh, the merger of Andhra Pradesh Grameen Vikas Bank (APGVB) with Telangana Grameen Bank (TGB) was to be carried out as per the Government of India notification dated F. No. 1/6/2012- RRB.

Due to the merger of SBI Associate Banks with State Bank of India, the bifurcation process of APGVB was interrupted. However, now the process of amalgamation with SBI has completed. With SBI sponsoring both the RRBs now, it is an opportune moment to continue the process of amalgamation of the APGVB with the TGB. This includes sharing of assets, share capital, provisions, etc.

I urge the Government to expedite the process of amalgamating Andhra Pradesh Grameen Vikas Bank (APGVB) with Telangana Grameen Bank (TGB) with SBI as its sponsor bank in the State of Telangana.

(xxiii) Regarding Resumption of train services on Palakkad-Pollachi railway line

SHRI M.B. RAJESH (PALAKKAD): I would like to draw the attention of this august House to an important issue of Palakkad-Pollachi Railway line. The gauge conversion of this line was completed at a cost of 400cr over a period of 7 years. However though one year after the completion of this gauge conversion work, no new trains have been introduced on this line. Not only that, even the existing trains which ceased to operate temporarily due to the work have not resumed their servies. This line connects Southern Tamil Nadu with Kerala. There is immense potential for new trains connecting pilgrim centres like Pazhani, Madhura and Rameshwaram in Tamil Nadu and Guruvayur in Kerala. Introducing new trains connecting these destinations will be of great help for tens of thousands of Pilgrims. This will be beneficial for Railways too. Hence I request the Railways to resume all the previously existing operations of trains on the Palakkad-Pollachi route.

(xxiv) Regarding poor road-connectivity in Araku Parliamentary Constituency of Andhra Pradesh

SHRIMATI KOTHAPALLI GEETHA (ARAKU): I would like to draw the attention of the Government towards the poor connectivity of roads in Araku constituency, which is located in the North coast of Andhra Pradesh and is a tribal area.

I would like to bring to the notice of the Ministry of Rural Development the fact that in spite of repeated appeals to the district administration, the performance of Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana is quite poor and hence no allocation was made to the district of Vizianagaram, Visakhapatnam and East Godavari since 2013. Many works which were started have been left unfinished and some works are non-starters till date.

Due to this situation, providing connectivity to the tribal areas has been inordinately delayed. Without connectivity other issues relating to health infrastructure, education infrastructure and welfare activities cannot be addressed. Hence, I request the Minister of Rural Development to kindly intervene and issue necessary instructions to immediately complete the pending works and also to initiate the new works as may be required to ensure proper connectivity to all the villages.

(xxv) Need to establish a Railway University at Jamalpur in Bihar

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : एशिया महादेश में प्रसिद्ध जमालपुर रेल कारखाना एवं इरिमी की महत्ता को देखते हुए यह कहना चाहता हूँ कि भारतीय रेल की जीवन रेखा रेलवे की स्थापना काल से पूर्व जमालपुर रेल कारखाना एवं साथ ही साथ विशेष श्रेणी अप्रेंटिस का शिक्षण व प्रशिक्षण का केन्द्र रहा है। आज की तिथि में मंडल रेल प्रबंधक एवं महाप्रबंधक रेलवे जोन में पदस्थापित सारे अधिकारी को शिक्षण व प्रशिक्षण यहीं प्राप्त हुआ।

हाल के वर्षों में रेलवे व सरकार की उदासीनता के कारण यह मृतप्राय हो रहा है, जबकि सारी आधारभूत संरचना इस कारखाने में मौजूद है।

अतः मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि जमालपुर रेल कारखाना व इरिमी की महत्ता को देखते हुए तत्काल रेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाये।

(xxvi) Need to overhaul the existing mechanism of procurement of farm produce

SHRI JOSE K. MANI (KOTTAYAM): Contribution of primary sector agriculture — which was more than 60% - 50 years back has come down to 15% now. But 50% of the population is still depending on agriculture. The increase in prices of agricultural produce - both food and non food - has not grown in proportion to the increase in income of others like Government/PSU employees or even organized sector in the private sector. This created further widening of the gap between farmers and others. The present prices of almost all farm produce are not providing a surplus for the very existence of members of a farmer family. No surplus to repay the loan. Increase in DA is based on consumer price index. But price of farm produce is not likewise. There is a need to fix remunerative price for each agriculture produce - based on input cost, price hike of inputs and a reasonable living income for the family of farmers. Thus remunerative price fixing should be done by the central and state govt. like creating a new mechanism on the lines of GST council comprising of central and state ministers. Procurement of agricultureal produce below the remunerative price should be made illegal by law.

We had an example in Kerala - Remunerative price for natural rubber is Rs 150 and for paddy it is around Rs. 22 likewise there should be price fixation. Most of the Indian farm produce is consumed locally. This being the situation, Government should design a mechanism for farm produce procurement by seeking central and state govt. participation and participation of private sector co-operatives and farmers collectively. A high power Parliamentary Committee which includes one representative from each political party which has representation in the Lok Sabha should be constituted immediately to study the reasons and suggest solutions within 6 months . The Committee should have the power to summon any officer including the Cabinet Secretary and any document. If demonetization and GST can be implemented, the problems of the farmers can

also be solved. All the present subsidy, programmes and help of the Government to the farming community and agriculture need to be revisited. Instead of subsidy the government should fix remunerative price and assure procurement of the produce at the above price and transfer the amount through banks. The Central Govt. should act fast.

… (*Interruptions*)

14.17 hours

(*At this stage, Shri K.C. Venugopal and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.*)

14.17 ½ hours

INDIAN INSTITUTES OF INFORMATION TECHNOLOGY (AMENDMENT) BILL, 2017 – Contd.

HON. DEPUTY-SPEAKER: Now, hon. Minister, Shri Javadekar.

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI PRAKASH JAVADEKAR): Sir, yesterday, we started a discussion on the Bill. The issue was again raised. These are our institutes of pride and these are institutes of national importance. The four Indian Institutes of Information Technology at Gwalior, Allahabad, Jabalpur and Kancheepuram are fully funded by the Government. Now, by this Bill, we are adding Kurnool to the list. Kurnool has been decided as per the AP Reorganisation Act. *(interruptions)*

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : महोदय, आपने हमारे छह लोगों को सस्पेंड कर दिया लेकिन अनुराग ठाकुर को केवल वार्निंग देकर छोड़ दिया? ...(व्यवधान)

HON. DEPUTY-SPEAKER: You discuss it with the hon. Speaker. I do not know what decision she has taken.

… (*Interruptions*)

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: The working of it has already started. Two batches are already completing the course. Therefore, this is a very important development for not only Andhra Pradesh but for the whole higher education sector of India.

Information Technology is our forte and therefore, this Bill is for discussion before the House. *(Interruptions)*

HON. DEPUTY-SPEAKER: Already, the hon. Speaker has given her ruling on that. I cannot overrule the ruling she has given.

… (*Interruptions*)

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: There are two consequential amendments to the Bill.

So, hon. Deputy –Speaker Sir, this is a very important Bill which gives justice and I am very sure that Members from all parties will support and pass this Bill. There are two consequential amendments also. There are some lacunae in the draft Bill. The Bill earlier passed had two lacunae which we are also correcting.

Therefore, Sir, I invite hon. Members to give their comments and suggestions so that we can improve the functioning of IIITs more efficiently and it will further the cause of higher education.

With these words, I commend the Bill for discussion.

HON. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:

> "That the Bill further to amend the Indian Institutes of Information Technology Act, 2014, be taken into consideration."

SHRI PRALHAD JOSHI (DHARWAD): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I am really thankful to you. It is a very small but a very important Bill. … (*Interruptions*)

HON. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Members, please go to your seats first.

… (*Interruptions*)

14.20 hours

(At this stage, Shri K.C. Venugopal and some other hon. Members went back to their seats.)

HON. DEPUTY-SPEAKER: The hon. Speaker has already given the ruling on the matter that you are raising now. I cannot over rule that. She has given the ruling already. She has made her observations in the House. So, how can I review that? It can be decided by the Speaker alone. So, you can again raise the matter before the Speaker. I cannot do anything. What can I do? You please tell me.

… (*Interruptions*)

14.21 hours

(*At this stage, Shri K.C. Venugopal and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.*)

SHRI PRALHAD JOSHI : Hon. Deputy-Speaker, Sir, this is a very small Bill but at the same time a very important Bill which is ultimately going to declare the IIIT, Kurnool as an institution of national importance. The IIIT, Kurnool will become the fifth 100 per cent Centrally funded institution of national importance. Since the academic session has already commenced, we need to pass this Bill. This is not only important but also very urgent. The reason being this institution has already started its academic session and admissions also have already taken place. That is why my submission to the hon. Members of the Opposition in general and to Shri Kharge in particular is please discuss this Bill as it is your commitment. That commitment should be honoured.

The Indian Institutes of Information Technology Act, 2014 confers the status of national importance to this institute. As far as the appointment of Director is concerned, in the Search Committee the same Director was supposed to be there according to the previous law. Now, it is being amended. There was only an Assistant Professor. Only he could be appointed. Even if he is above the Assistant Professor, he could not be appointed. That lacuna is being corrected.

As already explained by the hon. Minister, it is a very small but an important Bill. Having said that, I hope that this institution, under the leadership of Shri Prakash Javadekar, within a very short time will rank among the top 100 institutions of the world. So far in India, even after 70 years of Independence – next month we are completing 70th year of our Independence – we do not have even one institute of global ranking. We know who has ruled this country so far. I do not want to politicize this issue. That is why I would like to remind them that even after 60 years of their rule, despite our ancestors being so intelligent, they could not produce any institute of global ruling. We came out with the concept of zero. After 1 to 9, what next was the issue before the world. At that time, the concept of zero was given by Aryabhatta. Not only that, दुनिया गोल है, यह भी हमने बताया, बहुत पहले बताया था। Even during *vedic* times, we called it as '*bhu mandal*'. Mandal means round. We called geography '*bhugol*'. It means it is round and spherical. अंडाकार है, गोलाकर है, यह बहुत पहले ही कहा था। We have a rich legacy in various fields, right from mathematics to surgery. So, there were so many achievements by the ancient Indians. हमारे जो पूर्वज हैं, उन्होंने किया है। ...(व्यवधान) लेकिन इसके बावजूद भी इन 70 सालों में एक भी इंस्टीट्यूशन...(व्यवधान) इनके 60 सालों के काल खंड के बाद भी इंस्टीट्यूशन हन्ड्रेड रैकिंग में नहीं है। ...(व्यवधान) We can understand as to what is the situation.… (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Hon. Members, please go back to your seats. Now, nothing is going on record. Hon. Members, I am requesting you to go back to your seats. Then, I will allow your leader to speak.

… (*Interruptions*)

SHRI PRALHAD JOSHI : I feel that to bring it below the 100^{th} ranking, our Government, under the leadership of Shri Prakash Javadekar ji, is putting the best efforts. Along with that, I would like to tell that the skill and finishing touch is also important for all these institutions. … (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Hon. Members, let him speak. Please go back to your seats. If you go back to your seats, I will allow your leader to speak.

… (*Interruptions*)

SHRI PRALHAD JOSHI : The labourer or the graduate, whosoever it is, the total number of skilled workforce in our country is only 4.69 per cent.… (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Joshi, let Shri Kharge ji speak.

… (*Interruptions*)

14.27 hours

(At this stage, Shri M.I. Shanavas and some other hon. Members went back to their seats.)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : They are going back, Sir. We are very obedient. … (*Interruptions*) But the Government always creates problems for us. Sir, you know Rule 376. Hon. Speaker or hon. Deputy Speaker, whosoever presides, when the House is not in order, any bill or any other subject should not be discussed. … (*Interruptions*) Now, you are ignoring all the rules and discussing. How can it be done? … (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: You have raised issue regarding the order in the House.

… (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: You want to revoke the suspension.

… (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: That is the point which you have raised. This decision has been taken by the hon. Speaker. She has already given some Ruling

in the morning and explained everything. Therefore, whatever you said here, I will convey the same to the hon. Speaker. Please allow the House to run.

… (*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : This is the cause of action. Therefore, you should adjourn the House. … (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Whatever you said, it has been recorded. I have allowed you to speak and to raise your point.

… (*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : You can adjourn the House. … (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: How can I adjourn the House? I cannot do this. When other members are not accepting it, how can I adjourn the House?

… (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Except you people, nobody is raising this issue. Shri Joshi, you may continue.

… (*Interruptions*)

SHRI PRALHAD JOSHI : Sir, I would like to tell the House as to how this problem is being addressed in other countries. For example, in Germany, students start practical training, that is the industry-linked training from the High School level itself.… (*Interruptions*)

<u>14.29 hours</u>

(*At this stage, Shri M.I. Shanavas and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.*)

This combines the hands on practical exposure with theoretical study. Through this mechanism, students graduate with the University degree and substantial work experience in the field concerned.… (*Interruptions*) This model has been replicated in France, the Netherlands and even in China. … (*Interruptions*) But what is the situation in our country? There is one institution by the name Aspiring Minds. According to their Report, every year 15-lakh

engineering graduates come out of the institutions. Out of them, more than 60 per cent are not employable. This is because in spite of very good theoretical teaching or curriculum activities for them, they do not have the finishing touch or the skill. Sometimes they do not have communication skill or sometimes they do not have technical skill. For this reason, they are becoming unemployable. For that, what I suggest is that their skill has to be developed. You know, Sir, the capacity and the intelligence of our kids who are studying.

Hon. Prakash Javadekar *ji* recently conducted a programme by the name 'Hackathon'. You know, Sir, this is, in a way, a challenge given to all the engineering and IT students to find out a solution for the public cause. … (*Interruptions*) When he gave a call under the guidance of hon. Prime Minister, thousands and thousands of students participated. Prakash Javadekar *ji* called me one day over telephone and said, "Even in your constituency, in Hubli, Hackathon is going to happen. In the morning you go to the BVB College at 7 o'clock." When I went at 7.30 in the morning to the BVB College, the entire college was full of young students and they told that they have been assigned such and such problem and they are trying to find the solution. Not only young people are involved in this. … (*Interruptions*)

This is a new concept, a new idea. If a man thinks from a different angle, how are our young people going to react? Prakash Javadekar *ji* is the best example. When he gave a call, more than 20 to 22 thousand students participated. Even 33 Government Departments identified the problem. This is what Prakash Javadekar told on that day in his speech to the entire nation and to the world. … (*Interruptions*) Either IAS officers or IFS officers, whoever are sitting in the chamber, they think that they are answerable to people. हमारे डिपार्टमेंट में यह प्राब्लम है, हम इस प्राब्लम की सोल्यूशन नहीं निकाल पाए हैं, इसलिए हम इसे हैकाथॉन में दे देंगे। अगर हमारे यंग स्टूडेंट्स इसका कुछ सोल्यूशन निकालते हैं तो उसे ले लेंगे। ऐसे उस डिपार्टमेंट ने भी कोऑपरेट किया। The Department was able to identify their problems. Generally the problems are faced by the people. The Department officials identified their problems and they

were handed over to the students who participated in Hackathon. By saying so, what I am trying to stress upon is this. If a challenge is given, if facility is given, if a call is given to the students and if they are encouraged, our young students can find out a solution which has not been found out since last 60 years. This is what Prakash Javadekar *ji* is doing. … (*Interruptions*)

Lastly, I come to entrepreneurship. I am not going into the entire details of that. As far as our graduates are concerned, as per the figures released by the National Science Foundation (NSF), National Centre for Engineering and Statistics, out of 29 lakh Asian immigrant scientists and engineers in the United States in 2013, 9.5 lakhs belonged to India. It means, one-third of Indian who are completing their education from the premier institutes are going to foreign countries because they are not getting encouragement here. … (*Interruptions*)That is why I would request that these premier institutions should also include entrepreneurship in their training so that the students need not go seeking job elsewhere. … (*Interruptions*) अभी हमारे देश में क्या हो रहा हैं ग्रेजुएट हो तो काम पर जाओ। This calculated risk taking should also be encouraged and entrepreneurship should also be a part of the training so that they will become entrepreneurs; they will not become job seekers. They will become the job providers. … (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Prof. Saugata Roy.

… (*Interruptions*)

SHRI PRALHAD JOSHI : I am really sorry. I have got so many points. … (*Interruptions*)

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Sir, I rise to speak on the Indian Institutes of Information Technology (Amendment) Bill, 2017. I would have been very happy to speak in support of the Bill if the House had been in order. … (*Interruptions*) But unfortunately, the House is not in order. Six Members have been suspended. We have appealed for withdrawing their suspension. Still it has fallen on deaf ears. Today, we saw another case of ...[*] the same offence that Mr. Mann was suspended for two sessions. One Ruling Party Member has been ...[*] with a warning. … (*Interruptions*) Speaking on the Bill, I have said that there should be...[*] , as in the case of Shri Mann and as in the case of the Ruling Party Members. But as far as the Bill is concerned, there is nothing to take exception to. A new Indian Institute of Information Technology is being set up at Kurnool in Andhra Pradesh. … (*Interruptions*)

Actually, it was there earlier. It was called the Indian Institute of Technology, Manufacturing and Design but now, its name is being changed and it is being subsumed as an Indian Institute of Information Technology in addition to the four Government funded IIITs which were already there. So, the Minister is coming with a bigger Bill on this issue.

All I want to say is that information technology education is being handled in a bad way in our country. … (*Interruptions*) Any engineering college can open IT. Now, Information Technology is a new subject and with three or four computers, they say that they are teaching Information Technology. Students passing out from there have no idea of hardware. They learn a little bit of software. So, national course or curriculum for all Information Technology courses all over the country should be enunciated so that there is standardization of Information Technology education in the country and students are not taken for a ride. Otherwise, you see Information Technology in our country consists of software. Software is mainly making programs but hardly we are manufacturing any hardware in this country. The chips, the circuits, the large scale integrated

[*] Not recorded

circuits are not being manufactured. We must give emphasis to hardware manufacturing and hardware development in this country. … (*Interruptions*)

The other thing is that Information Technology Companies like Wipro, Infosys and Tata Consultancy Services are normally doing body shopping. They are taking fresh engineering graduates. They are sometimes paying them from third year. But they do not take IT graduates. They are taking any engineering graduate and then they are training in their software and asking them to design programs. We want that these companies employ properly educated IT students who have had experience of both software and hardware. … (*Interruptions*) With that, I say that we have no objection to the IIIT at Kurnool. It is a good thing that Andhra Pradesh has an IIIT. I hope there is an IIIT at Kalyani. You have got another Bill where you will be recognizing 15 IIITs. .… (*Interruptions*)

With that, I again repeat my appeal. Please withdraw the suspension of six Congress Members ...* . Thank you.

---

* Not recorded

SHRI LADU KISHORE SWAIN (ASKA): Hon. Deputy Speaker Sir, at the outset, I would like to extend my gratitude to you for giving me this opportunity to speak on the subject. We fully support to the required amendments into the Indian Institutes of Information Technology (Amendment) Bill, 2017.… (*Interruptions*)

The said bill seeks to declare the Indian Institute of Information Technology, Design and Manufacturing, Kurnool of Andhra Pradesh as an institution of national importance. As of now, four such institutions are in the country and inclusion of Indian Institute of Information Technology, Design and Manufacturing, Kurnool would be the fifth one in this list. The Statement of Objects and Reasons of the said Bill reads that:

> “The Indian Institutes of Information Technology Act, 2014, which was enacted, *inter alia*, to declare certain Institutes of Technology to be institutions of “national importance”.”

The Government of India set up a new Indian Institute of Technology, Design and Manufacturing at Kurnool in the State of Andhra Pradesh to give effect to its obligation under the Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014. Now it has been decided to amend the Indian Institutes of Information Technology Act, 2014 so as to bring the said Institute within the scope of that Act and to declare it as an institution of national importance. … (*Interruptions*)

Among other things, the present Bill seeks to achieve the above objectives. We welcome this decision, and I am happy to state that the Government is taking efforts to increase the standing of educational institutions by giving them national status. In the same breath, I would like to demand that Odisha too deserves special consideration. There was a proposal and an MoU was signed by Tata Company to open an Indian Institute of Information Technology under PPP at Berhampur in Odisha but it is not in the list.… (*Interruptions*)

I would like to draw your kind attention to the Cabinet approved Indian Institutes of Information Technology (PPP) Bill, 2017 to grant statutory status to 15 Indian Institutes of Information Technology under Public-Private Partnership

and declare them as institutions of national importance. However, in the said approval, there is not even one such institution proposed for the State of Odisha. Odisha is being neglected, and neglected indeed.… (*Interruptions*)

In the past three years, the Government has not shown any sort of consideration to our State and also to the demand of the National Institute of Science Education and Research (NISER), Bhubaneswar which needs to be conferred with the status of institute of national importance. The Government of Odisha has also assured that it will extend all the support required to make this institute a world class structure. Our hon. Chief Minister, Naveen Patnaik Ji had written a letter to the hon. Prime Minister on 2nd June, 2017 seeking the status of the said institution as of national importance through an Act of Parliament.… (*Interruptions*)

The grant of a formal degree in information technology would enhance the prospects of the graduating students in the job market and will also enable the institutions to attract enough students required to develop a strong research base in the country in the field of information technology. Also, the emerging needs of the industry and the economy as a whole for skilled technical manpower are expected to be met from the talent pool of trained personnel of the institutes. … (*Interruptions*)

Mr. Deputy Speaker, Sir, it is well known to all of us that India's economic progress rests with the overall development of its rural areas. If adequate attention is given to harness the growth potential of agriculture sector by imparting quality research base through use of scientific and modern information technology, our progress in the sector could be manifold. Even after implementation of MGNREGA, a vast majority of our rural migrant workers are leaving their base to urban construction and other such unorganized sectors to work as labourers with minimum or with no basic facilities. … (*Interruptions*)

In this context, when we talk of having any institution of national importance, they should be looked at in this backdrop. We have all the support to

the said amendment. However, we should also think of establishing Agriculture Universities and such institutions of excellence in promoting technology to cater to the need of the small and marginal farmers in improving productivity and production, which would make them self-reliant and self-sustainable.… (*Interruptions*)

Given the distress conditions in farming sector, unless we establish such institutions, which would enhance the farming activities in rural areas, any other institution with the tag of 'national importance', or the use of advanced information technology, would be of no use as majority of our workforce is dependent on the agricultural sector for their daily livelihood.

Finally, Sir, I would urge the hon. Minister through you to consider the Odisha University of Agriculture and Technology (OUAT) as an institute of national importance. This institute also deserves to be declared as an institute of national importance as it has the capability of transforming agricultural practices with the help of modern technology in the State of Odisha.… (*Interruptions*)

Lastly, Sir, I am grateful to you for giving me this opportunity to speak on this subject. Thank you, Sir. … (*Interruptions*)

SHRI RAHUL SHEWALE (MUMBAI SOUTH CENTRAL): Thank you Deputy-Speaker, Sir, for allowing me to speak on the Indian Institutes of Information Technology (Amendment) Bill, 2017. It is mentioned in the Statement of Objects and Reasons of the Bill that the Government of India set up a new Indian Institute of Technology, Design and Manufacturing at Kurnool in the State of Andhra Pradesh.… (*Interruptions*)

The amendment in this bill seeks to endow on this Institute the status of the national importance. Keeping in view the concern of youth welfare, I urge the Government to set up an Indian Institute of Technology, Design and Manufacturing at Mumbai Metropolitan Region (MMR) as well. … (*Interruptions*)

I would like to tell the House that large scale layoffs of Information Technology workers is taking place in the IT companies. The Shiv Sena is really concerned about white collared middle class youth losing their jobs in the Indian IT industry. We are also concerned about Indian farmers. … (*Interruptions*)

Indian techies mostly youths are committing suicide. On the one hand, when the NDA Government is ensuring that it keeps its promise of promoting more and more job creation in the country, on the other, many analysts have been forecasting big layoffs to happen in Indian IT sector. This needs corrective policy framework. … (*Interruptions*)

Sir, it is a matter of great concern as last week a 25 year old techie from Andhra Pradesh, employed in Pune, allegedly jumped off the sixth floor of the hotel he was staying at and killed himself. As reports mentioned, he left a suicide note saying, ‘In IT industry, there is no job security. I am worried a lot about my family.’ … (*Interruptions*)

During Smart India Hackathon 2017, our hon. Prime Minister, Shri Narendra Damodardas Modi said, “India is a youthful nation and technology has made things so much simpler. Technology and innovation are powering so many changes. Things like floppies, tape recorders and the walkman are history.

Artificial intelligence, 3D technology…. See how the world is undergoing changes. This is an era of 'Internet of Things'." … (*Interruptions*)

Sir, my concern is about job security of the IT workers. What steps is the Government taking to stop job losses and layoffs in IT sector? … (*Interruptions*)

Sir, on the one hand, IT companies sit on huge cash buffers, they go for overseas acquisitions, on the other, they do not offer one year notice period to youths, rather they go for instant hire and fire policy. This should be stopped immediately. … (*Interruptions*)

Our party, Shiv Sena demands that the Government should come out with a policy of banning firing of youth from jobs, who are below the age of 35 years, to save them from mental trauma. Then, there should be at least a minimum notice period of 2 years for youth below 30 years and one year for youth below 35 years. Cash rich IT companies should not be allowed to fire its workers instantly without prior notice and the same should be issued after approval from the Government. If we can save rich corporates from bank NPAs issue, it is high time we equally save white collared youth of middle class from being abruptly fired from IT industries. … (*Interruptions*)

I conclude my speech in support of the Bill and congratulate the hon. Minister for this Bill. Thank you, Sir. … (*Interruptions*)

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I have a Point of Order under Rule 349 – Rules to be observed by the Members in the House. … (*Interruptions*)

Sir, Rule 349 says, "Whilst the House is sitting, a Member shall not interrupt any Member while speaking by disorderly expression or noises or in any other disorderly manner". … (*Interruptions*)

Sir, a very important Bill like this is being transacted … (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Please sit down.

… (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Konda Vishweshwar Reddy.

SHRI KONDA VISHWESHWAR REDDY (CHEVELLA): Hon. Deputy Speaker, Sir, I thank you.

The Bill is important and at the outset, let me tell that on behalf of the TRS Party, we support this Bill. However, I would like to cover two or three clauses. My first point is about clause 2 dealing with committee composition. …(*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: When I allow you to speak, at that time, you may tell this.

… (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: I can understand. I will allow you to speak when clauses are taken up.

… (*Interruptions*)

SHRI KONDA VISHWESHWAR REDDY : In the original Act, the composition of the committee that selects the Institute's Director includes a Director of IIIT. We fully agree that it should be replaced by a Director of IIT because the objectivity in the selection might get hampered when one Director selects another Director. We welcome this clause.

My new point is about clause 3 which says that the Board of Governors would appoint the Assistant Professors. Here, we should tread a little carefully because we have to see who knows better, that is, whether a person from outside should be appointed as Assistant Professor or a person should be promoted to the level of Assistant Professor from amongst the Lecturers working in that institute. The Director will have the best knowledge of this. This clause takes away the power from the Director and gives it to the Board of Governors and members of Board of Governors may be sitting in different cities, like Delhi, and they may not have the knowledge to select correctly. Both the things have their own merits and demerits. So, I suggest a half-way *via media* that there should be a weightage of 50 per cent or at least 40 per cent to Director's recommendation or his

recommendation has to be taken into cognizance by the Board of Governors while selecting a person for the post of Assistant Professor.

I would request the hon. Minister to declare the institute in Kurnool as an institute of national importance. Andhra Pradesh is our neighbouring State. It is also a newly formed State. It has great aspirations. It has great challenges also which all of us know. We fully support that Andhra Pradesh needs this institution and they also need adequate money. They also have to face some financial challenges. They need a lot of support. They also need a High Court. They are operating without a High Court. Of course, the Law Minister is sitting here. …(*Interruptions*)

There are some general issues as well relating to IT industry. Being from the industry, I may tell that the first few IIITs were not formed by the State, including the one in my constituency, the Gachibowli IIIT in Hyderabad. There are some best practices also. I just looked at the average placements across 24 IIITs. The approximate figure is of about 70 per cent placements. Some of them have 100 per cent placements, including the one in Hyderabad. What is it that the Hyderabad institute is doing correctly and what is it that the other institutes are doing wrongly? The figure of placement in other institutes is as low as 40 per cent or 60 per cent. It means that we are guaranteeing that approximately 30 to 50 per cent of the students will not get a job. It goes against the very nature of these institutes. So, let us see what things are being done right in Hyderabad IIIT.

In IIIT, Hyderabad, there is a Department of Arts and Performing Arts. It is compulsory for every IT student to take up one form of art, whether it is painting, drawing or theatre. I was invited to a Chinese language play – Monkey King - in the IIIT. I think, it has a merit because IT industry is rapidly changing. Earlier, IT professionals used to spend a lot of time in maintaining and upgrading softwares, but softwares are upgrading themselves through machine learning. So, the IT industry is now being faced with the same challenges which it had posed to other industries. The IT professionals themselves, IT advancements themselves are

making them redundant. So, it is the culture. It is not about understanding programming languages; it is about understanding human problems and organizational problems which are also equally important. That is where the art comes into play.

Similarly, we have foreign languages also. Usually, IT people go to the UK, the USA and other places, but from the IIITs, there are students who are going to China and working as IT professionals there. These are some best practices in some institutions. So, we are doing something right in some institutions.

We have a young and dynamic IT Minister, Shri K.T. Rama Rao. He particularly visits this institution at least twice a month. Inside this institution is the largest incubation centre of India. Also, Shri K.T. Rama Rao has been attracting industries in and around this institution. Some of these industries are inside the campus of this institute which are especially the start-ups. So, these were some of the best practices. … (*Interruptions*)

As regards having foreign faculty, they should be real foreign faculty and not some NRIs who stayed there for one year and came back. … (*Interruptions*) This is the cross-cultural learning, that is, having foreign faculty, and as important as having foreign faculty is having foreign students. … (*Interruptions*) So, it will be a great exposure if our students work with a few German students or Japanese students or Chinese students. … (*Interruptions*)

Lastly, the other day we spoke about primary education and how this IT exposure is not there. … (*Interruptions*) As regards IIITs, just like the corporates are given Corporate Social Responsibilities (CSR), the IIITs have to be given social responsibility of imparting and exposing the nearby district youth to IT. … (*Interruptions*)

With this, I thank you for this opportunity. … (*Interruptions*) Thank you. … (*Interruptions*)

SHRI P.K. BIJU (ALATHUR): Thank you, Deputy-Speaker, Sir. … (*Interruptions*) We had discussed the IIIT PPP mode in this august House last week. … (*Interruptions*) This Bill seeks to make a very small amendment, but whether it is small or big, the amendment is happening in the education sector. … (*Interruptions*) Therefore, it is very much important. … (*Interruptions*)

Education, as we know, moulds the future of our country. … (*Interruptions*) But the Government recently published a New Education Policy - 2016 and this New Education Policy document itself clearly mentions that the Government has no money and that is why they are not going to invest in the field of public education. … (*Interruptions*) This document also mentions about the poor percentage of Gross Enrolment Ratio (GER) in our country. … (*Interruptions*)

This document itself states that the GER in higher education is one of the major challenges, which we are facing in India. … (*Interruptions*) The GER in higher education was 23.6 per cent in 2014-2015; it has set a target to increase the GER to 25.2 per cent in 2017-2018; and further to 30 per cent in 2020-2021. … (*Interruptions*) How is it possible if you are not ready to invest a single penny in the field of higher education? … (*Interruptions*) The countries like US, Europe and everywhere else higher education spending is much higher than that spent by our country. … (*Interruptions*) The Government is going back or has withdrawn from spending in higher education. … (*Interruptions*) How can we achieve this target in 2021, that is, 30 per cent of GER in this country? … (*Interruptions*)

Sir, at present, the variation among the social groups too are considerable. … (*Interruptions*) If we analyze the overall GER, 23.6 per cent for the participation of gender and social group, we will find out that it is 24.5 per cent for boys and 22.7 per cent for girls; 18.5 per cent for Scheduled Castes; and 13.3 per cent for Scheduled Tribes in 2014-2015 estimate. … (*Interruptions*)

We are going with NEP, but this social gap is increasing year by year. … (*Interruptions*) The last time that I addressed this august House to discuss on the

issue of IIIT PPP mode, I have mentioned that more than 10,000 engineering colleges are functioning with the approval of AICTE in our country, but there is gap in SC / ST and other socially backward sections in engineering education and higher education as a whole. … (*Interruptions*) We can take some remedial measures to allow proper higher education platform for the toiling people of this country. … (*Interruptions*) We had sat in the HRD Standing Committee with the HRD Minister for more than 4 years. … (*Interruptions*)

15.00 hours

We had discussed many Bills. One of the Bills is the Unfair Practices Bill. What is happening in the field of higher education, and what is happening to the self-financing institutions in the field of higher education? I don't know as to what has happened to that Bill. Before 2000, in my State, Kerala, we had fully concentrated towards improvement of public education. In 2000, the Congress-led Government had started self-financing institutions in our country but now, we are facing the crisis. In my constituency, a boy has committed suicide due to attack by goons from a private self-financing institution. In this regard, I had submitted a letter to the hon. Minister; I didn't get any response. This is the situation not only in Kerala but the same is also happening in almost all the States of the country. The Government should seriously intervene in this matter. Only then, can we improve the quality of education, particularly, educational institutions in the fields of engineering and higher education. … (*Interruptions*)

The Bill amends the Indian Institutes of Information Technology Act, 2014. The Act declares certain Institutes of Technology as institutions of national importance. Further, it seeks to (i) develop new knowledge in information technology; and (ii) provide manpower of global standards for the information technology industry. … *Interruptions*)

Another important aspect is appointment of the Director. Under the Act, there is a Search-cum-Selection Committee which recommends names to the Central Government for the appointment of the Director of an institute. The Bill modifies the composition of the Search-cum-Selection Committee by replacing the Director of an Indian Institute of Information Technology with the Director of an Indian Institute of Technology. Selection of the Director is okay but what about the selection of teaching faculty? What is the process of selection of teaching faculty in the so-called autonomous institutions? A lot of litigation is before the High Courts and the Supreme Court. They were to choose the wrong choices in higher educational institutions. Now, it is not at all affected but in future, our future generations would suffer due to this. We have to choose teaching faculty on merit for our institutions of national importance. Then only can we get proper and good teaching faculty.

We are going to establish institution of national importance. …(*Interruptions*) Last time too, I had raised this issue. What is the status of reservation in these institutions? We have to think about the percentage of SC/ST students and the teaching faculty in these institutions. We have to support the teeming millions of people in these institutions.

Before I conclude, I would request the hon. Minister to respond to the issues raised by me.

SHRIMATI BUTTA RENUKA (KURNOOL): Hon. Deputy-Speaker, Sir, thank you for giving me this opportunity to speak on this important subject pertaining to my constituency. I am extremely thankful to the Government for setting up of an Indian Institute of Technology, Design and Manufacturing at Kurnool as a part of its obligation under the Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014.

Through this Bill, designed as the Indian Institute of Information Technology at Kurnool, it is proposed to be declared as an institution of national importance. This institution is not yet operational at Kurnool though an amount of Rs.3.10 crore had been allocated for 2015-16 and Rs.20 crore for 2016-17. The construction work has not yet commenced, though students are being enrolled for this institute and the classes are being held at Kancheepuram in Tamil Nadu, a far off place. I would request this Government to speed up developing necessary infrastructure and commence operations at Kurnool.

The main objective of this Bill is to make available facilities for higher education, research and training in various fields of technology. During the last few decades, India's large population started benefiting and enjoying the outcome of progress in technology. The vision of the Institutes like NITs and IITs in creating research centres of the highest calibre is really appreciated. The benefits of such research are already percolating down to the people and impacted their standards of living in our country. Though we have made progress in setting up institutions of higher learning, yet they are not able to cope up with the growing population. In this connection, I take this opportunity to make a few humble submissions with regard to Rayalaseema and specially Kurnool which are backward areas, for the consideration of this Government.

Ours is a newly created State. We have moved out of Hyderabad, when many institutes of national and even global importance have been set up, leaving all of them to our brothers and sisters in Telangana. I request this Government to set up IIM in the backward region of Rayalaseema in Andhra Pradesh. Setting up such institutions will bring the backward areas into national limelight and help

them to come out of their backwardness. Hence, I would request the Government to start IIM at Kurnool.

There is a feeling of disappointment among the people of Andhra Pradesh having lost a well-developed Capital. This feeling is more so among the people of Rayalaseema and especially of Kurnool for not having considered setting up Capital in Kurnool which was once the Capital of Andhra.

With the formation of newly created Andhra Pradesh, Kurnool District and especially the entire Rayalaseema is being neglected. The entire development is being concentrated in and around Amaravathi where a number of universities and Institutes like AIIMS are being set up. I would request this Government to divert some of the developmental activities from Amaravathi to Kurnool and to the entire Rayalaseema. In the days of internet, administration need not be centralised in one place. The administrative machinery can also be decentralised and some headquarters may be set up in Kurnool which was once the State Capital. In this regard, since the Law Minister is here, I would request him that even Kurnool needs a High Court to be established there. That is also one of my requests. I request the Government to set up manufacturing industries in Kurnool which will provide job opportunities in the most backward region of the country. I also request the Government to consider setting up Institutes relating to dry-land agriculture in Kurnool. I feel very happy to speak on a subject concerning my constituency and I welcome this Bill whole-heartedly.

SHRI MUTHAMSETTI SRINIVASA RAO (AVANTHI) (ANAKAPALLI): Sir, first of all, I convey my sincere thanks to the hon. Deputy Speaker. I also convey my sincere thanks to the hon. HRD Minister Shri Prakash Javadekarji and the Prime Minister Shri Narendra Modiji because they have sanctioned almost nine institutes for our State in the last three years. On behalf of our State, on behalf of our Chief Shri Chandrababu Naidu, I convey my thanks both to the hon. Prime Minister and the hon. HRD Minister. There are two more institutions pending – the Tribal University and the Central University. We would expect that the Tribal University and the Central University would be sanctioned this year. On behalf of Telugu Desam Party and on my own behalf, I support this Bill.

This institution was already established under the AP Reorganization Act of 2014. But, we are now discussing only small amendments. Both our country and our State are agriculture-based. This country and this State require a lot of colleges. Even though it is the responsibility of the State to provide education, yet because of the privatization, liberalization and globalization many private colleges are coming up. Colleges are increasing. Education is increasing. But, on par with engineering seats, jobs are not increasing, industrialisation is not increasing. So, I request the hon. HRD Minister, on par with education to think about employment.

Our hon. Prime Minister also set up one Skill Development Mission. There is a wide gap between the institutional training and industrial expeditions. Definitely, this Skill Development Mission fills that gap. Our hon. CM, Shri N. Chandrababu Naidu, is an icon for IT revolution in this country. He is a man who developed the IT industry in Khammam District. Now, our hon. Minister, Shri Nara Lokesh garu is the IT Minister of Andhra Pradesh. He is also taking very active initiative and active participation for developing the IT industry and educational institutions in our State of Andhra Pradesh.

But one of our hon. Members said that Rayalaseema was neglected. It is not true, Sir. Our Government is giving equal importance to all thirteen districts. In Kurnool District, we set up IIIT. In Kadapa, Yogi Vemana University is there. In

Chittur, S.V. University is there. In Anantapur, S.K. University is there. In Tirupati, S.V. University is there. He is giving importance to industries and educational institutions in all the areas and districts. We are concentrating in one place only. Already, we made a mistake in Hyderabad as we were concentrating only on Hyderabad because of which we are suffering a lot. Now, we do not want to make that mistake.

Regarding IT people, many of the youth who are working in IT industry are in unrest because of the H1B Visa issues with the U.S. Health issues are also there. Hon. HRD Minister, you please introduce yoga in the educational institutions also so that the students get ready to face the stress levels for their future challenges. In future, the stress level is going to be very high for the children. So, please introduce yoga as a subject. I also appreciate our friend, Shri Konda Vishveshwar Reddy. He asked about social science. Social science is also required in educational institutions so that it maintains the balance in our society. In Andhra Pradesh Reorganisation Act, you have given nine institutions. I request the hon. Minister to increase the budget. Three years are already over. Our sister, Ms. Renuka Butta, has said it rightly. We have to increase the pace of construction, then only we will be able to establish the institutions. That is why I request the hon. Minister to increase the budget. You see that the institutions should be established as soon as possible in our State.

Regarding the Staff, I request the hon. HRD Minister to look at the private deemed universities. What is the purpose of setting up the university? The purpose is to improve the research facilities in the country. But, unfortunately, all the private deemed universities are only enrolling the students and they are giving education like engineering college, but they are not concentrating on research activities. Many of the private deemed universities are meant for money only. That is why I request the hon. HRD Minister to have control over private deemed universities. I also request the hon. HRD Minister to focus on IITs, IIITs, NITs

and all the national institutions for research. For that, you please increase the budget also.

Lastly, I request the hon. HRD Minister to visit all the institutions of national importance. Private deemed universities are also not following the reservation policy. You have to enforce the reservation policy in all private deemed universities. You are already doing an excellent job to improve education. I request the hon. HRD Minister to focus on these points.

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण) : महोदय, आपने मुझे इस ट्रिपल आई.आई.टी. अमेंडमेंट बिल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।...(व्यवधान) मैं सौगत राय जी से पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूँ कि अगर शान्ति रहती तो बोलने में ज्यादा अच्छा रहता।...(व्यवधान) यह इतिहास में पहली बार है कि लोग स्पीकर्स के ऊपर पेपर भी फेंकते हैं और माफी माँगने का काम सौगत राय जी करते हैं।...(व्यवधान) ये लोग आज तक नहीं बोले हैं।...(व्यवधान) मैं चाहूँगा कि कुछ संस्कार सब लोग दिखायें।...(व्यवधान) यह जो बिल है, यह थर्टीन शेड्यूल ऑफ आन्ध्र प्रदेश रीऑर्गनाइजेशन एक्ट, 2014 के तहत आया है।...(व्यवधान) इसके तहत आन्ध्र प्रदेश को आई.आई.टी., एन.आई.टी., आई.आई.एम., आई.एस.ई.आर., सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी, पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आदि सारी चीजें आन्ध्र प्रदेश को मिल रही हैं। यह बहुत अच्छी बात है। मैं इसका पूरी तौर पर समर्थन भी करता हूँ। जो वह डायरेक्टर और असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में चेंज लाये हैं, वह भी ठीक है।...(व्यवधान)

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि हिन्दुस्तान में दक्षिण के जो चार प्रदेश हैं, उनमें पूरे देश की लगभग 40 परसेंट सारी संस्थायें मौजूद हैं।...(व्यवधान) उसी तरह बिहार एक प्रदेश है, जहाँ पर आज तक कोई इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस नहीं है।...(व्यवधान) आज मैं अपॉर्चुनिटी लेकर माननीय शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि अगर किसी प्रदेश की सरकार उस लायक नहीं है, तो कम से कम केन्द्र को आगे बढ़कर उसका सहयोग करना चाहिए।...(व्यवधान) बिहार की स्थिति यह है कि हर साल आठ हजार करोड़ रुपया बिहार के बच्चे दूसरे प्रदेशों में केवल शिक्षा के लिए देते हैं।...(व्यवधान) यह महात्मा गाँधी के चम्पारण सत्याग्रह का सौंवा वर्ष है, इस नाते मैं माननीय प्रकाश जावड़ेकर जी से अनुरोध करूँगा कि प्रधानमंत्री जी की पॉलिसी भी लुक ईस्ट की है, चाहे वह देश हो, चाहे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, तो बिहार में भी एक इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस कम से कम खोला जाये।...(व्यवधान) आज बिहार की स्थिति यह है कि वहाँ केवल दो इजीनियरिंग कॉलेजेज हैं।...(व्यवधान) कोई भी, चाहे वह आई.आई.एम. हो, चाहे कोई बड़ी संस्था हो, आज तक बिहार में नहीं आयी है।...(व्यवधान) मैं जानता हूँ कि बिहार सरकार का कोई सहयोग नहीं है, बिहार सरकार को विकास से कोई मतलब नहीं है।...(व्यवधान) लेकिन केन्द्र सरकार भी उसको अलग कर दे, यह कहीं से भी उचित नहीं है।...(व्यवधान) मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि कम से कम बिहार में और खासकर के चम्पारण में एक इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस बनना चाहिए। यह महात्मा गाँधी जी के सत्याग्रह का 100वाँ वर्ष है और महात्मा गाँधी जी ने अपना पूरा समय बेतिया में पश्चिम चंपारण में बिताया था।...(व्यवधान) मोतिहारी में वे केवल उतरे थे, उससे ज्यादा उन्होंने वहाँ कुछ नहीं किया था।...(व्यवधान) वे बेतिया में रहे थे। बेतिया में आई.एन.सी. का राष्ट्रीय अधिवेशन वर्ष 1939 में हुआ था।...(व्यवधान) इसलिए मैं अनुरोध करूँगा कि पश्चिम चंपारण में या बेतिया लोक सभा को जो हिस्सा है, पश्चिम चंपारण लोक सभा का, उसमें कम से

कम एक इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस महात्मा गाँधी जी के सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे होने के समय पर बनाना चाहिए।...(व्यवधान)

प्रधानमंत्री जी इस अवसर पर इतने सारे कार्यक्रम कर रहे हैं, लगभग हर विभाग में कोई न कोई कार्यक्रम हो रहा है, तो माननीय शिक्षा मंत्री जी से मेरा यह अनुरोध रहेगा कि पश्चिम चंपारण लोक सभा में भी एक इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस दें।...(व्यवधान) बिहार में कोई भी चीज बिहार की सरकार तरक्की के लिए नहीं करना चाहती है।...(व्यवधान) इसीलिए पूरे बिहार की जनता केन्द्र की तरफ मुँह करके देख रही है।...(व्यवधान) मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि कम से कम बिहार की जनता का ध्यान रखकर के, बिहार सरकार कुछ करे या न करे, केन्द्र सरकार को आगे बढ़कर जरूर कुछ करना चाहिए।...(व्यवधान)

महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।...(व्यवधान)

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : महोदय, आपने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2017 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।...(व्यवधान)

विधेयक के माध्यम से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम में संशोधन कर भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी डिजाइन एवं उत्पादन संस्थान, कुर्नूल (आन्ध्र प्रदेश) राष्ट्रीय महत्व का संस्थान बन जायेगा।...(व्यवधान) इस शैक्षणिक संस्थान को अपने छात्रों को डिग्री भी प्रदान करने का अधिकार होगा।...(व्यवधान) आशा है कि इससे देश और विशेषकर आन्ध्र प्रदेश में रोजगार के अवसर पैदा होंगे।...(व्यवधान) सरकार पहले ही ऐसे चार संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दे चुकी है।...(व्यवधान)यह पाँचवां संस्थान होगा। माननीय मंत्री जी बैठे हैं और बिहार के बारे में भाई संजय जी ने विस्तार से अभी चर्चा की है। जिस तरीके से बिहार सरकार पर उन्होंने आक्रमण किया, वह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, जबकि बिहार सरकार द्वारा 500 एकड़ ज़मीन देकर पटना आईआईटी का निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन भारत सरकार ने मात्र दो से तीन विषयों का ही कोर्स चलाने का आदेश किया है। मैं माननीय मंत्री जी से चाहूँगा कि आप पटना आईआईटी को पूर्ण क्षमता तक उपयोग करें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बिहार से आता हूँ। बिहार में एक भी प्रौद्योगिक डिज़ाइन एवं उत्पादन संस्थान नहीं है, इसलिए संजय जी का भी माननीय मंत्री जी से आग्रह है और मेरा भी आग्रह है कि आप ज़रूर एक संस्थान बिहार को दें जिसमें दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर एवं मुंबई के समान सभी विषयों के कोर्स शुरू हों। पटना आईआईटी में एग्रीकल्चर एवं फूड इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी शुरू होनी चाहिए। जल विज्ञान एवं प्योर साइंस की पढ़ाई भी शुरू होनी चाहिए, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग की पढ़ाई होनी चाहिए, साथ-साथ पेपर इंजीनियरिंग की भी पढ़ाई होनी चाहिए। बी.फार्मा और आई.फार्मा की पढ़ाई जो वाराणसी में होती है, इन विषयों की पढ़ाई भी पटना आईआईटी में होनी चाहिए। पटना आईआईटी में जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वह भी कई मामलों में विवादित है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान उस ओर भी आकृष्ट करना चाहूँगा। माननीय मंत्री जी से मैं निवेदन करूँगा और विशेष रूप से संजय जी की बात का समर्थन करते हुए कहूँगा कि आप बिहार के लिए सोचिए, पटना आईआईटी के लिए सोचिए और खासकर भागलपुर में जो इंजीनियरिंग कालेज है, वहां भी फैकल्टी की कमी है, उसको भी पूरा करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।

SHRI K. ASHOK KUMAR (KRISHNAGIRI): Hon. Deputy Speaker Sir, I express my sincere gratitude to our beloved leader *Puratchi Thalaivi Amma* for being here to speak on the Indian Institutes of Information Technology (Amendment) Bill, 2017.

The Indian Institutes of Information Technology (Amendment) Bill, 2017 amends the Indian Institutes of Technology Act, 2014. The Act declares certain Indian Institutes of Technology as institutions of national importance. Further, it seeks to develop new knowledge in information technology and provide manpower of global standards for the information technology industry.

As far as the appointment of the Director under the Act is concerned, there is a search-cum-selection committee which recommends names to the Central Government for the appointment of the Director of an institute. The Bill modifies the composition of the search-cum-selection committee by replacing the Director of an Indian Institute of Information Technology with the Director of an Indian Institute of Technology.

For appointment to the posts of Assistant Professor and above, the act empowers the Board of Governors of the institutes. The Bill permits the Board to appoint Assistant Professors and all the posts above that level as well.

The Bill seeks to declare the Indian Institute of Technology, Design and Manufacturing, Kurnool as an institution of national importance and adds it to the Schedule of the Act which consists of other institutions of national importance. Sir, this is the need of the hour considering the fact that there is an urgent need to bridge the gap between the Government, academia and industry. Therefore declaring the 15 existing Indian Institutes of Information Technology established through public-private partnership as institutions of national importance is a welcome move. But at the same time, it should bridge the already existing urban and rural divide. It should only augment the educational infrastructure of the State and should not undermine the existing institutes.

The Bill also proposes that the Board of Governors of each Institute will comprise up to 15 members. The Chairperson is to be nominated on the recommendation of the Centre. … (*Interruptions*) There should be one nominee each of the Central Government and the State Government concerned in the Board. Also in the Board are the Director of the Institute, one nominee each representing the industry partner and two faculty members. … (*Interruptions*) I personally feel that there is a need for nomination of one Member of Parliament from Lok Sabha and one from Rajya Sabha in the Board.

The Bill enshrines the Senate to be the principal academic body of each Institute with powers to specify the criteria and procedure for admission to courses of study, creation of teaching and other academic posts, and specifying the academic content of programme and courses of study. … (*Interruptions*)

The Bill proposes for a Co-ordination Forum that will deliberate on matters of common interest to all the Institutes and advising the Centre to include or exclude an institution in the Bill's schedule. The composition of the Co-ordination Forum has to be mentioned clearly. … (*Interruptions*)

The Bill has a provision for each Institute to maintain a fund which will consist of funds from the Government and other sources including fees, grants, and donations. Further, each Institute can create a corpus fund for its long term sustainability. … (*Interruptions*) This fund will be credited with a certain per cent of the net income of the Institute and donations made specifically towards such corpus fund.

Any dispute arising out of a contract between an Institute and any of its employees will be referred to a Tribunal of Arbitration. … (*Interruptions*) The Tribunal consists of one member appointed by the Institute, one member

nominated by the employee, and an umpire appointed by the Visitor, who is the President. There is a need to create a core forum to address any internal dispute before being referred to the Tribunal. … (*Interruptions*)

I wish to conclude with a quote: “Ensuring quality higher education is one of the most important things we can do for future generations.”

Thank you. … (*Interruptions*)

श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर) : उपाध्यक्ष महोदय, आपको धन्यवाद कि आपने मुझे आई.आई.आई.टी. (अमेंडमेंट) बिल पर बोलने का मौका दिया।...(व्यवधान) यह देश के हित में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है।...(व्यवधान) खासकर, वर्ष 2014 में जब आंध्र प्रदेश राज्य का विभाजन हुआ तो उन दिनों कांग्रेस की सरकार ने यह वादा किया था।...(व्यवधान) इस वादे को आज भारतीय जनता पार्टी और एन.डी.ए. की सरकार पूरी कर रही है।...(व्यवधान) आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य के सभी सांसद लगातार तीन सालों से इस मुद्दे को उठाते रहे और मुझे खुशी है कि जावड़ेकर जी के माध्यम से आज यह बिल पारित होगा।...(व्यवधान) वैसे यह बिल अमल में लाया है, लेकिन टेक्नीकल फॉर्मैलिटी पूरा करने के लिए हम इसे आज लोक सभा में पारित कर रहे हैं।...(व्यवधान)

महोदय, इस बिल के माध्यम से मैं इतना ही आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि लोक सभा में बहुत सारे बिल्स पास होते हैं, जो जनहित में होते हैं, विद्यार्थियों के हित में होते हैं, राष्ट्र के हित में होते हैं।...(व्यवधान) लेकिन, बिल पास होने के बाद जब वह अधिकारी वर्ग के पास चला जाता है, तो उनके काम करने की जो कार्य-पद्धति है, वह पुरानी पद्धति ही है।...(व्यवधान) इतना सारा परिश्रम करने के बाद इस लोक सभा में यह बिल पास होने के बाद भी लोगों को जितना लाभ जल्दी-से-जल्दी मिलना चाहिए, वह मिलता नहीं है।...(व्यवधान) इसलिए, मैं चाहूंगा कि पार्लियामेंट में जो भी बिल पास होता है, उसका एक एकाउंटैब्लिटी सिस्टम तैयार करने का हमें एक मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा।...(व्यवधान) अधिकारी वर्गों के पास कितने एप्लीकेशंस आए, कब आए और कितने दिनों में उन्होंने पारित किया, ऐसा कोई एकाउंटैब्लिटी सिस्टम या मैकेनिज्म अगर हम तैयार करते हैं तो देश के लोगों को बहुत बड़ा लाभ होगा।...(व्यवधान) यहां पर सरकार किसी भी पार्टी की हो, हम यहां बिल पास करते हैं, लेकिन वहां पर जो अधिकारी बैठे हैं, उनका ही राज चलता है।...(व्यवधान) वे अपने मनमाने ढंग से ही काम करते हैं और देश के लोगों को जितना लाभ होना चाहिए, वह होता नहीं है।...(व्यवधान) इसलिए, मैं आपके माध्यम से इस बात को आपके सामने रखना चाहता हूं।...(व्यवधान) मैं चाहूंगा कि प्रकाश जावड़ेकर जी इसके बारे में एक सर्कुलर के माध्यम से आदेश देंगे, ताकि लोगों को इससे बहुत बड़ा लाभ हो।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं फिर से एक बार इस बिल का समर्थन करते हुए आपको धन्यवाद देता हूं।...(व्यवधान) बहुत-बहुत धन्यवाद।...(व्यवधान)

DR. RATNA DE (NAG) (HOOGHLY): Thank you, Sir, for giving me the opportunity. The Indian Institute of Information Technology (Amendment) Bill, 2017 has been primarily brought before the House to amend the Indian Institutes Act, 2014 and thereby declare the Indian Institute of Information Technology Design and Manufacturing, Kurnool, Andhra Pradesh as an institution of national importance. I welcome it *prima facie.*

I would request the hon. Minister, Shri Prakash Javadekar to set up an Indian Institute of Information Technology Design and Manufacturing in my parliamentary constituency which includes, Singur. I know it is a very difficult task but I hope the hon. Minister will give a serious thought to my request.

Declaring existing institutes as the institutes of national importance is welcome but it should be done with a noble vision of spreading knowledge and information to all parts of the country and all the institutes should be vested with the best of infrastructure like labs, staff and search paraphernalia. The Government should bring in PhD faculty, If possible, foreign faculty from best universities. Only then declaring existing universities and institutes as institutions of national importance would serve the purpose. With these words I conclude. I welcome the Bill. Thank you, Sir.

श्री निहाल चन्द (गंगानगर): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2017 पर बोलने का मौका दिया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा।...(व्यवधान)

मैं आप से निवेदन कर दूं कि मैं इस विधेयक के पक्ष में खड़ा हुआ हूं। संपूर्ण भारत के उच्च शिक्षा क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए और गरीब से गरीब व्यक्ति को सरकारी खजाने में उसका हाथ हो, इसके लिए सरकार ने अनेक योजनाओं की शुरुआत की है।...(व्यवधान) मैं इस ट्रिपल आईटी विधेयक का समर्थन कर रहा हूं। यह समर्थन राष्ट्र की सामाजिक, आर्थिक तथा शिक्षा के विकास की दृष्टि से हम सभी और इस देश के लिए महत्वपूर्ण है।...(व्यवधान)

प्रौद्योगिकीय ज्ञान अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। ...(व्यवधान) वैसे तो सूचना और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत अग्रणी क्षेत्र के रूप में उभर रहा है। वर्ष 1990 के दशक से लेकर आज तक भारत ने सॉफ्टवेयर तथा अन्य कई क्षेत्रों में निरंतर वृद्धि की है।...(व्यवधान) आईआईटी के विकास के क्षेत्र में मानव शक्ति की आवश्यकता भी बढ़ गई है। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में मानव शक्ति के लिए एक समान उद्देश्य के कारण शिक्षा तथा सूचना प्रौद्योगिकी एक महत्वपूर्ण व्यवस्था के रूप में मानी गई है।...(व्यवधान) यह एक पाँचवी इकाई हैं। इलाहाबाद, ग्वालियर, जबलपुर और कांचीपुरम के बाद पाँचवीं इकाई की शुरुआत आंध्र प्रदेश में हुई है।...(व्यवधान) इसके लिए केंद्र सरकार ने अपने खजाने से 20 करोड़ रूपये की राशि जारी की है। मैं अपनी तरफ से इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा।...(व्यवधान)

मैं सिर्फ इतना निवेदन करना चाहूंगा कि एक पाँचवी इकाई के रूप में इसकी जो शुरुआत हुई है, इस संबंध में मैं दो-तीन सुझाव देना चाहता हूं।...(व्यवधान)

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: You can give me your suggestions in writing. I will incorporate them.

Sir, I very much thank the Members who have participated in the discussion; S/Shri Pralhad Joshi, Ladu Kishore Swain, Rahul Shewale, Konda Vishweshwar Reddy, P.K. Biju, M. Srinivasa Rao, Kaushalendra Kumar, Ashok Kumar, Gopal Shetty, Nehal Chand, Prof. Saugata Roy, Shrimati Renuka, Dr. Sanjay Jaiswal and Shrimati Ratna De. इस पर सब ने एक तरह से समर्थन दिया है, इसलिए मैं उनका शुक्रगुजार हूं। एक मुद्दा उठा कि ट्रिपल आईटी का एजुकेशन पुअर क्वालिटी का नहीं चाहिए, बल्कि स्टैंडर्डाइजेशन चाहिए और नई-नई शाखाएं होनी चाहिए। मैं बिल्कुल यह मानता हूं और प्रो. सौगत राय जी ने भी कहा and that is very important because we lack in hardware sector. We have not produced Facebook, Twitter, Google or any other browser. We have not come out with that kind of utility. So, we must improve the skills and that is our agenda.

The second thing is about employability. Today, IIIT's employability is very good but it can be further improved. We have to take them on case to case basis and see which institutes are lacking. Shri Konda Vishweshwar Reddy has given a very valuable suggestion. With him, I am going to visit IIIT, Hyderabad. Every institute has to learn from each other. He has given a very important suggestion regarding humanity branch. Our friend has also suggested Yoga. It is because the professionals must understand the behaviour of the customers, people and citizens around and as to what are their expectations Accordingly, you have to tailor the product. Therefore, that increases the employability. Shri Pralhad Joshi has discussed about hackathon. That is a very important initiative and this year, we will expand it. I am hoping that this year, more than 60,000 students will participate. That is hands on training for four months. That will happen. My Odisha friend will excuse me. We have already got Berhampur IISER. As far as OUAT Agriculture is concerned, I will definitely pass on this request to the hon. Minister of Agriculture.

Then, Shri Rahul Shewale has given a very good suggestion that there has to be at least one year notice. That is also definitely a demand. It is not to be done by the Government, but it has to be done by the companies and they will take care.

As has been rightly mentioned, the appointment of IIIT Director cannot be done by another IIIT Director. It can be taken as an act of self-interest. Therefore, it has to be one step above. The BoG will not only promote the teachers, but will also employ new associate professors and professors. Therefore, in BoG, the Director has always got weightage and that will be there.

Another good thing, as Shri Konda Vishweshwar Reddy has said, is about foreign faculty, foreign students and the concept of learning in diversity. I think that is very valuable and important suggestion. As far as corporate social responsibility is concerned, institute's social responsibility is not Swachh Bharat Abhiyan. As you all know, we are going ahead in Swachh Bharat Abhiyan. Let me tell Shri Kaushalendra Kumar Ji and Dr. Sanjay Jaiswal Ji that we have Central University in Motihari, IIT and NIT in Patna, IIM in Bodh Gaya and this year we have started IIIT in Bhagalpur. So, there are so many Central Institutes in Bihar. We do not discriminate any State. We work for the whole of India. Shri P.K. Biju has mentioned about GER. In this connection, I would like to tell you that our GER has now passed 26 per cent and we will achieve 30 per cent by 2020. I am very sure about it. He has said about good recruitment. That is very important. This good recruitment is the most important factor in faculty selection. That is what we have said that merit-based selection is essential and upgradation and upskilling of the faculty and faculty development programme is also important.

The Tribal and Central Universities in Andhra Pradesh is also on track. It will not lag behind. The Bills are in circulation and I hope that if everything goes well, then in this Session it can come. Let us see. All institutes and infrastructure would be completed. Before 2019 elections, you will be proud to say what we have completed. Do not worry. Shri Kaushalendra Kumar Ji let me tell you that IIT Patna has six engineering disciplines, that is, chemicals, civil,

electrical, mechanical, material sciences and computer sciences and three science courses, that is, physics, chemistry and maths and there is also B.Tech, M.Tech, Ph.D. and M.Sc. So, the IIT Patna is a full-fledged institute and is one of our pride possession institutes. Therefore, I welcome you all and thank everybody. I hope that when it will be put to vote, you will all support it. Thank you everyone.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

> "That the Bill further to amend the Indian Institutes of Information Technology Act, 2014, be taken into consideration."

The motion was adopted

HON. DEPUTY SPEAKER: The House will now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

… (*Interruptions*)

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : Sir, since the House is not in order, I am not able to move my amendment… (*Interruptions*). Most of the Members are in the well. So, it is not proper to move the amendment. Therefore, I am not able to move the amendment… (*Interruptions*).

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That clauses 2 to 4 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2 to 4 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: I beg to move:

> "That the Bill be passed."

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

> "That the Bill be passed."

The motion was adopted.

15.41 hours

COMPANIES (AMENDMENT) BILL, 2016

HON. DEPUTY SPEAKER: Now, we will take up Item No. 25. Shri Arjun Ram Meghwal.

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : मैं श्री अरूण जेटली जी तरफ से प्रस्ताव करता हूं कि

"कंपनी अधिनियम, 2013 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

महोदय, मैं कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट, 2016 के प्रस्ताव के लिए खड़ा हुआ हूं, इस बिल को चर्चा और पास करने के लिए लाया गया है। बिल के साथ कुछ ऑफिशियल्स अमेंडमेंट्स भी है …(व्यवधान) जिन्हें मैंने पहले ही मूव किया हुआ है …(व्यवधान) । कंपनीज एक्ट, 2013 जो 29 अगस्त, 2013 को नोटिफाइड हुआ था, अधिनियम, 2013 के द्वारा कंपनीज एक्ट में बहुत परिवर्तन किए गए थे, जैसे स्टेकहोल्डर्स को डिस्कोलजर्स, डॉयरेक्टरर्स, ऑडिटर्स जैसे प्रमुख कार्मिकों की एकाउनटिबिलिटी एकाउन्टेबिलिटी, इसके अतिरिक्त इसका मुख्य उद्देश्य इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन, कॉरपोरेट गवर्नेस था, इस एक्ट के प्रारंभिकल काल में कुछ परेशानियों को दूर करने के लिए मई, 2015 में अमेंडमेंट किया गया। …(व्यवधान)

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ANANTHKUMAR): Hon. Deputy Speaker, Sir, many times we have requested the hon. Members of the Congress Party that they should go back to their seats and participate in the debate. We are ready to debate any issue. They are not ready… (*Interruptions*)

कृषि के बारे में जब हमने चर्चा शुरू की तो वे वॉकआउट किए, जब बाकी विषयों के बारे में चर्चा करते हैं तो वे वाकिंग करते हैं, वॉकआउट और वाकिंग कांग्रेस पार्टी क्यों कर रही हैं हर जगह से वॉकाआउट हो जाएंगे। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, ।

Sir, the other day, there was tearing of papers and paper balls were made. They were thrown on the hon. Speaker who is a lady. This is highly condemnable. They are not having any repentance. They should have apologized…

(*Interruptions*). They have not apologized. Whatever they have done is against the Parliament, against traditions and is against democracy. They should not do anti-democratic, anti-parliamentary and anti-tradition activities… (*Interruptions*)

Sir, I would request you to allow the Minister to continue his speech… (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: The House stands adjourned to meet on Thursday, the 27th July, 2017 at 11.00 a.m.

15.44 hours

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock
on July 27, 2017/Shravana 5, 1939 (Saka).